(1)

उ.प्र. एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) बोर्ड की 24वीं बैठक दिनांक 18.11.2014 का कार्यवृत्त

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की 24वीं बैठक दिनांक 18.11.2014 को सम्पन्न हुई बैठक में निम्न अधिकारियों ने प्रतिभाग किया :–

1. श्री नवनीत सहगल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा – अध्यक्ष
2. श्री ओम प्रकाश पाठक, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन– सदस्य
3. श्री अरविन्द सिंह, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन– सदस्य (प्रतिनिध प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग)
4. श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी, उप सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन– सदस्य (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त)
5. श्री कृपा शंकर शुक्ल, अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन– सदस्य (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास)
6. श्री आशुतोष निरंजन, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा– **सदस्य, सचिव**

<u>विशेष आमंत्री</u>:–

1. श्री राम सिंहासन प्रेम, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।
2. श्री एस0के0 गुप्ता, वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
3. श्री विश्वदीपक, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री जी0एस0 गोयल, मुख्य वास्तुविद नियोजक, यूपीडा।
5. श्री ओ0पी0 गुप्ता, परियोजना निदेशक, वन, यूपीडा।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 1 : उ.प्र. एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 01.10.2014 को सम्पन्न 23वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टिः–

प्राधिकरण के निदेशक मण्डल द्वारा उ.प्र. एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 01.10.2014 को सम्पन्न 23वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 2 : उ.प्र. एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 01.10.2014 को सम्पन्न 23वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्याः–

निदेशक मण्डल द्वारा उ.प्र. एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 01.10.2014 को सम्पन्न 23वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 3 : **ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन स्थिति एवं परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेन्ट दिनांक 23.03.2008 एवं पूरक अनुबन्ध 30.11.2011 को पारस्परिक सहमति से तत्कालिक रूप से निष्प्रभावी किये जाने हेतु एक नवीन एग्रीमेंट विषयक।**

(2)

1.) निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को निजी एवं सार्वजनिक सहभागिता आधार पर क्रियान्वयन हेतु संकल्पना वर्ष 2007–08 में की गयी थी। उक्त कार्य हेतु निजी क्षेत्र की कम्पनी मेसर्स जयप्रकाश एसोसियेट्स लि0 का चयन विकासकर्ता के रूप में जनवरी 2008 में किया गया था। चयनित विकासकर्ता मेसर्स जयप्रकाश एसोसियेट्स लि0 द्वारा परियोजना के कियान्वयन हेतु एक स्पेशल परपज वेहिकल (SPV) मेसर्स जयपी गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि0 (मेसर्स जे0जी0आई0सी0एल0) (कन्सेशनायर) का गठन किया जिसके द्वारा कन्सेशन अनुबन्ध का निष्पादन दिनांक 23.03.2008 को किया गया ।

2.) परियोजना का निर्धारित निर्माण काल 4 वर्ष का था और परियोजना हेतु स्वीकृत कन्शेसन पीरियड (रियायत की अवधि) ''अपाइन्टेड डेट'' से 35 वर्ष के लिए जिसमें कियान्वयन कार्य काल भी सम्मिलित है, अनुमोदित है।

3.) कन्शेसनायर ने परियोजना हेतु रु0 149125/– लाख की बैंक गारन्टी (परफार्मेन्स सिक्योरिटी) जो कि ''फाइन्नेसियल क्लोज'' के बाद कम करके रु0 89475/– लाख कर दी गयी, प्रदत्त की थी और भूमि अर्जन हेतु रु0 38,90,68,341/– कि राशि प्राधिकरण (यूपीडा) के पास जमा की है।

4.) कन्शेसन एग्रीमेन्ट मे निहित शर्तो के अनुसार, परियोजना कियान्वयन/ निमार्ण कार्य से पूर्व पर्यावरण सम्बन्धी अनुमोदन (इन्वायरमेंट क्लीयरेन्स) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना था।

5.) परियोजना हेतु प्री–इन्वायरमेन्ट कलीयरेन्स, यू0पी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट आर्थोरिटी से दिनांक 23.08.2007 को प्राप्त किया गया था, बाद में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने रिट याचिका संख्या 15125/2008 गंगा महासभा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य रिट याचिका संख्या 21754/2008 विन्ध्या इन्वायरनमेंट सोसाइटी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 29.05.2009 को परियोजना हेतु पूर्व में प्रदत्त प्री–इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स को निरस्त करते हुए यह आदेश पारित किये कि जब तक परियोजना के लिए इन्वायरमेन्ट क्लीयरेन्स प्रोविजन आफ इन्वायरमेंन्ट (प्रोटेक्शन एक्ट 1986) के अनुसार प्राप्त नही हो जाता है, 08 लेन गंगा एक्सप्रेसवे तथा सम्बन्धित भूमि के विकास के बावत कोई कार्यवाही न की जाय।

6.) मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के कम में जारी शासनादेश सं0–2228/77–3–09–123(रिट)/टी0सी0 दिनांक 07.08.2009 द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया कि पर्यावरणीय क्लीयेरेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही भूमि अर्जन की कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

7.) उक्त शासन आदेश के अनुपालन में तद्नुसार विकासकर्ता मेसर्स जे0जी0आई0सी0एल0 द्वारा पर्यावरणीय कलीयेरेन्सेस पुनः प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रेषित किया गया। परन्तु भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा जारी पत्र सं0– एफ.एन.10–49/2011–आई.ए. III दिनांक 27.10. 2011 के अनुसार पर्यावरणीय कलीयेरेन्सेस आवेदन परियोजना प्रस्तावक 'यूपीडा' द्वारा किया जाना था। उ0 प्र0 न्याय विभाग एवं उ0प्र0 पर्यावरण विभाग का भी यही मत था।

8.) उक्त सम्बन्ध में इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि कन्सेशन अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार परियोजना सम्बन्धित सभी क्लीयेरेन्स (पर्यावरणीय क्लीयेरेन्स सहित) कन्सेशनायर (विकासकर्ता) द्वारा प्राप्त करने हैं, यूपीडा बोर्ड ने 17वीं बैठक दिनांक 30.03.2012 मे यह निर्णय लिया कि कन्सेशन अनुबन्ध की शर्तो में आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त यूपीडा द्वारा पर्यावरणीय क्लीयेरेन्स प्राप्त किया जाए। तत्कम में कन्सेशनायर (मेसर्स जे0जी0आई0सी0एल0) से पूरक कन्सेशन एग्रीमेन्ट का आलेख्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जो अभी अप्राप्त है।

9.) इस बीच मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश के अनुपालन में पर्यावरणीय क्लीयेरेन्स की पुनः प्राप्ति एवं परियोजना के विकास के कियान्वयन में उत्पन्न अनिश्चितता के कारण कन्सेशनायर (मेसर्स जे0जी0आई0सी0एल0) द्वारा प्रोजेक्ट हेतु जमा की गयी बैक गारन्टी (परफारमेन्स सिक्योरिटी) वापस करने की मॉग की गयी। इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 18.11.2011 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में कन्सेशनायर के साथ दिनांक 30.11.2011 को किये गये पूरक कन्सेशन अनुबन्ध के उपरान्त उनके द्वारा प्रदत्त शेष बैंक गारन्टी (परफारमेन्स सिक्योरिटी) रू0 894.75 करोड़ इस शर्त के साथ वापस की गयी कि परियोजना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त होने के उपरान्त यूपीडा द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर कन्सेशनायर द्वारा बैंक गारण्टी पुनः जमा करनी होगी।

10.) शासन के पत्र दिनांक 02.11.2011 द्वारा यह मंतव्य व्यक्त किया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न अवरोध/अनिश्चितता के सम्बन्ध में न्याय विभाग उ0प्र0 शासन के मतानुसार प्रश्नगत प्रकरण पर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, के दृष्टिगत परियोजना प्रारम्भ न होने के लिए यूपीडा व कन्सेशनायर दोनों में से कोई भी दोषी नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्लीयरेंस नहीं मिल पाया, अतएव उक्त परियोजना के लिये भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया जिसके लिये कोई भी पक्षकार उत्तरदायी नहीं है। शासन के उक्त पत्र दिनांक 02.11.2011 में यह भी इंगित किया गया है कि परियोजना के प्रारम्भ न होने का मुख्य कारण अप्रत्याशित घटना (फोर्स मिज्योर) है तथा अपांइटेड डेट नॉन एगजिस्टेन्ट है।

11.) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के अनुपालन के कम में पर्यावरण स्वीकृति के तदकम में परियोजना के कियान्वयन में उत्पन्न अनिशिचत्ता को ध्यान में रखते हुए कन्सेशनायर ने पत्र दिनांक 31.12.2011 द्वारा यह अनुरोध किया है कि उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण व्यय हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि उन्हे वापस कर दी जाए। जिसे वह यथा समय आवश्यकता अनुसार पुनः उपलब्ध करा देंगे।

12.) परियोजना के भू– अधिग्रहण हेतु कन्सेशनायर द्वारा यूपीडा को समय–समय पर सम्बन्धित जिलाधिकारियो की मांग के आधार पर कुल रु0 38,90,68,341/– उपलब्ध करायी गयी जिसका उपयोग निम्नानुसार किया गया :–

(अंक रूपये में)

(a) कन्सेशनायर द्वारा प्रदत्त कुल धनराशि	– 38,90,68,341
(b) यूपीडा द्वारा ग्रहीत 1% कार्पस फण्ड (कन्सेशन एग्रीमेन्ट के आर्टिकल 10.10 के अनुसार)	– 38,52,161
(c) अवशेष धनराशि (1–2)	– 38,52,16,180
(d) कुल 113 ग्रामों की भूमि हेतु जिलों को प्रेषित धनराशि (10% भू–अध्याप्ति व्यय + 10% अग्रिम प्रतिकर +पूंजीकृत मूल्य)	– 30,76,04,707
(क) – धारा 4 में अधिसूचित 40 ग्रामों की धनराशि – 9,21,56,007	
(ख) – अवशेष (113–40) 73 ग्रामों की धनराशि – 21,54,48,700	
(e) यूपीडा के पास अवशेष धनराशि (3–4)	–7,76,11,473

13.) उपरोक्त सम्बन्ध मे यह संज्ञान में लिया गया कि भू अर्जन व्यवस्था के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के शासनादेश स0–1387/1–13–2005–20(13)/2005–रा–13,दिनांक 07 दिसम्बर 2005 के प्रस्तर –2 मे व्यवस्था दी गयी है कि किन्ही कारणों से अधिग्रहण की कार्यवाही बीच मे ही रोकने व समाप्त किये जाने की स्थिति मे अर्जन निकाय द्वारा 'अर्जन व्यय' के रूप में/मद मे प्रतिकर के 10 प्रतिशत के बराबर जमा की गयी धनराशि मे से इस शासनादेश मे इंगित तालिका मे किये गये प्राविधान के अनुरूप कटौती के उपरान्त शेष धनराशि को वापस उपलब्ध करा दी जाए।

14.) उक्त सम्बन्ध में यह भी संज्ञान में लिया गया कि कन्सेशनायर द्वारा पूर्व में दिनांक 27.01. 2012 को हस्ताक्षरित एक अनडरटेकिंग दी है कि वह राजस्व आदेश स0

1387/1–13–2005–20(13)/2005– रा–13 दिनांक 07.12.2005 के अनुसार भूमि अधिग्रहण हेतु दी गयी राशि की वापसी में हुई कटौती का वहन करेंगें। (4)

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कन्सेशनायर के अनुरोध पर यूपीडा बोर्ड ने अपनी 17वीं बैठक दिनांक 30.03.2012 में यह निर्णय लिया कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों (बुलन्दशहर, उन्नाव, सन्त रविदास नगर एवं बदायू)से परियोजना के लिए 113 ग्रामों में भूमि अधिग्रहण हेतु निर्गत धनराशि कुल रु0 30,76,04,707.00 को राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अर्न्तगत वापस करने का अनुरोध किया जाए। अब तक जिला बुलन्दशहर, उन्नाव और सन्त रविदास नगर से रु0 13,74,28,285.00 वापस प्राप्त हो चुके है जो कि यूपीडा के पास सुरक्षित है। अवशेष धनराशि की वापस प्राप्ति की कार्यवाही लम्बित है। इसी क्रम में परियोजना हेतु भू–अध्याप्ति मद्व मे कन्सेशनायर द्वारा यूपीडा को प्रदत्त कुल धनराशि रु0 38,90,68,341.00 मे से कन्सेशन एग्रीमेन्ट के आर्टिकल 10.10 के अनुसार यूपीडा द्वारा ग्रहित 1% कार्पस फण्ड हेतु रु0 38,52,161.00 एवं भूमि अधिग्रहण हेतु उपरोक्त जिलो को निर्गत कुल धनराशि रु0 30,76,04,707.00 के समायोजन के पश्चात अवशेष धनराशि रु0 7,76,11,473.00 कन्सेशनायर को दिनांक 28/01/2011 को वापस की जा चुकी है।

15.) निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि कन्सेशनायर ने मूल अनुबन्ध दिनांक 23.08.2008 के नॉन– टेक्निकल शेड्यूल 'P' कि धारा 4 के अनुपालन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंन्ट कन्सलटेन्ट/इन्डीपेन्डेन्ट इन्जीनियर की फीस वा अन्य खर्चो (यथा यूपीडा परिसर में उनके कार्यालय निर्माण/आंतरिक साज–सज्जा हेतु) रु0 107.00 लाख अग्रिम भुगतान जनवरी 2010 में किया गया है। परियोजना के कियान्वयन में अप्रत्याशित विलम्बता/रुकावट के कारण प्रोजेक्ट मैनेजमेंन्ट कन्सलटेन्ट/इन्डीपेन्डेन्ट इन्जीनियर का चयन स्थगित है। इन्डीपेन्डेन्ट इन्जीनियर के कार्यालय निर्माण हेतु यू0पी0 जल निगम की संस्था C&DS को वर्ष 2010 में रु0 98.40 लाख के विभिन्न वर्क आर्डर का कान्ट्रैक्ट दिया गया था। जिसके विरुद्व रु0 74.21 लाख का आंशिक भुगतान माह अक्टूबर 2010 तक कन्सेशनायर से प्राप्त अग्रिम राशि रु 107.00 लाख से किया जा चुका है। कान्ट्रैक्टर से प्राप्त अन्य बिलों का भुगतान, ''कार्य की माप व गुणवत्ता के निरीक्षण हेतु गठित समिति'' के सभी सदस्यो की उपस्थिति ना निश्चित हो पाने के कारण, नही किया जा सका है। कन्सेशनायर से प्राप्त अग्रिम धनराशि 107.00 लाख से रु0 12,80,840/– कन्सेशनायर द्वारा यूपीडा परिसर में उनको उपलब्ध कराए गए कार्यालय भवन हेतु माह अक्टूबर 2011 से माह जुलाई 2013 तक अतिदेय किराए राशि के विरुद्ध कटौती कर के समायोजित की जा चुकी है। अतः यह संम्भावित है कि कान्ट्रैक्टर C&DS को पूर्ण और अंतिम देय धनराशि के भुगतान की राशि कन्सेशनायर से प्राप्त अग्रिम राशि से अधिक हो जिसका भुगतान वर्तमान परिस्थितियों/ प्रस्तावित नवीन अनुबन्ध के निष्पादन के उपरान्त किसको (यूपीडा अथवा कन्सेशनायर) को करना चाहिए, पर निदेशक मण्डल निर्णय लेना चाहें।

16.) उपरोक्त परिस्थितियों के प्रसंग में परियोजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं सम्भावित अग्रेतर कार्यवाही निर्धारण हेतु कन्सेशनायर (मेसर्स जयपी गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि0) के अनुरोध पर उसके प्रतिनिधियों के साथ दिनाकं 12.09.2014 को सम्पन्न बैठक में गहन विचार विर्मश उपरान्त यह सहमति हुई कि न्याय विभाग उ0प्र0 के पत्र दिनांक 02.11.2011 के अनुसार इन्वायरमेन्टल क्लीयेरेन्स लेने में होने वाले विलम्ब के सम्बन्ध में कोई पक्ष उत्तरदायी नहीं है। परियोजना के कियान्वयन में उत्पन्न जटिलताओं मुख्यतः अपेक्षित इन्वायरमेन्टल क्लीयेरेन्स ग्रान्ट होने की समय सीमा के अनिश्चित होने तथा परियोजना के कियान्वयन की अनिश्चित्ता के कारण परियोजना पर वर्तमान कन्सेशन एग्रीमेन्ट के अर्न्तगत पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति न प्राप्त होने के कार्य होना सम्भव नहीं है। अतः परियोजना कियान्वयन हेतु निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेन्टस को पारस्परिक सहमति से निष्प्रभावी करना और दोनो पक्षो को उनके उत्तरदायित्वों से मुक्त करना उचित प्रतीत होता है। तदोपरान्त, कन्सेशनायर द्वारा भू–अधिग्रहण हेतु जमा की गयी धनराशि (after reconciliation) को उसे एक निश्चित अवधि में यूपीडा द्वारा वापस किये जाने का औचित्य बनता है। दोनो पक्षों में इस बात पर भी सहमति हुई कि उपरोक्त सहमति/निष्कर्ष/निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने के पूर्व ऊपरवर्णित बिन्दुओं पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/मा0 मंत्रीपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

17.) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मूल अनुबन्ध दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 एवं परियोजना को तदकम में पारस्परिक सहमति से समय पूर्व त्याग/समाप्त करने हेतु प्रकिया एवं सम्बन्धित अनुबन्ध के आलेख के पुनरीक्षण एवं अभिमत हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री के.एस. राखरा को प्रकरण संदर्भित किया गया था।

18.) अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री के.एस. राखरा ने अपने अभिमत एवं सलाह में यह उल्लेख किया है कि संदर्भित परियोजना हेतु हस्ताक्षरित अनुबन्ध को 6 साल बीत चुके है परन्तु उपयुक्त प्राधिकारी की परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के अभाव में परियोजना अभी केवल अवधारणा चरण में है एवं इसके कियान्वयन में कोई प्रगति नही हुई है। प्रस्तावित परियोजना का कियान्वयन अनिश्चितता में है और इसकी व्यवहार्यता सन्देह में है। अतः इसमे जरा भी सन्देह नही कि मूल अनुबन्ध दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 अपनी उपयोगिता एवं व्यवहार्यता खो चुके है एवं परियोजना भी सार्वजनिक हित की अपनी उपयोगिता खो चुकी है और इसका परित्याग (abandon) किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन/स्वीकृति से कन्सेशन एग्रीमेंन्ट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध 23.11.2011 को रद्द करने में कोई विधिक बाधा नही है ना ही परियोजना को परित्यक्त (abandon) करने में कोई विधिक रूकावट है। अतः सम्बन्धित पक्षों द्वारा कन्सेशन एग्रीमेंन्ट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध 23.11.2011 को आपसी सहमति की शर्तो पर एक नवीन अनुबन्ध (Novation) के माध्यम से अधिकमण अथवा रद्द (supersession or rescission) किया जा सकता है।

सभी तथ्यो एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मा0 श्री राखरा के रिपोर्ट व राय पर विस्तृत चर्चा उपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यूपीडा एवं कन्सेशनायर द्वारा पूर्व में निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंन्ट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 को आपसी सहमति की शर्तो पर अधिकमण अथवा रद्द (supersession or rescission) करना उचित प्रतीत होता है। तदोपरान्त परियोजना के समय संशोधित परियोजना अथवा पूर्व परित्याग हेतु राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने हेतु यूपीडा विधिक रूप से आबद्ध है जैसा कि धारा 41 उ0प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री के.एस. राखरा से प्राप्त नवीन अनुबन्ध (settlement agreement) का आलेख के पृष्ठ स0 4 के पैरा 2 से ''परियोजना के परित्याग''(''.... abandon the project and ") को हटाते हुए यथा संशोधित आलेख प्रसंग संगत है।

निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह संस्तुति प्रदान की गयी कि प्रश्नगत प्रकरण अर्थात यूपीडा एवं कन्सेशनायर द्वारा पूर्व में निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंन्ट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 को आपसी सहमति की शर्तो पर अधिकमण अथवा रद्द (supersession or rescission) करने एवं इस सम्बन्ध में श्री राखरा से प्राप्त यथा संशोधित ''नवीन अनुबन्ध'' (settlement agreement) पर हस्ताक्षर/निष्पादन करने हेतु एवं इस सम्बन्ध में अन्य अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए यूपीडा को अधिकृत करने हेतु मंत्री मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 शासन को प्रेषित/ संदर्भित किया जाए।

बिन्दु (15) पर उल्लिखित विवरण को संज्ञान में लेते हुए निदेशक मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि चूँकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंन्ट कन्सलटेन्ट/इन्डीपेन्डेन्ट इन्जीनियर का चयन नही हुआ है, परियोजना हेतु कन्सेशनायर के साथ अनुष्पादित अनुबन्धो को अधिकमण अथवा रद्द कराना प्रस्तावित है एवं मैनेजमेंन्ट कन्सलटेन्ट/इन्डीपेन्डेन्ट इन्जीनियर हेतु यूपीडा परिसर में निर्माणित कार्यालय का उपयोग यूपीडा के अन्य कार्यकलापों हेतु किया जा रहा है अतः कान्ट्रैक्टर C&DS को देय पूर्ण और अंतिम धनराशि यदि कन्सेशनायर से प्राप्त अग्रिम राशि से अधिक हो तो अतिरिक्त (over & above) राशि का व्यय यूपीडा द्वारा वहन किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु सं0–4 : **'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु परियोजना से आच्छादित जनपदों में भूमि प्राप्त किये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में:–**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि परियोजना की लगभग 82 प्रतिशत भूमि प्राप्त की जा चुकी है जिस पर निदेशक मण्डल द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए परियोजना के पक्ष में शेष भूमि प्राप्त करने के लिए तेजी से कार्य करने की अपेक्षा की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं0 5 : **प्राधिकरण द्वारा इ0पी0सी0 मोड पर क्रियान्वित की जा रही 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' की अद्यतन स्थिति:–**

निदेशक मण्डल द्वारा आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के संबंध में वर्तमान तक की गयी कार्यवाही अवलोकित की गयी तथा निर्देशित किया गया कि परियोजना का कियान्वयन समयबद्ध किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु सं0 6 : **यूपीडा द्वारा क्रियान्वित अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति:–**

यूपीडा द्वारा कियान्वित अन्य परियोजनाओं की अदयतन स्थिति अवलोकित की गयी तथा निर्देशित किया गया कि जो परियोजनएँ वन एवं पर्यावरण की अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण लम्बित हैं उनमें अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही समयबद्ध सुनिश्चित की जाय।

एजेण्डा बिन्दु सं0 7 : **''आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' से सम्बन्धित Enviromental Clearance के सम्बन्ध में।**

निदेशक मण्डल द्वारा आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना में Enviromental Clearance के संबंध में वर्तमान तक की गयी कार्यवाही अवलोकित की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं0 8 : **वित्तीय वर्ष 2014–15 में आय–व्ययक की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में:–**

वित्तीय वर्ष 2014–15 में आय–व्ययक की अद्यतन स्थिति अवलोकित की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं0 9 : तकनीकी सेल में स्टाफ के पदों के सृजन के सम्बन्ध में :–

बोर्ड को अवगत कराया गया कि निदेशक मण्डल की 23वीं बैठक के बिन्दु संख्या–7 में प्राधिकरण के तकनीकी अनुभाग में मात्र मुख्यालय पर आवश्यक पदों का अनुमोदन हुआ था परियोजना के विस्तृत स्वरूप को देखते हुए इसके पांचो पैकेजों के लिए फील्ड स्टाफ की भी आवश्यकता होगी। अतः मुख्यालय एवं फील्ड के लिए आवश्यक पदों का संकलित प्रस्ताव निम्नवत है:–

क्रम सं0	पद का नाम	मुख्यालय पर पदों के सृजन की आवश्यकता	फील्ड में पदों के सृजन की आवश्यकता	कुल पदों के सृजन की आवश्यकता	वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या
1	मुख्य अभियन्ता	01		01	01
2	अधीक्षण अभियन्ता	01		01	01
3	अधिशासी अभियन्ता	02	05	07	03
4	सहायक अभियन्ता	04	15	19	10
5	अवर अभियन्ता (सिविल)	04	30	34	26
6	अवर अभियन्ता (प्राविधिक)	02	-	02	01
7	लिपिक	03	2x5	13	-
8	लेखाकार कम कैशियर	-	1x5	05	-
9	कम्प्यूटर आपरेटर	05	1x5	10	03
10	अनुसेवक	05	4x5	25	02
11	चौकीदार	-	2x5	10	-
12	स्वीपर (अंश कालिक)	-	1x5	05	-
	योग	**27**	**105**	**132**	**47**

अतः उपर्लिखित आवश्यक पदों के सृजन की सहमति प्रदान करते हुए निदेशक मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हेतु उ0प्र0 शासन को भेजने की अपेक्षा की गई।

(8)

एजेण्डा बिन्दु सं0 10 : **वित्त नियंत्रक, यूपीडा का पद पे–बैण्ड–4 में ग्रेड–पे 8900 करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में :–**

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि परियोजना के कार्यो की बढ़ोत्तरी एवं परियोजना के बजट को देखते हुए UPSHA (Uttar Pradesh State Highway Authority) एवं R.R.D.A. की भांति पे–बैण्ड– 4 में 8900 ग्रेड–पे में स्वीकृत किये जाने हेतु शासन को संस्तुति भेजा जाना प्रस्तावित है। अभी तक यूपीडा में वित्त नियंत्रक का पद 8700 ग्रेड–पे का स्वीकृत है।

प्रस्ताव से सहमत होते हुए वित्त नियंत्रक के पद का वेतन ग्रेड–पे 8900 करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने की अपेक्षा की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं0 11: **आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' के 'इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेण्ट एण्ड कन्सट्रक्शन' (इ0पी0सी0) पद्धति पर कियान्वयन के लिए अथारिटी इंजीनियर के चयन के सम्बन्ध में:–**

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग–3 के शासनादेश सं0 2096/77–3–14–2 यूपीडा/12 दिनांक 05.11.2014 के क्रम में 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' के 'इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेण्ट एण्ड कन्सट्रक्शन' (इ0पी0सी0) पद्धति पर कियान्वयन के लिए अथारिटी इंजीनियर के चयन हेतु दिनांक 10.11.2014 को तकनीकी एवं वित्तीय बिड प्राप्त कर तकनीकी बिड दिनांक 10.11.2014 को प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' के समक्ष खोली गई। तकनीकी बिड का मूल्यांकन कर परिणाम 25.11.2014 को प्रकाशित किये जाएंगे। तत्पश्चात दिनांक 10.11.2014 को प्राप्त वित्तीय बिड को दिनांक 28.11.2014 को खोला जाएगा। दिनांक 16.12.2014 को अथारिटी इंजीनियर के Appointment का एग्रीमेन्ट गठित किया जाना निर्धारित है।

बोर्ड द्वारा अथारिटी इंजीनियर के चयन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा वर्तमान तक की गयी कार्यवाही अवलोकित एवं अनुमोदित की गयी। अग्रेतर कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराने की अपेक्षा की गयी।

अन्त में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

प्राधिकरण बोर्ड की 24वीं बैठक, दिनांक 18.11.2014 का उपर्लिखित कार्यवृत्त पर अध्यक्ष महोदय कृपया अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

(नवनीत सहगल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

वित्त नियंत्रक/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.01.2015 को सम्पन्न हुई 25वीं बैठक के कार्यवृत्त का निम्न आलेख्य तैयार कर अनुमोदित किये जाने हेतु प्रस्तुत है :–

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.01.2015 को सम्पन्न हुई 25वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री नवनीत सहगल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा – अध्यक्ष
2. श्री ओम प्रकाश पाठक, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन – सदस्य
3. श्री अजय कुमार शुक्ला, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग) – सदस्य
4. श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी, उप सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त) – सदस्य
5. श्री कृपा शंकर शुक्ल, अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास) – सदस्य
6. श्री आशुतोष निरंजन, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा – सदस्य सचिव

एजेण्डा बिन्दु संख्या 1 :– यूपीडा के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.11.2014 को सम्पन्न हुई 24वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.11.2014 को सम्पन्न हुई 24वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 2 :– यूपीडा के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.11.2014 को सम्पन्न 24वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.11.2014 को सम्पन्न हुई 24वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3 :– 'लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' के परामर्शी चयन हेतु तैयार किये गये ड्राफ्ट 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल द्वारा 'लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेन्ट तथा कन्सट्रक्शन पद्धति पर कियान्वयन हेतु परामर्शी संस्था का चयन किये जाने के लिए तैयार किये गये ड्राफ्ट 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' का विस्तृत विचारोपरान्त सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। निदेशक मण्डल द्वारा इस परियोजना को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेन्ट तथा कन्सट्रक्शन पद्धति पर कियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 04 :– प्राधिकरण द्वारा इ0पी0सी0 मोड पर क्रियान्वित की जा रही 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' की अद्यतन स्थिति।

निदेशक मण्डल द्वारा 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' के सम्बन्ध में वर्तमान तक की गयी कार्यवाही अवलोकित की गयी तथा निर्देशित किया कि परियोजना का कियान्वयन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाय।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 05 :– यूपीडा द्वारा क्रियान्वित अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति।

निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा क्रियान्वित अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत हुआ।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 06 :– 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' हेतु यूपीडा के भूमि अध्याप्ति/विधि अनुभाग में संविदा पर की गयी नियुक्ति के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल द्वारा 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' हेतु यूपीडा के भूमि अध्याप्ति/विधि अनुभाग में निम्नवत् पद पर संविदा के आधार पर रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया:–

1. सहायक (विधि) – एक पद
2. तहसीलदार – एक पद
3. स्पेशल फील्ड आफीसर – एक पद

उपरोक्त के कम में निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि श्री धर्मपाल सिंह सिसोदिया तहसीलदार के रुप में यूपीडा में दिनांक 18.12.2014 से कार्यरत हैं तथा श्री योगेश नाथ लाल स्पेशल फील्ड आफिसर के रूप में दिनांक 31.12.2014 से कार्यरत हैं।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 07 :– "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना" हेतु परियोजना से आच्छादित जनपदों में भूमि प्राप्त किये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' की लगभग 90 प्रतिशत भूमि प्राप्त की जा चुकी है जिस पर निदेशक मण्डल द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए पारियोजना के पक्ष में शेष भूमि प्राप्त करने लिये समयबद्ध रुप से कार्य करने की अपेक्षा की गयी।

अन्य बिन्दु – अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

1. यूपीडा में कार्यरत प्रबन्धक (तकनीकी), श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव के दिनांक 31.01.2015 को सेवानिवृति होने के पश्चात् यूपीडा में रिटेनरशिप आधार पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

   निदेशक मण्डल द्वारा श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, प्रबन्धक (तकनीकी), जो पिकप से यूपीडा में सम्बद्ध है, के दिनांक 31.01.2015 को अधिबर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 01.02.2015 से 02 वर्ष की अवधि के लिये यूपीडा के कार्यो हेतु कार्यहित में प्रबन्धक (तकनीकी) के पद पर (दिनांक 31.01.2015 को उनके द्वारा आहरित कुल वेतन में से देय पेंशन की धनराशि घटाते हुए तथा दिनांक 31.01.2015 को यूपीडा से अनुमन्य समस्त भत्तों की धनराशि सहित) रिटेनरशिप आधार पर रखे जाने का निर्णय लिया गया।

2. यूपीडा में कार्यरत सलाहकार (पी0पी0पी0 परियोजनाओं), श्री प्रभात कुमार के कार्यकाल में बढोत्तरी के सम्बन्ध में।

श्री प्रभात कुमार, जो कि यूपीडा में सलाहकार (पी0पी0पी0 परियोजनाओं), के पद पर दिनांक 07 अगस्त 2014 से प्रथमतः 6 माह की अवधि के लिये तदर्थ आधार पर कार्यरत है, का कार्यकाल दिनांक 06 फरवरी 2015 को पूर्ण हो रहा है। यूपीडा में उक्त कार्यकाल में उनके द्वारा प्रदान की गयी विशिष्ट सेवाओं तथा भविष्य में उनके द्वारा सलाहकार (पी0पी0पी0 परियोजनाओं) में प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत, श्री प्रभात कुमार का कार्यकाल सलाहकार (पी0पी0पी0 परियोजनाओं) के पद पर पूर्व में स्वीकृत वेतन, अन्य अनुमन्य भत्ते एवं सुविधाओं पर दिनांक 07 फरवरी 2015 से यूपीडा के कार्यों हेतु कार्यहित में 01 वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाये जाने के लिये यूपीडा बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. प्राधिकरण में प्रबन्धक (पर्यावरण) के पद का सृजन करने एवं नियुक्ति के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' हेतु 'स्टेट लेवल इम्वायरनमेंट इम्पैक्ट असेस्मेंट अथारिटी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 1713/पर्या/एसईएसी/2046/2013/डीडीवाई दिनांक 03.11.2014 द्वारा जारी पर्यावरणीय क्लीयरेंस के जनरल कन्डीशन्स के बिन्दु संख्या–4 के अनुसार "The project proponent will setup separate environmental management cell for effective implementation of the EMP etc. as well as stipulated environmental safeguards under the supervision of Sr. Experienced Executive." इम्वायरनमेंटल क्लीयरेंस हेतु पर्यावरण निदेशालय को प्रस्तुत की गयी Environment Impact Assessment Report के चैप्टर–9 के बिन्दु संख्या–9.2 Environment Cell, UPEIDA के अन्तर्गत एक प्रबन्धक (पर्यावरण) नियुक्त करने का प्राविधान रखा गया है। प्रबन्धक (पर्यावरण) की अर्हता Environmental Science / Environmental Management/Ecology / Environmental Planning / Environmental Engineering में Post Graduate तथा हाइवे या एक्सप्रेसवे के EMP के implementation के पर्यवेक्षण में 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त के क्रम में यूपीडा में प्रबन्धक (पर्यावरण) के पद पर संविदा के आधार पर रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय एवं प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.01.2015 को सम्पन्न हुई 25वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त पर निदेशक मण्डल के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा से अनुमोदन हेतु अनुरोध करना चाहें।

15.1.15

14-1-15

14/01/15

(आशुतोष निरंजन)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

CEO

14/1

(नवनीत सहगल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.06.2015 को सम्पन्न हुई 26वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री नवनीत सहगल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा	–	अध्यक्ष
2. श्री आशुतोष निरंजन, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा	–	सदस्य सचिव
3. श्री देवी प्रसाद, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	–	सदस्य
4. श्री अरविन्द सिंह, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग)	–	सदस्य
5. श्री ए0सी0 द्विवेदी, उप सचिव वित्त उ0 प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त)	–	सदस्य
6. श्री के0एस0 शुक्ला, उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास)	–	सदस्य
7. श्री जय प्रकाश त्रिपाठी, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त)	–	सदस्य
8. श्री अशोक कनौजिया, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उ0 प्र0 शासन।	–	सदस्य

विशेष आमंत्री:–

1. श्री राम सिंहासन प्रेम, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा
2. श्री विश्वदीपक, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा
3. श्री एस0के0 गुप्ता, वित्त नियंत्रक, यूपीडा
4. श्री जी0एस गोयल, मुख्य वास्तुविद नियोजक, यूपीडा
5. श्री ओ0पी0 गुप्ता, परियोजना निदेशक वन, यूपीडा
6. श्री अनुप श्रीवास्तव, प्रबन्धक (तकनीकी), यूपीडा
7. श्री के0के0 पाण्डे, प्रबन्धक (वित्त), यूपीडा
8. श्री हेमन्त चौहान, स्टाफ ऑफिसर (तकनीकी), यूपीडा
9. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 1:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.01.2015 को सम्पन्न हुई 25वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

प्राधिकरण के निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.01.2015 को सम्पन्न **25वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।**

<u>एजेण्डा बिन्दु संख्या0 2:-</u> **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.01.2015 को सम्पन्न 25वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.01.2015 को सम्पन्न हुई **25वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।**

<u>एजेण्डा बिन्दु संख्या0 3:-</u> **"आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना को ई0पी0सी0 पद्धति पर कियान्वित करने हेतु फील्ड ऑफिस स्थापित करने तथा फील्ड ऑफिस हेतु अतिरिक्त कर्मचारियों तथा संचालन व्यय आदि से संबंधित आवश्यकता के संबंध में।"**

निदेशक मण्डल को आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे(ग्रीन फील्ड)परियोजना को ई0पी0सी0 पद्धति पर कियान्वित करने हेतु फील्ड ऑफिस स्थापित करने तथा फील्ड ऑफिस हेतु अतिरिक्त कर्मचारियों तथा संचालन व्यय आदि से संबंधित आवश्यकता के संबंध में अवगत कराया गया। **निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर कार्यालय भवन व्यवस्था में प्रस्तुत संशोधित क्षेत्रफल व किराया एवं साज सज्जा हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव कम सं0 1 से 6 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।** पी0आई0यू0 हेतु प्रस्तावित वाहन के किराये का **अनुमोदन प्रदान करते हुए यह निर्णय भी लिया गया कि पी0ओ0एल0 की स्वीकृति प्रथक से ना दी जाए किन्तु कार्यहित में वाहन में जो पी0ओ0एल0 उपयोग होगा उसकी प्रतिपूर्ती कन्टिनजेन्सी मद में वास्तिविक आधार पर कि जायें। पी0ओ0एल0 के अतिरिक्त कार्यालय संचालन हेतु प्रतिमाह 0.25 लाख की धनराशि अनुमोदित की जायें।**

<u>एजेण्डा बिन्दु सख्यां0 04:-</u> **"आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के दोनों ओर क्षेत्र में टाऊनशिप के विकास हेतु उक्त क्षेत्र/ग्रामों को प्राधिकरण का विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में "**

निदेशक मण्डल को आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के दोनों ओर क्षेत्र में टाऊनशिप के विकास हेतु उक्त क्षेत्र/ग्रामों को प्राधिकरण का विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रचलित कार्यवाही से अवगत कराया गया एवं अवगत कराया गया कि उपरोलिखित विषय से सम्बन्धित प्रस्ताव यूपीडा बोर्ड की बैठक दिनांक 01.10.14 में एजेण्डा बिन्दु सं0-10 पर प्रस्तुत किया गया था जिस पर निम्न निर्णय पारित किया गया:-उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुये एक्सप्रेसवे के दोनों ओर रिबन डेवलपमेन्ट हेतु व कम से कम दो स्थलों पर टाऊनशिप के विकास हेतु उक्त क्षेत्रों/ग्रामों को प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा परिक्षणोंपरान्त निर्णय लेने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किये जाने का भी निर्णय लिया गया।"

एजेण्डा बिन्दु संख्या–07:– **यूपीडा द्वारा क्रियान्वित अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति**

निदेशक मण्डल द्वारा यूपीडा द्वारा क्रियान्वित अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए निम्नवत् निर्देशित किया गया:–

1. एक्सप्रेसवे परियोजना 'झाँसी – कानपुर– लखनऊ – गोरखपुर – कुशीनगर एक्सप्रेसवे परियोजना' तथा 'बिजनौर–मुरादाबाद–फतेहगढ़' के विकास हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने हेतु शासन से दिशा–निर्देश प्राप्त कर लिया जाये तथा अगली बैठक में बोर्ड को अवगत कराया जाये।
2. एक्सप्रेसवे परियोजना 'अपर गंगा कैनाल के दांये तट पर सनौटा ब्रिज (बुलन्दशहर) से उ0प्र0 – उत्तराखण्ड सीमा के पूर्व पुरकाजी (मुजफ्फरनगर) के निकट तक 08–लेन प्रवेश नियत्रिंत एक्सप्रेसवे परियोजना' का भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में लम्बित प्रस्ताव का अनुसरण किया जाये और वस्तुस्थिति से अगली बैठक में बोर्ड को अवगत कराया जाये।

एजेन्डा बिन्दु संख्या–08:– **यूपीडा में संविदा पर की गई नियुक्तियों का अनुमोदन प्राप्त किया जाना**

यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष महोदय) द्वारा अवगत कराया गया कि यूपीडा का अपना कोई नियमित अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त नही है अपितु राजकीय सेवा एवं राजकीय उपक्रमो से प्रतिनियुक्ति एवं सम्बद्धता के आधार पर कर्मचारी/अधिकारी नियुक्त है। यूपीडा में परियोजना को समय से पूर्ण कराने की प्रतिबद्धता एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टि गत राजकीय सेवा एवं राजकीय उपकमों से अवकाश प्राप्त कर्मियों को संविदा पर नियुक्त किया गया है, जिनके विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	नियुक्तिआदेश संख्या/तिथि
1.	श्री देवी शंकर शर्मा	सलाहकार (भूमि अध्याप्ति	09.06.2016 तक	210/14/17 II दि 10.06.2014
2.	के0 के0 सिंह विसेन	विशेष कार्याधिकारी, ए0सी0ई0ओ0	02.04.2016 तक	1931/405/15 दि0 30.01.2015
3.	श्री हेमन्त कुमार चौहान	स्टाफ ऑफिसर (टी0) सी0ई0ओ0	11.02.2016 तक	2336ए/15/434 12.03.2015
4.	श्री राकेश मेहरोत्रा	विशेष कार्याधिकारी, सी0ई0ओ0	14-12-2015 तक	568/474/15 दि. 11-6-2015
5.	श्री सन्त प्रसाद तिवारी	प्रबन्धक प्रशासन	09.06.2016 तक	211/14/17 दि0 10.06.2014
6.	श्री प्रकाश नारायण	प्रबन्धक (पर्यावरण)	28.11.2015	470/393/15 दि0 29.05.2015
7.	श्री प्रवीन कुमार तिवारी	विधिक सलाहकार	16.01.2016 तक	1869/345/14 दि0 27.01.2015

8.	श्री योगेश नाथ लाल	स्पेशल फील्ड ऑफिसर	22.06.2015 तक	1638 / 350 / 14 दि0 31.12.2014
9.	श्री धर्मपाल सिंह सिसौदिया	तहसीलदार	18.06.2015 तक	1536 / 350 / 14 दि0 18.12.2014
10.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	जनसम्पर्क अधिकारी	21.08.2015 तक	664 / 14 / 286 दि0 22.08.2014
11.	श्री श्याम शंकर शुक्ला	सहायक प्रबंधक (वित्त)	11.08.2015 तक	606 / 14 / 261 दि0 12.08.2014
12.	श्री राजेश कुमार सक्सेना	सहायक प्रबंधक (वित्त)	10.08.2015 तक	595 / 14 / 257 दि0 11.08.2014
13.	श्री दिनेश चन्द्र सक्सेना	सहायक प्रबंधक (वित्त)	26.06.2015 तक	339 / 14 / 247 दि0 26.06.2014
14.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	लेखाकार	13.10.2015 तक	1008 / 14 / 334 दि 14.10.2014
15.	श्री के0डी0 शर्मा	लेखाकार	19.11.2015 तक	1278 / 14 / 357 दि0 20.11.2014
16.	श्री राधेश्याम गुप्ता	आडीटर / लेखाकार	18.07.2015 तक	1814 / यूपीडा / 360 / 2014 / अधि0दि0 19.01.2015
17.	श्री संतोष कुमार चतुर्वेदी	आडीटर / लेखाकार	22.07.2015 तक	1852 / यूपीडा / 360 / 2014 / अधि0 दि0 22.01.2015
18.	श्री रमेश चन्द्र वैशवार	राजस्व निरीक्षक	30.06.2015 तक	937 / 14 / 286 दि0 01.10.2014
19.	श्री शिव प्रसाद निगम	रजिस्ट्रार / कानूनगो	25.08.2015 तक	686 / 14 / 304 दि0 26.08.2014
20.	श्री के0एन0 निगम	लेखा लिपिक	19.10.2015 तक	1053 / 14 / 335 दि0 20.10.2014
21.	श्री महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	लेखा लिपिक	25.06.2015 तक	1611 / 14 / 350 दि0 26.12.2014
22.	श्री राम चन्द्र मौर्य	लिपिक	14.11.2015 तक	2043 / 14 / 351 दि0 14.11.2014
23.	अकमल हुसैन	लेखाकार कम कैशियर	20.07.2015 तक	1821 / 14 / 360 दि0 20.01.2015
24.	श्री विजय सिंह	लेखाकार कम कैशियर	30.07.2015 तक	1865 / टी0सी0 / 14 / दि0 23.01.2015
25.	श्री वीरेन्द्र कुमार वैजल	लेखाकार कम कैशियर	28.07.2015 तक	1864 / टी0सी0 / 14 / दि0 23.01.2015
26.	श्री दामोदर सिंह	लेखाकार कम कैशियर	30.07.2015 तक	1866 / टी0सी0 / 14 / दि0 23.01.2015
27.	श्री राम बरन यादव	लेखाकार कम कैशियर	10.09.2015 तक	2191 / टी0सी0 / 14 / दि0 09.03.2015
28.	श्री राम सुधार यादव	वरिष्ठ सहायक	22.06.2015 तक	321 / 14 / 243 दि0 23.06.2014
29.	श्री प्रीतम सिंह	वरिष्ठ सहायक	23.08.2015 तक	2105 / 15 / 426 दि0 23.02.2015
30.	श्री विनीत प्रकाश ओझा	सहायक (विधि)	13.05.2015 तक	2008 / 14 / 39ए दि0 12.11.2014

31.	श्री काली चरन	डाक रनर	01.08.2015 तक	1947/15/406 दि0 02.02.2015
32.	श्री भोला नाथ यादव	डाक रनर	28.11.2015 तक	451/467/15 दि0 28.05.2015

निदेशक मण्डल सदस्यों को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची अवलोकित करायी गई, सदस्यों ने संविदा नियुक्तियों का अनुमोदन किया।

<u>एजेण्डा बिन्दु संख्या–09</u>:– **उत्तर प्रदेश शासन की शीर्षस्थ प्राथमिकता में सम्मिलित 'आगरा से लखनऊ नियंत्रित एक्सप्रेस वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' को ई0पी0सी0 पद्धति पर समयबद्ध विकसित/ कियान्वित/पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत/आबंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।**

निदेशक मण्डल के समक्ष वित्त नियंत्रक द्वारा यूपीडा की आर्थिक स्थिति एवं आय व्यय विवरण निम्नवत् प्रस्तुत किये गए

1. वित्तीय वर्ष 2013–2014 के आय–व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या–7 में परियोजना के पक्ष उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत/आबंटित धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित जनपदों में भूमि अधिग्रहण हेतु/भूमि मद में सम्बन्धित जिलाधिकारियों को धनराशि रु0 488. 71 करोड़ निम्नवत् स्वीकृत/आबंटित की गई :–

कम संख्या	जनपद	रु0 करोड़ में
1	आगरा	122.65
2	फिरोजाबाद	48.14
3	इटावा	36.44
4	मैनपुरी	41.53
5	कन्नौज	87.69
6	औरैया	5.62
7	उन्नाव	80.57
8	कानपुर नगर	26.70
9	हरदोई	2.09
10	लखनऊ	37.28
	योग	**488.71**

3. वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजट में धनराशि रु0 3280.00 करोड़ (अनुदान संख्या–07 में रु0 2680.00 करोड़ + अनुदान संख्या–83 में रु0 600.00 करोड़) प्राविधानित थी। यूपीडा के शीर्ष प्रबन्ध के प्रयासों से परियोजना के समयबद्ध कियान्वयन हेतु उ0प्र0 शासन ने अतिरिक्त धनराशि रु0 643.60 करोड़ (अनुदान संख्या–83 में रु0 191.60 करोड़ + अवस्थापना विकास कोष में धनराशि रु0 452.00 करोड़) स्वीकृत/आबंटित की। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2014–15 में उ0प्र0 शासन ने परियोजना के पक्ष में कुल धनराशि रु0 3923.60 करोड़ (अनुदान संख्या–07 में धनराशि रु0 2680.00 करोड़ + अनुदान संख्या–83 में धनराशि रु0 791.60 करोड़ + अवस्थापना विकास कोष में धनराशि रु0 452.00 करोड़) निम्नवत् स्वीकृत/आबंटित की :–

क्र0सं0	रु0 करोड़ में	टिप्पणी

क्र0सं0	रू0 करोड़ में	टिप्पणी
1.	2,355.84	परियोजना के पक्ष में भूमि अधिग्रहण हेतु/भूमि मद में उ0प्र0 शासन द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों के पी0एल0ए0 खाते में सीधे भुगतान किया।
2.	905.52	उ0प्र0 शासन द्वारा यूपीडा के पक्ष में स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित निर्माणकर्ताओं के बैंक खाते में कोषागार से सीधे भुगतान किया गया।
3.	662.24	परियोजना सम्बन्धित कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रेषित मांगों के भुगतान हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा यूपीडा के पक्ष में स्वीकृत धनराशि उपयोग/व्यय की गई ।
योग	**3,923.60**	

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में उ0प्र0 शासन द्वारा परियोजना के पक्ष में स्वीकृत/आवंटित धनराशि निम्नवत उपयोग/व्यय की गई :–

क्रम संख्या	विवरण	रू0 करोड़ में	टिप्पणी
1	भूमि अधिग्रहण हेतु/भूमि मद में	2,355.84	सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के पी0एल0ए0 खाते में उ0प्र0 शासन द्वारा सीधे भुगतान किया गया।
2	मोबिलाईजेशन एडवांस	905.52	सम्बन्धित निर्माणकर्ताओं के खाते में कोषागार से सीधे भुगतान किया गया।
		441.39	अवस्थापना विकास कोष से यूपीडा के पक्ष में स्वीकृत/आवंटित धनराशि से यूपीडा द्वारा सम्बन्धित निर्माणकर्ताओं को भुगतान किया गया।
3	चार रेल उपगामी सेतु/विभिन्न यूटिलिटी शिफ्टिंग/अथारिटी इंजीनियर/कंसलटेन्सी सेवा/परियोजना सम्बन्धित अन्य व्यय/भुगतान हेतु।	212.10	उ0प्र0 शासन द्वारा यूपीडा के पक्ष में स्वीकृत/आवंटित धनराशि से सम्बन्धित विभागों, अथारिटी इन्जीनियर, कन्सलटेंट एवं परियोजना सम्बन्धित विविध/अन्य व्ययों का भुगतान यूपीडा द्वारा किया गया।
4	यूपीडा के कार्य संचालन हेतु।	8.75	उ0प्र0 शासन द्वारा यूपीडा के पक्ष में स्वीकृत/आवंटित धनराशि से यूपीडा के प्रशासनिक आदि व्ययों का भुगतान किया गया।
	कुल उपयोग/भुगतान	**3,923.60**	

3. वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए उ0प्र0 शासन बजट में धनराशि रू0 3,000.00 करोड़ का प्राविधान निम्नवत् स्वीकृत किया है :–

क्रम संख्या	विवरण	रू0 करोड़ में
1	अनुदान संख्या–7	2,100.00
2	अनुदान संख्या–83	900.00
	योग	**3,000.00**

गत वर्ष की भांति अवस्थापना विकास कोष से भी धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में परियोजना से सम्बन्धित यूटीलिटी शिफ्टिंग, सड़क निर्माण एवं अन्य कार्य तीव्र गति से प्रगति में हैं। परियोजना के समयबद्ध कियान्वयन हेतु संरेखण के अर्न्तगत भूमि अधिग्रहण/भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के मद में, विभिन्न यूटीलिटी शिफ्टिंग, सड़क निर्माण एवं निर्माणकर्ताओं हेतु समय–समय पर की जाने वाली त्वरित मांगों के भुगतान हेतु उपरोक्त इंगित प्राविधानित बजट धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 में उ0प्र0 शासन द्वारा परियोजना के पक्ष में स्वीकृत/आबंटित धनराशि का उपयोग भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

संरेखण के अर्न्तगत भूमि अधिग्रहण/भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के मद में, विभिन्न यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं परियोजना से सम्बन्धित अन्य आकस्मिक व्ययों हेतु प्रशासकीय विभाग को निम्न धनराशियां (कुल योग–रु0 229.51 करोड़) अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया जा चुका है :–

1. <u>अनुदान संख्या–83(एस0सी0पी0) के तहत</u> (रु0 104.51 करोड़) :–

रु0 40.40 करोड़– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ के पक्ष में परियोजना की सिविल लागत के अर्न्तगत किये गये व्यय रु0 1,346.9125 करोड़ के सापेक्ष यूपीडा को देय 3 प्रतिशत एजेन्सी चार्जेज।
पत्रांक 253/यूपीडा/08/147 दिनांक 06.05.2015 द्वारा।

रु0 47.29 करोड़– जिलाधिकारी, लखनऊ के पक्ष में जनपद लखनऊ में भूमि अधिग्रहण हेतु।
पत्रांक 365/यूपीडा/08/216 दिनांक 19.05.2015 के द्वारा।

रु0 15.57 करोड़– जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पक्ष में परियोजना के संरेखण के अर्न्तगत जनपद कानपुर नगर में भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के मद में।
पत्रांक 536/यूपीडा/08/147 दिनांक 09.06.2015 के द्वारा।

रु0 01.25 करोड़– जिलाधिकारी, हरदोई के पक्ष में जनपद हरदोई में भूमि अधिग्रहण हेतु।
पत्रांक 365/यूपीडा/08/216 दिनांक 19.05.2015 के द्वारा।

2. <u>अवस्थापना विकास कोष के तहत</u> :–

रु0 125.00 करोड़–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ के पक्ष में परियोजना की विभिन्न यूटीलिटी शिफ्टिंग हेतु।
पत्रांक 363/यूपीडा/08/147 दिनांक 19.05.2015 के द्वारा।

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त आय व्यय विवरण को संज्ञान में लिया गया है एवं उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(19)

एजेण्डा बिन्दु संख्या–10:– अन्य बिन्दु

बोर्ड बैठक में अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रकरण

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि यूपीडा के विशिष्ट कार्य उत्तर दायित्वों के निर्वाहन हेतु वित्तीय तकनीकि विधाओं के कर्मियों की आवश्यकता होती है, एवं इन कार्यो हेतु नियुक्त संविदा पर कार्यरत कर्मियों का कार्य काल समय–समय पर बढाया जाना आवश्यक है उपरोक्त पृष्ट–भूमि में अन्य बिन्दुओं के अर्न्तगत निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए–

10.(1) यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या–2089/यूपीडा/424/2015/अधि0 दिनांक 20.02.2015 द्वारा श्री कृष्ण कुमार गुप्ता सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड की नियुक्ति यूपीडा में 'सलाहकार (वित्तीय संस्थान)' के पद पर छः माह के लिए संविदा पर की गई थी। श्री गुप्ता द्वारा अपने व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 21.05.2015 से उक्त पद पर पूर्णकालिक सेवाएं उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त किए जाने के फलस्वरूप श्री गुप्ता की रिटेनरशिप पर नियुक्ति का अनुमोदन यूपीडा बोर्ड से प्राप्त किया जाना है।

10.(2) यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या–470/यूपीडा/393/15/अधि0 दिनांक 29.05.2015 द्वारा श्री प्रकाश नारायण टण्डन सेवानिवृत्त पर्यावरण अभियंता (उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) की प्राधिकरण की आवश्यकता के दृष्टिगत पर्यावरण प्रकोष्ठ में प्रबन्धक (पर्यावरण) के पद पर वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अथवा अधिकतम 6 माह के लिए संविदा पर की गयी नियुक्ति का अनुमोदन यूपीडा बोर्ड से प्राप्त किया जाना है।

10.(3) मुख्यालय स्तर पर एक आडिट सेल के गठन के अर्न्तगत जनपदीय लेखों को सुव्यवस्थित कराने के कार्य हेतु दो आडीटर/लेखाकार की संविदा पर नियुक्ति हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कार्यहित में अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसके कम में दो ऑडीटर/लेखाकार की संविदा पर नियुक्ति की गई है। उपरोक्त के कम में आडिट सेल के गठन का अनुमोदन यूपीडा बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है।

10.(4) के0के0 सिंह विसेन विशेष कार्याधिकारी के पद का अनुमोदन एवं संविदा नियुक्ति की अवधि एक वर्ष और बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

10. श्री दिनेशचन्द्र सक्सेना सहायक प्रबन्धक (लेखा) कि नियुक्ति अवधि 26.06.2015 से **2 वर्ष** के लिए दिनांक 26.06.2017 तक कार्यालय आदेश पत्रांक 594/यूपीडा /247/14/अधि0 दिनांक 16 जून 2015 द्वारा बढ़ा दी गयी है, उक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

निदेशक मण्डल को एजेण्डा बिन्दु 10(5–I) अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु यूपीडा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को यूपीडा के पूर्व आदेश संख्या 826/यूपीडा/14 दिनांक 09.09.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराया जाना है जिसके विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	यूपीडा में योगदान की तिथि	सुविधा/प्रतिपूर्ति	
				पेट्रोल व्यय	मोबाइल व्यय
1.	श्री हेमन्त कुमार चौहान	स्टाफ ऑफिसर (टी) सी0ई0ओ0	12.03.2015	–	1000.00
2.	श्री के0के0 सिंह विसेन	विशेष कार्याधिकारी ए0सी0ई0ओ0	03.02.2015	–	1000.00
3.	श्री के0के0 गुप्ता	सलाहकार (वित्तीय संस्थान)	20.02.2015	–	1000.00
4.	श्री योगेश नाथ लाल	स्पेशल फील्ड ऑफिसर	23.12.2014	120 ली0	1000.00
5.	धर्मपाल सिंह सिसौदिया	तहसीलदार	18.12.2014	100 ली0	500.00
6.	श्री राधेश्याम गुप्ता	ऑडीटर/लेखाकार	19.01.2015	50 ली0	400.00
7.	श्री संतोष कुमार चतुर्वेदी	ऑडीटर/लेखाकार	22.01.2015	50 ली0	400.00
8.	श्री राम चन्द्र मौर्य	लिपिक	15.11.2014	35 ली0	400.00
9.	श्री काली चरन	डाक रनर	02.02.2015	35 ली0	300.00

उपरोक्त से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

निदेशक मण्डल को एजेण्डा बिन्दु 10(5–II) यह भी अवगत कराया गया है कि मुख्य कार्य पालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 01.05.2015 को लिए गये निर्णय के अन्तर्गत यूपीडा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अभियंताओं को अनुमन्य करायी जाने वाली सुविधायें जिनके विवरण निम्नवत् है:–

क्र0सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	तैनाती स्थल	अनुमन्यता की तिथि	सुविधा/प्रतिपूर्ति	
					पेट्रोल व्यय	मोबाइल व्यय
1.	श्री खेम चन्द्र जैन	अधिशासी अभियंता	पी0आई0यू0–आगरा	08.01.2015	वाहन	1000.00
2.	श्री अनन्त कुमार शर्मा	अधिशासी अभियंता	पी0आई0यू0–शिकोहाबाद	09.01.2015	वाहन	1000.00
3.	श्री कैलाश कुमार सिंह	सहायक अभियंता	पी0आई0यू0–आगरा	09.09.2014	वाहन	500.00
4.	श्री बुद्धि सागर सिंह	सहायक अभियंता	पी0आई0यू0–शिकोहाबाद	24.12.2014	वाहन	500.00
5.	श्री विशाल पाण्डेय	सहायक अभियंता	पी0आई0यू0–लखनऊ	09.09.2014	वाहन	500.00
6.	श्री रवीन्द्र जायसवाल	सहायक अभियंता	पी0आई0यू0–आगरा	01.01.2015	वाहन	500.00
7.	श्री सतीश कुमार	सहायक अभियंता	पी0आई0यू0–इटावा	21.01.2015	वाहन	500.00
8.	श्री अम्बुज कुमार सिंह	सहायक अभियंता	पी0आई0यू0–इटावा	06.02.2015	वाहन	500.00
9.	श्री शफीक अहमद	सहायक अभियंता	यूपीडा मुख्यालय	05.02.2015	100 ली0	500.00
10.	श्री महेश चन्द्र मिश्र	सहायक अभियंता	यूपीडा मुख्यालय	06.02.2015	100 ली0	500.00
11.	श्री सुनील कुमार शंकरवाल	सहायक अभियंता	पी0आई0यू0–इटावा	09.09.2014	वाहन	500.00
12.	श्री मो0 जुबैर अंसारी	सहायक अभियंता	पी0आई0यू0–आगरा	09.09.2014	वाहन	500.00

13.	श्री रोशन सिंह	सहायक अभियंता	पी0आई0यू0–शिकोहाबाद	21.01.2015	वाहन	500.00
14.	श्री शिव नायक सिंह	अवर अभियंता	पी0आई0यू0–इटावा	09.09.2014	60 ली0	500.00
15.	श्री ह्रदय नाथ चौबे	अवर अभियंता	पी0आई0यू0–शिकोहाबाद	09.09.2014	60 ली0	500.00
16.	श्री आशीष कुमार शर्मा	अवर अभियंता	पी0आई0यू0–आगरा	09.09.2014	60 ली0	500.00
17.	श्री नीरज प्रताप सिंह	अवर अभियंता	पी0आई0यू0–आगरा	10.02.2015	60 ली0	500.00
18.	श्री देवेश कुमार सिंह	अवर अभियंता	पी0आई0यू0–आगरा	03.02.2015	60 ली0	500.00
19.	श्री श्रवण कुमार पाल	अवर अभियंता	पी0आई0यू0–शिकोहाबाद	09.09.2014	60 ली0	500.00
20.	श्री राजेन्द्र सिंह	अवर अभियंता	पी0आई0यू0–इटावा	06.02.2015	60 ली0	500.00

उपरोक्त से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

निदेशक मण्डल को एजेण्डा बिन्दु 10(5–III) पर अवगत कराया गया कि यूपीडा के पांचों पी0आई0यू0 में तैनात समस्त सहायक अभियंताओं को वाहन सुविधा अनुमन्य कराये जाने तथा पी0आई0यू0 में तैनात जिन सहायक अभियंताओं को पूर्व में पेट्रोल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य करायी जा चुकी है, वाहन आंवटित किये जाने की तिथि से पेट्रोल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा समाप्त किये जाने के निर्णय का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

उपरोक्त से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

10(6). यूपीडा में संविदा पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों को देय वेतन के अतिरिक्त अन्य सुविधाये/भत्ते प्रदान किये जाने हेतु:–

शासनादेशानुसार संविदा कर्मियों को निर्धारित मूल वेतन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा देय दर पर मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त किया जाना एवं संविदा कर्मियों, जिनकी नियुक्ति एक सीमित अवधि के लिए नियत वेतन पर होती है, उनकी सेवा अवधि के विस्तार हेतु विचार करते समय उनके कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन करते हुए प्राधिकरण की आवश्यकता एवं सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की प्राधिकरण में उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उनके वेतन/भत्तों में वृद्वि के सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उक्त पर विचार करते हुए **निदेशक मण्डल द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।**

10(7). यूपीडा प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता राज्य सरकार द्वारा देय दर की दोगुनी दर पर अनुमन्य कराया जाने का प्रस्ताव–

प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर तैनात ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भत्ता किराये के मकानों में रहने वाले अथवा अपने निजी आवास में रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के भुगतान रसीद अथवा भुगतान सम्बन्धी अन्य

प्रमाण पत्र (जैसाकि शासन द्वारा निर्धारित है) प्रस्तुत किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा देय दर की दोगुनी दर पर अनुमन्य होगा।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने निदेशक मण्डल को अवगत कराया कि पूर्व में ही उन्हे **निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त कर्मियों को देय सुविधाओं की अनुमन्यता का अधिकार प्रदत्त है इसमें अवगत होते हुए बोर्ड द्वारा अधिष्ठान से उनके विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया।**

10(8). यात्रा भत्ता नियमावली का अनुमोदन प्रदान किया जाना– मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष महोदय) द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि यह परियोजना शासन की शीर्ष प्राथमिकता में आती है एवं सभी कार्य आवंटित समय सीमा से पूर्व पूर्ण किए जाने है अतः भू–अर्जन विभाग एवं तकनीकी सेल को निरन्तर फील्ड पर जाना होता है जो राजकीय यात्रा भत्ता दरों से पूर्ण होना संभव नही है, अतः विशेष यात्रा भत्ता नियमो से ही कार्य कराया जा रहा था अब जिसके लिए नियमावली बना दी गई है

क्र स	अधिकारी कर्मचारी का वेतनमान अथवा संविदा मे कार्यरत कर्मी हेतु समकक्ष श्रेणी	कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा क्षेत्र, (गौतमबुद्ध नगर) और गाजियाबाद।		मुरादाबाद, अलीगढ, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फरूखाबाद		स्तम्भ 3,4,5,6 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिए।		यात्रा की अधिकृत श्रेणी
		सामान्य भत्ता	होटल का देय किराया (रसीद प्रस्तुत करने पर)	सामान्य भत्ता	होटल का देय किराया (रसीद प्रस्तुत करने पर)	सामान्य भत्ता	होटल का देय किराया (रसीद प्रस्तुत करने पर)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रू0 10,000.00 से अधिक ग्रेड वेतन अथवा उसके समकक्ष	4000.00	10,000.00	3000.00	8000.00	2500.00	6000.00	वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास
2	रू0 8700.00 रू0 8900.00 एवं रू0 10,000.00 तक अथवा उसके समकक्ष	2000.00	5,000.00	1500.00	4000.00	1200.00	3000.00	वायुयान का इकोनामी क्लास/ रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताब्दी/ राजधानी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास

3.	रू0 7600.00 रू0 6600.00 एवं रू0 5400.00 तक अथवा उसके समकक्ष	1500.00	3,000.00	1200.00	2000.00	1000.00	1800.00	वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी)/ टू टियर अथवा शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस में वातानुकूलित कुर्सीयान
4.	रू0 4800.00 एवं रू0 4600.00 अथवा उसके समकक्ष	1200.00	2500.00	1000.00	1800.00	800.00	1500.00	वातानुकूलित कोच (थ्री टियर)/वातानुकूलित कुर्सीयान (शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस को छोड़कर)
5.	रू0 4200.00 एवं रू0 2800.00	1000.00	2000.00	800.00	1500.00	700.00	1000.00	वतानुकूलित कोच (थ्री टियर)/ वातानुकूलित
	अथवा उसके समकक्ष							कुर्सीयान (शताब्दी/राजधानी एक्प्रेस को छोड़कर)
6.	रू0 2800.00 से कम अथवा उसके समकक्ष	800.00	1200.00	700.00	1000.00	600.00	800.00	रेल की द्वितीय श्रेणी (शयनयान)

नोटः–

1. अगले दिन का दैनिक भत्ता प्रातः 10.00 बजे के बाद चलने पर ही देय होगा।
2. होटल की रसीद प्रस्तुत करके होटल में रहने का किराया चार्ज किए जाने की स्थिति में 75 प्रतिशत दैनिक भत्ता ही देय होगा।
3. होटल में ठहरने के किराये की रसीद में उक्त धनराशियों के साथ सेवाकर एवं आयकर आदि अतिरिक्त रूप से देय होंगे।
4. क्रमांक 5 एवं 6 की श्रेणी के कर्मचारियों को केवल स्वयं के लिए यूपीडा द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। कम से कम 2 या 3 कर्मचारी होने पर ही यूपीडा वाहन (इण्डिगो/बोलेरो/इण्डिका) आदि से यात्रा कर सकेंगे।
5. क्रमांक 5 एवं 6 श्रेणी के कर्मचारी को टैक्सी की एक सीट की यात्रा अनुमन्य होगी।
6. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यूपीडा द्वारा अधिकृत श्रेणी से उच्च श्रेणी में यात्रा करने के लिए निम्न प्रमाण पत्र के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

   "प्रमाणित किया जाता है कि मुझे क्रमांक .... में अंकित श्रेणी के द्वारा यात्रा करना अनुमन्य है परन्तु मैं .... कारण से .... श्रेणी में यात्रा करना चाहता/चाहती हूँ। कृपया तद्नुसार यात्रा कार्यक्रम स्वीकृत करने का कष्ट करें।"

7. विशेष परिस्थितियों में यूपीडा बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा विशेष भत्ते एवं श्रेणी अनुमन्य की जा सकती है।
8. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यूपीडा वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहनो से स्थानीय यात्रा करने पर रू0 10 प्रति किलोमीटर रोड माइलेज देय होगा।
9. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को इन्सीडेन्टल चार्ज/आनुषंगिक व्यय देय नहीं होगा।
10. सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी को यात्रा समाप्त होने के एक माह के अन्दर यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत करना होगा।
11. 6 माह तक बिल प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति दावा अनुमंय नही होगा।

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा विशेष कार्य के दृष्टि गत राजकीय यात्रा भत्ता दरों में भी उपलब्ध विशेष यात्रा भत्ता नियम का उल्लेख किया एवं नियमावली को लागू करने में सहमति प्रदान की।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निदेशक मण्डल के समक्ष स्वीकृत्तार्थ प्रस्तुत अन्य प्रस्ताव

प्रस्तावः–1 समिति को अवगत कराया गया कि शासन द्वारा यूपीडा से विभिन्न अन्य परियोजनाओं यथा लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना, लॉजिस्टिक पार्क, आगरा– लखनऊ एक्सप्रेसवे के समीप आधुनिक मंडियों के विकास, चार स्मार्ट सिटी का चिन्हीकरण/विकास, शक्तिनगर–अनपरा मार्ग के 04 लेन के विकास/क्रियान्वयन हेतु अपेक्षा की गयी है। इन परियोजनाओं के विकास हेतु प्रथम चरण में परामर्शी के चयन की प्रक्रिया, जिसमें 'टर्म्स आफ रेफरेन्स', 'रिक्वेस्ट फार क्वालीफिकेशन' (आर.एफ.क्यू.), 'रिक्वेस्ट फार प्रपोजल' (आर.एफ.पी.), आदि तैयार कर परामर्शी चयन की प्रक्रिया यूपीडा के प्रोक्योरमेंट सेल द्वारा की जानी है, जिससे यूपीडा के प्रोक्योरमेंट सेल में अत्याधिक कार्यभार बढ़ गया है। अतः बढ़े हुए कार्य के दृष्टिगत प्रोक्योरमेंट सेल के विस्तार की आवश्यकता है।

निदेशक मण्डल द्वारा यूपीडा के प्रोक्योरमेंट सेल के सुदृढ़ीकरण से सहमत होते हुए कार्य की आवश्यकता एवं महत्ता की दृष्टि गत दक्ष अधिकारी प्रतिनियुक्ति/सम्बद्धता के आधार पर रखे जाने का निर्णय लिया गया तथा इस सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकत किया गया।

प्रस्तावः–2 प्रतिनियुक्ति/सम्बध्ता पर आए राजकीय कर्मियों के मौलिक पद से एक उच्च पद नियुक्त प्रदान किया जानाः–

निदेशक मण्डल के सदस्यों को प्रभारी भू–अर्जन सेल एवं तकनीकी सेल द्वारा अवगत कराया गया कि अन्य प्राधिकरणों में सेवान्तरण प्रतिनियुक्त पर कार्यरत अधिकारियों को उनके वर्तमान पद से एक पद उच्च पर नियुक्ति प्रदान की जाती है जब कि यूपीडा में ऐसी व्यवस्था नही है इस पर **अध्यक्ष महोदय द्वारा एक सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये जिस पर सदस्य मण्डल ने सहमति व्यक्त की।**

प्रस्तावः–3 यूपीडा के अधिकारियों को अर्दली भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राज मार्ग भारत सरकार लोक निर्माण विभाग एवं उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण में यह भत्ता अधिकारियों को अनुमन्य है जब कि यूपीडा में यह भत्ता नही दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में **अध्यक्ष महोदय ने यूपीडा अधिष्ठान के एक तथ्यात्मक प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया एवं उक्त पर निदेशक मण्डल ने भी सहमति व्यक्त की।**

प्रस्तावः–4 निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद सोनभद्र में की गई धोषणा से आच्छादित शक्ति नगर अनपरा फोर लेन का निर्माण अब यूपीडा द्वारा किया जाना है इस सम्बन्ध में पी0आई0यू0 हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। साथ ही निर्माण कार्य हेतु फिजिबिल्टी रिर्पोट एवं डी0पी0आर0 गठन हेतु कन्सल्टेन्ट नियोजित किया जाना है। लोक निर्माण विभाग को मार्ग हस्तान्तरित करने हेतु मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी को पत्र द्वारा अनुरोध किया जा चुका है।

निदेशक मण्डल द्वारा तथ्यों से अवगत होते हुए निर्माण कार्य हेतु फिजिबिल्टी रिर्पोट डी0पी0आर0 गठन हेतु कन्सल्टेन्ट नियुक्त करने हेतु सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्तावः–5 निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि, लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना पर यूपीडा द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं निकट भविष्य में इस एक्सप्रेसवे के लिए एक मुख्य अभियन्ता कि आवश्यकता होगी अतः निदेशक मण्डल को लखनऊ से बलिया एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए एक मुख्य अभियन्ता का एक पद प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने की आवश्यकता है।

निदेशक मण्डल ने तथ्यों से अवगत होते हुए लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रतिनियुक्ति पर मुख्य अभियन्ता का पद भरे जाने के लिए सहमति व्यक्त की।

अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरणकी 26 वीं निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 26.06.2015 का उपलिखित कार्यवृत्त अध्यक्ष महोदय को अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

24/6/2015

विशेष कार्याधिकारी

(उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

2/7/15

(सदस्य सचिव)

02/07/15

(अध्यक्ष)

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2015 को सम्पन्न हुई 27वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :—

1. श्री नवनीत सहगल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा	—	अध्यक्ष
2. श्री आशुतोष निरंजन, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा	—	सदस्य सचिव
3. श्री डा0 एच0बी0 यशोद, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	—	सदस्य
4. श्री ए0सी0 द्विवेदी, उप सचिव वित्त उ0 प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त)	—	सदस्य
5. श्री के0एस0 शुक्ला, उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास)	—	सदस्य
6. श्री जय प्रकाश तिवारी, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त)	—	सदस्य

विशेष आमंत्री:—

1. श्री राम सिंहासन प्रेम, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।
2. श्री विश्वदीपक, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री ए0के0 पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री एस0के0 गुप्ता, वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
5. श्री जी0एस गोयल, मुख्य वास्तुविद नियोजक, यूपीडा।
6. श्री के0के0 गुप्ता, वित्तीय सलाहकार, यूपीडा।
7. श्री अनुप श्रीवास्तव, प्रबन्धक (तकनीकी), यूपीडा।
8. श्री के0के0 पाण्डे, प्रबन्धक (वित्त), यूपीडा।
9. श्री हेमन्त चौहान, स्टाफ ऑफिसर (तकनीकी), यूपीडा।
10. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
11. श्री अशोक कनौजिया, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12. श्री एस0पी0 तिवारी, प्रबन्धक प्रशासन, यूपीडा।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 1:— उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.06.2015 को सम्पन्न हुई 26वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्यवाही/निर्णय:— प्राधिकरण के निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.06.2015 को सम्पन्न 26वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 2:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.06.2015 को सम्पन्न 26वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.06.2015 को सम्पन्न हुई 26वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 3:– आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड)परियोजना हेतु हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेट कार्पोरेशन लिमिटेड ऋण की स्वीकृति :–

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना को इ0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वित करने हेतु परियोजना का वित्त पोषण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, वित्त विभाग के परामर्श के क्रम में यूपीडा द्वारा परियोजना के वित्त पोषण की अन्य संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में यूपीडा द्वारा हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेट कार्पोरेशन लिमिटेड को परियोजना के ऋण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उक्त पर हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुमोदन कर ऋण की स्वीकृति पत्रांक सं0 HUDCO/LRO/SCH-20799/2015/334 दिनांक 1 जून 2015 द्वारा प्रदान कर दी गई है, प्रस्तावित ऋण सम्बन्धित अन्य विवरण निम्नवत् है।
हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेट कार्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपकम) का ऋण स्वीकृत प्रपत्र दिनांक 1/2 जूलाई 2015 संलग्नक क पर एवं अनुबन्ध पत्र प्रारूप दिनांक 15.07.2015 पताका ख पर अवलोकनीय है। प्रस्तावित है कि निदेशक मण्डल के सदस्य गण कृपया ऋण स्वीकृत प्रपत्र का अवलोकन करना चाहे एवं संलग्न मेमोरेन्डम 1 पर अनुमोदन प्रदान करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऋण हेतु आवश्यक शर्त पूर्ण करने हेतु एवं अनुबंध हेतु यथा आपेक्षित अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत करना चाहें।
अनुमोदन हेतु ऋण प्रस्ताव निम्नवत् है–

कार्यवाही/निर्णयः– ऋण प्रस्ताव से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल के सदस्यों ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऋण हेतु आवश्यक शर्त पूर्ण करने हेतु एवं अनुबंध हेतु यथा आपेक्षित अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–04 :–

1. यूपीडा में संविदा पर नियुक्त किए गये निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरण बोर्ड बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तावित हैः–

क्र0सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	नियुक्ति आदेश संख्या/तिथि
1.	श्री भगौती प्रसाद	आडीटर/लेखाकार	6 माह	796/497/15 दि0 06.07.2015
2.	श्री बागीश कुमार श्रीवास्तव	डिस्पैचर	एक वर्ष	840/490/15 दि0 13.07.2015
3.	श्री कंचन तिवारी	आडीटर/लेखाकार	6 माह	848/503/15 दि0 13.07.2015
4.	श्री अजय कुमार गुप्ता	लेखाकार	एक वर्ष	851/504/15 दि0 13.07.2015
5.	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	लेखाकार	6 माह	946/519/15 दि0 27.07.2015

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अवगत् होते हुए उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. प्राधिकरण कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु यूपीडा के पूर्व आदेश संख्या 826/यूपीडा/14 दिनांक 09.09.2014 के कम में संविदा पर नियुक्त किए गये निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त किया जाना:—

क्र0सं0	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	यूपीडा में योगदान की तिथि	सुविधा/प्रतिपूति	
				पेट्रोल व्यय	मोबाइल व्यय
1.	श्री बी0एस0 रावत	अधिशासी अभियंता	07.04.2015	वाहन उपलब्ध 100	1000.00
2.	श्री भोलानाथ यादव	डाकरनर	29.05.2015	30 ली0	300.00

संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्रदान किया जाना :—

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन बोर्ड से प्राप्त किया जाना है:—

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति अवधि	सेवा विस्तार	सेवा विस्तार के पश्चात् नियुक्ति अवधि	यूपीडा आदेश संख्या/तिथि
1.	श्री रमेश चन्द्र वैशवार	राजस्व निरीक्षक	30.06.2015 तक	6 माह	31.12.2015 तक	683/318/14 दि0 25.06.2015
2.	श्री महेन्द कुमार श्रीवास्तव	लेखा लिपिक	25.06.2015 तक	6 माह	25.12.2015 तक	662/374/14 दि0 22.06.2015
3.	श्री राम सुधार यादव	वरिष्ठ सहायक	22.06.2015 तक	6 माह	22.12.2015 तक	605/243/14 दि0 17.06. 2015
4.	श्री अकमल हुसैन	लेखाकार कम कैशियर	20.07.2015 तक	6 माह	20.01.2016 तक	979/391/15 दि0 30.07. 2015
5.	श्री वीरेन्द्र कुमार वैजल	लेखाकार कम कैशियर	28.07.2015 तक	6 माह	28.01.2016 तक	996/400/15 दि0 31.07. 2015
6.	श्री विजय सिंह	लेखाकार कम कैशियर	30.07.2015 तक	6 माह	30.01.2016 तक	
7.	श्री दामोदर सिंह	लेखाकार कम कैशियर	30.07.2015 तक	6 माह	30.01.2016 तक	
8.	श्री काली चरन	डाकरनर	01.08.2015 तक	6 माह	01.02.2016 तक	945/406/15 दि0 27.07. 2015
9.	श्री राजेश कुमार सक्सेना	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	10.08.2015 तक	एक वर्ष	10.08.2016 तक	978/257/14 दि0 30.07. 2015
10.	श्री श्याम शंकर शुक्ल	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	11.08.2015 तक	एक वर्ष	11.08.2016 तक	983/261/14 दि0 30.07. 2015
11.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	जन सम्पर्क अधिकारी	21.08.2015 तक	6 माह	21.02.2016 तक	975/286/14 दि0 30.07. 2015
12.	श्री धर्मपाल सिंह सिसौदिया	तहसीलदार	18.06.2015 तक	6 माह	18.12.2015 तक	710/369/14 दि0 26.06. 2015
13.	श्री योगेश नाथ लाल	स्पेशल फील्ड ऑफिसर	22.06.2015 तक	6 माह	22.12.2015 तक	739/375/14 दि0 30.06. 2015

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अवगत् होते हुए उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0–05:– वित्तिय वर्ष 2014–2015 में निदेशक मण्डल द्वारा व्यय का अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

		F.Y - 2014-15	(Rs. In Caror)
Sr. No.	Particulars		Amount
1	**Total Fund Received**	3,923.60	**3,923.60**
	Detail Of Expenditure		
2	Land Acquisitions		1,711.84
3	Mobilization	905.52	
	Add	452.74	1,358.26
4	Administrative Expenses		15.41
5	Utility Shifting		184.94
6	Supervision		9.15
	Total Expenditure		**3,279.60**
	Balance		**644.00**

आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा सीधे सम्बन्धित जिलाधिकारियों को परियोजना के लिए भूमि क्रय करने, भूमि के अधिग्रहण एवं पुर्नग्रहण करने के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष उनके पास अवशेष बची धनराशि का विवरण (अध्यावधिक स्थिति) निम्नवत् है–

जनपद का नाम	आंवटित धनराशि (करोड़ में)	व्यय धनराशि (करोड़ में)	अवशेष धनराशि (करोड़ में)
आगरा	456.54	324.48	132.06
फिरोजाबाद	357.62	281.96	75.66
मैनपुरी	376.26	271.6	104.66
इटावा	190.69	164.47	26.22
औरैया	31.61	24..49	7.12
कन्नौज	561.94	472.83	89.11
कानपुर नगर	164.83	139.49	25.34
उन्नाव	410.03	344.30	65.73
हरदोई	9.4	9.4	0
लखनऊ	285.62	210.85	74.77
योग	**2844.54**	**2243.87**	**600.67**

(30)

उपयोगिता प्रमाण पत्र

(वर्ष 2014–15)

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) में वर्ष 2014–15 में **अनुदान संख्या–83 "5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03–राज्य राज मार्ग–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–4–आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना"** के अन्तर्गत कुल धनराशि **रू0 791.60 करोड़ मात्र (रू0 सात सौ इक्यानबे करोड़ एवं साठ लाख)** मात्र अवमुक्त हुई जिसके सापेक्ष कुल धनराशि **रू0 791.60 करोड़ मात्र (रू0 सात सौ इक्यानवे करोड़ साठ लाख)** मात्र उपयोग की गई। इन धनराशियों का मदवार संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :–

क्र0सं0	मद जिसके अन्तर्गत धनराशि प्राप्त हुई	अवमुक्त धनराशि	व्यय की गई धनराशि		अवशेष धनराशि /व्ययाधिक्य
1.	जनपदों को सीधे भूमि अधिग्रहण हेतु आवंटित/अवमुक्त की गई धनराशि	457.69		457.69	–
2.	यूपीडा मुख्यालय को आवंटित/अवमुक्त की गई धनराशि	333.91	मोविलाइजेशन	273.03	–
			यूटीलिटी शिफ्टिंग	58.16	
			सुपरविजन	2.04	
			प्रशासनिक व्यय	00.68	
	योग :–	**791.60**		**791.60**	–

उपयोगिता प्रमाण पत्र

(वर्ष 2014–15)

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) में वर्ष 2014–15 में **अनुदान संख्या–7 "5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03–राज्य राज मार्ग–337–सड़क निर्माण कार्य–03–आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना"** के **"24–वृहद निर्माण कार्य"** मद के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 2680.00 करोड़ (रूपये दो हजार छः सौ अस्सी करोड़) मात्र अवमुक्त हुई जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निम्नवत् है :–

क्र0सं0	मद जिसके अन्तर्गत धनराशि प्राप्त हुई	अवमुक्त धनराशि	व्यय की गई धनराशि		अवशेष धनराशि /व्ययाधिक्य
1.	जनपदों को सीधे आवंटित/अवमुक्त की गई धनराशि	1898.15		1253.49	644.66
2.	यूपीडा मुख्यालय को आवंटित / अवमुक्त की गई धनराशि	781.85	मोविलाइजेशन	640.47	–
			यूटीलिटी शिफ्टिंग	126.52	
			सुपरविजन	–	
			प्रशासनिक व्यय	14.86	
	योग :–	**2680.00**		**2035.34**	**644.66**

उपरोक्त तालिका में जनपदों को सीधे आवंटित/अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 2680.00 करोड़ में से वर्ष के अन्त में रू0 155.87 करोड़ धनराशि अवशेष बची जो सम्बन्धित जिलाधिकारियों के पी0एल0ए0 खातों में है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र

(वर्ष 2014–15)

इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड (आई0डी0एफ0) (रू0 करोड़ में)

अनुदानवार प्राप्त/अवमुक्त धनराशिएवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण

क0सं0	मद का नाम	शासन से अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष/ व्ययाधिक्य
1.	मोबिलाईजेशन एडवांस	452.00	452.00	–
	योग :–	452.00	452.00	–

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा वर्ष 2014–2015 के वित्तीय विवरण से अवगत् होते हुए उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–06:– **आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु परियोजना से आच्छादित जनपदों में भूमि प्राप्त किये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में:–**

'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना' का संरेखण प्रदेश के 10 जनपदों यथा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई व लखनऊ से होकर जा रहा है। परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों में की जा रही है। मा0 बोर्ड के समक्ष इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है-

अतिरिक्त भूमि क्रय करने की कार्यवाही-

'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना' के संरेखण के अर्न्तगत अवस्थित भूमि के लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4 की विज्ञप्ति के प्रकाशन के उपरान्त संरेखण से प्रभावित भूमि उनके भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर परियोजना के पक्ष में सम्बन्धित जनपदों में क्रय की जा रही है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परियोजना के परामर्शी फीडबैक इन्फ्राटेक प्राइवेट लि0 द्वारा यूपीडा को उपलब्ध कराये गये संरेखण के आधार पर धारा-4 की विज्ञप्ति में एक्सप्रेसवे से प्रभावित खसरा संख्या व उनका क्षेत्रफल प्रकाशित कराया गया था तथा उसी आधार पर बैनामों का निष्पादन कराया जा रहा है। **एक्सप्रेसवे का निर्माण पांच पैकेजों में निर्माणदायी कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। निर्माणदायी कम्पनियों ने एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु प्लॉन प्रोफाइल प्रस्तुत करते हुए प्लॉन प्रोफाइल के अनुरूप पूर्व में क्रय की गयी भूमि के अतिरिक्त अनेक स्थानों पर भूमि क्रय किये जाने की मांग की गयी।** निर्माणदायी कम्पनियों ने अपने-अपने पैकेज में प्लॉन प्रोफाइल के संरेखण को मेसर्स फीडबैक द्वारा प्रस्तुत संरेखण के ऊपर सुपर इम्पोज कर यूपीडा को प्रस्तुत किया है तथा उसी के अनुरूप अतिरिक्त भूमि को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2015 तथा 01.04.2015 को प्रोजेक्ट के प्रगति की समीक्षा बैठकों में यह निर्देश दिया गया कि निर्माणदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्लॉन प्रोफाइल का परीक्षण पी.आई.यू. के अभियन्ता द्वारा किया जायेगा तत्पश्चात् **यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या-1579/यूपीडा 14 दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के द्वारा गठित टीम संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर भूमि क्रय किये जाने के लिए खसरा संख्या व क्रय किये जाने वाले क्षेत्रफल के विवरण के साथ पैकेज हेतु नामित तहसीलदार/नायब तहसीलदार, तकनीकी सेल तथा निर्माणदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा एक संयुक्त आख्या प्रस्तुत की जायेगी।** तत्क्रम में निर्माणदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्लॉन प्रोफाइल के अनुसार स्थल पर सर्वेक्षण के उपरान्त पैकेज हेतु नामित टीम द्वारा अतिरिक्त भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में संयुक्त आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त आख्या के आधार पर बोर्ड बैठक 26.06.2015 के पूर्व जिन ग्रामों में अतिरिक्त भूमि को परियोजना के पक्ष में ग्राम हेतु पूर्व में निर्धारित दर के अनुसार क्रय करने का अनुमोदन प्रदान किया गया उसे निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकित किया जा चुका है। उक्त दिनांक के पश्चात् अनुमोदित अतिरिक्त भूमि का विवरण निम्नवत है-

1. ग्राम- भदान तहसील- शिकोहाबाद जनपद- फिरोजाबाद

क्रमांक	खाता संख्या	धारा-4 के अन्तर्गत अधिसूचित गाटा सं0	खतौनी में अंकित कुल क्षेत्रफल (हे0) में	धारा-4 के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रफल (हे0) में	अधिसूचित क्षे0 से संरेखण में आ रहे अतिरिक्त क्षेत्रफल (हे0) में
1	73	717	0.3129	0.0300	0.2700
2	759	975	0.5140	0.2385	0.0615
3	759	988	4.1040	0.1103	0.0897
				योग	**0.4212**

1. ग्राम- गोसपुर तहसील- शिकोहाबाद जनपद- फिरोजाबाद

क्रमांक	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे0) में	एक्सप्रेसवे में अधिग्रहीत नही	
				पूर्व में अधिग्रहीत	सीमांकन से अतिरिक्त रकबा
1	2	3	4	5	6
1	8	49	0.6110	0.5860	0.0250
				योग	**0.0250**

2. ग्राम- गढ़ी डुण्डपुर तहसील- शिकोहाबाद जनपद- फिरोजाबाद

क्रमांक	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे0) में	एक्सप्रेसवे में अधिग्रहीत नही	
				पूर्व में अधिग्रहीत	सीमांकन से अतिरिक्त रकबा
1	2	3	4	5	6
1	3	113	1.8330	0.8633	0.4200
2	5	112	1.8460	0.7270	0.1000
				योग	**0.5200**

3. ग्राम- फतेहपुर कर्खा तहसील- शिकोहाबाद जनपद- फिरोजाबाद

क्रमांक	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे0) में	एक्सप्रेसवे में अधिग्रहीत नही	
				पूर्व में अधिग्रहीत	सीमांकन से अतिरिक्त रकबा
1	2	3	4	5	6
1	130	851	0.2060	0.1396	0.0893
2		857	0.1540	0.0540	0.0346
		865	0.2100	0.0443	0.0688
	2	863	0.1050	0.0770	0.0280
	126	864	0.1900	0.0486	0.0406
	125	868	0.0690	0.0247	0.0243
	173	869	0.3200	0.1277	0.0633
	265	870	0.1260	0.0419	0.0821
	264	872	0.2590	0.1726	0.0581
		875	0.3480	0.0530	0.1877
		876	0.3440	0.1147	0.1192
	303	975	0.1660	0.0682	0.0654
	12	1000	0.4010	0.2776	0.0467
			2.8980	योग	**0.9081**

जनपद-इटावा

क्रमांक	ग्राम/तहसील	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे0) में	पूर्व में अधिग्रहीत की गई भूमि का क्षे0	अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (हे0) में
1	2	3	4	5	6
1	बरालोकपुर/सदर	4218	0.359	-	0.014
2		1219	0.365	-	0.073
			योग		**0.087**

(34)

1	कुदरैल/सदर	2485	0.336	-	0.141
	योग				**0.141**
1	नगला चिन्ता/सदर	340	1.093	0.7434	0.0610
2		341	1.032	0.7083	0.3080
3		342	0.656	0.3732	0.1510
4		399	0.514	0.4172	0.0968
5		400	0.773	0.6030	0.0766
6		401	1.388	0.5950	0.0610
7		367	0.918	0.3264	0.1052
			योग		**0.8596**
1	मूंज/सदर	596	0.5990	0.4003	0.1987
2		595	0.6480	-	0.2430
3		593	0.3930	0.0316	0.1764
4		603	0.9750	0.1666	0.4660
5		508	2.0680	1.0621	0.5899
6		504	0.6440	0.5524	0.0916
7		481	0.7570	0.7470	0.0100
8		482	0.4860	0.3068	0.0530
9		511	0.3890	-	0.3000
10		479	1.2950	0.1232	0.4860
11		514	0.6840	-	0.1700
12		510	0.7210	0.1826	0.4180
13		512	0.4450	-	0.0610
14		480	0.0320	0.0280	0.0040
			योग		**3.2676**

<u>जनपद-कन्नौज</u>

क्र0सं0	जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)
1	कन्नौज	तिर्वा	बस्ता	1285	0.0890
2				1286	0.0720
3				1288	0.1920
4				1330	0.0680
5				1331	0.0040
6				1329	0.0400

(35)

7				1326	0.0720
8				1325	0.0720
9				1324	0.0610
10				1323	0.0240
11				1399	0.0480
12				1321	0.0240
13				1404	0.0080
14				1332	0.1380
				योग	**0.9120**
15	कन्नौज	कन्नौज	गांगेमऊ	1143	0.0520
16				1787	0.0240
17				1893	0.2990
18				1913	0.0900
				योग	**0.4650**
				कुल योग	**1.3770**

<u>जनपद कानपुर नगर</u>

क्र0सं0	जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)
1	कानपुर नगर	बिल्हौर	बहरामपुर	180	0.0645
2				179	0.1620
3				265	0.0461
4				255	0.0027
5				256	0.1325
6				119	0.3150
7				172	0.0609
8				257	0.0657
9				121	0.3300
				योग	**1.1794**

10	कानपुर नगर	बिल्हौर	रौगांव	347	0.1108
11				239	0.0477
				योग	**0.1585**
				कुल योग	**1.3379**

जनपद-उन्नाव

ग्राम/तहसील	गाटा	कुल रकबा	पूर्व में अधिसूचित क्षे0 (हे0)	संरेखण के अन्तर्गत अवस्थित अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4	5
इनायतपुर बर्रा/हसनगंज	16	0.354	-	0.056
	17	0.329	-	0.0384
	19	0.4820	-	0.084
			योग	**0.1784**

ग्राम/तहसील	गाटा	कुल रकबा	पूर्व में अधिसूचित क्षे0 (हे0)	अधिसूचित क्षे0 के अतिरिक्त संरेखण के अन्तर्गत अवस्थित भूमि का क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4	5
नसीरपुर भीखन/बांगरमऊ	112	1.559	-	0.0504
	11	1.086	-	0.0551
	13	1.110	0.6504	0.1110
	23	0.140	0.0121	0.1279
	21	0.138	0.0282	0.052
	20	0.144	0.0287	0.003
	26	0.913	0.0319	0.1152
	30	0.179	-	0.0288
	31	0.100	-	0.008
	35	0.621	-	0.0256
	40	1.128	0.2450	0.1216
	32	0.100	-	0.1000
			योग	0.7986

(37)

जनपद- लखनऊ

जनपद	ग्राम	गाटा सं0	कुल रकबा (हे0)	पूर्व में अधिसूचित रकबा (हे0)	यूपीडा के पत्र सं0-1/1.04.2015 में अंकित अतिरिक्त रकबा (हे0)	अन्य अतिरिक्त भूमि
1	2	3	4	5	6	7
लखनऊ	नकटौरा	48	1.181	0.916	0.0255	0.2095
		125	0.759	0.572	0.0320	0.1000
				योग		**0.3095**

जनपद	ग्राम	गाटा सं0	कुल रकबा (हे0)	पूर्व में अधिसूचित रकबा (हे0)	यूपीडा के पत्र सं0-4/1.04.2015 में अंकित अतिरिक्त रकबा (हे0)	अन्य अतिरिक्त भूमि	गाटे का कुल प्रभावित क्षेत्रफल (हे0) (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
लखनऊ	भलिया	1056	0.297	0.0090	0.0112	0.055	0.0752

यूपीडा के निदेशक मण्डल की 22वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 द्वारा प्रचलित सर्किल दर के चार गुना के बराबर दर पर भूमि क्रय किये जाने की संस्तुति प्राप्त होने पर अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किया गया है जिसके क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा परियोजना हेतु सम्बन्धित जनपदों में उपरोक्तानुसार कुल अतिरिक्त भूमि 9.2795 हे0 क्रय करने की अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा विभिन्न तिथियों में प्रदान की गयी।

अतः बैठक दिनांक 26.06.2015 के बाद अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने की कार्यवाही का अवलोकन करने का प्रस्ताव निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

<u>कार्यवाही/निर्णयः-</u> निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा भू-अर्जन के विवरण का अवलोकन किया गया एवं अवगत् होते हुए उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–07:– यूपीडा द्वारा क्रियान्वित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सम्बन्धित शासनादेश संख्या व दिनांक	अद्यतन स्थिति
1	ग्रेटर नोएडा से बलिया 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना (गंगा एक्सप्रेसवे)	4246/77–4–07–94के। ।।./07 टी.सी. दिनांक 27.12..2007	परियोजना के विकासकर्ता का चयन कर कन्सेशनायर के साथ कन्सेशन अनुबन्ध दिनांक 23.03.2008 को निष्पादित किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के अनुक्रम में परियोजना क्रियान्वयन स्थगित है। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में दिये गये निर्देश कि परियोजना हेतु नये सिरे से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये, के क्रम में कन्सेशनायर द्वारा परियोजना का पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पहले स्टेट लेवल इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट असेस्मेन्ट अथारिटी (SEIAA) में प्रस्तुत किया गया था। तदोपरान्त SEIAA के निर्देशानुसार कन्सेशनायर द्वारा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में दिनॉक 16.04.2011 के प्रस्ताव के माध्यम से आवेदन किया गया था। इस संबंध में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र दिनांक 27.10.2011 द्वारा यह सूचित किया गया था कि मे0 जेजीआईसीएल परियोजना के कन्सेशनायर हैं तथा पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु प्रस्ताव प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट द्वारा करना होगा, साथ ही उन्होंने यूपीडा से इस संबंध में प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु कहा है। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 27.10.2011 के सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के अभिमत के अनुसार पी0पी0पी0 मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 30.03.2012 में निर्णय लिया गया था कि यूपीडा द्वारा आवेदन करने से पूर्व कन्सेशन अनुबन्ध में आवश्यक संशोधन हेतु पूरक कन्सेशन एग्रीमेंट निष्पादित किया जाये, एवं कन्सेशनायर को उक्त पूरक कन्सेशन एग्रीमेंट का आलेख्य उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये थे। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं सम्भावित अग्रेत्तर कार्यवाही निर्धारण हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 18.11.2014 में यह निर्णय लिया गया है कि यूपीडा एवं कन्सेशनायर द्वारा पूर्व में निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 को आपसी सहमति की शर्तों पर अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करना उचित प्रतीत होता है। तत्क्रम में प्राधिकरण के पत्र संख्या 1354/यूपीडा/08/11/वाल्यूम–V दिनांक 28.11.2014 द्वारा प्रशासनिक विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन) से आवश्यक अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सेशनायर के साथ पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करने एवं इस सम्बन्ध में अन्य अग्रेत्तर कार्यवाही के लिये यूपीडा को अधिकृत करने

			हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रदान कराने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त के क्रम में शासन से दिशा निर्देश प्रतीक्षित है।
2	गाजियाबाद से सहारनपुर होते हुए यमुना या हिन्डन नदी के तट पर मोहान्द (उत्तराखण्ड–उत्तर प्रदेश की सीमा) के समीप तक	695A/77-3-2008-34M/07T.C. दिनांक 28.02.2008	अधिसूचना संख्या 3737/77-3-09-94मा./07टी.सी. दिनांक 24.11.2009 द्वारा इस परियोजना के स्थान पर 'अपर गंगा नहर के दायें तट पर देहरा के समीप ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश–उत्तराखण्ड सीमा (सीमा से 10 किमी0 पूर्व) तक 08–लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे' हेतु संशोधन किया गया है।
3	आगरा से कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना	–तदैव–	'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी'/ 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओ के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।
4	झाँसी – कानपुर–लखनऊ – गोरखपुर – कुशीनगर एक्सप्रेसवे परियोजना	–तदैव–	यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में इस परियोजना के विकास के लिये अग्रेत्तर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने पर विचार एवं दिशा–निर्देश जारी करने हेतु यूपीडा के पत्र दिनांक 30.06.2015 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है।
5	लखनऊ– बाराबंकी–नानपारा लिंक	–तदैव–	'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी'/ 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओ के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।
6	बिजनौर– मुरादाबाद–फतेहगढ़	–तदैव–	यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में इस परियोजना के विकास के लिये अग्रेत्तर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने पर विचार एवं दिशा–निर्देश जारी करने हेतु यूपीडा के पत्र दिनांक 30.06.2015 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है।
7	नरौरा से गंगा नदी के बायें तट पर उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमा से 10 किमी0 पूर्व तक	1319/77-3-08-26 अव0/08 दिनांक 13.05.2008	'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी'/ 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओ के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।
8	अपर गंगा कैनाल के दांये तट पर सनौटा ब्रिज (बुलन्दशहर) से उ0 प्र0 – उत्तराखण्ड सीमा के पूर्व पुरकाजी (मुजफ्फरनगर) के निकट तक 08–लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना	3055/77-3-09-71(अवस्थापना) /08 दिनांक 25.10.2009 एवं 819/77-3-10-71 अवस्थापना) /08 दिनांक 10.03.2010	परियोजना विकास हेतु परियोजना परामर्शी का चयन कर आवश्यक अध्ययन कराया गया था। परियोजना के विकासकर्ता चयन हेतु आर.एफ.क्यू. के माध्यम से पात्र विकासकर्ताओं को शार्टलिस्ट कर आर.एफ.पी. जारी किया गया था, परन्तु बिड प्राप्त करने की निर्धारित तिथि दिनांक 31.01.2011 अग्रिम तिथि तक स्थगित की गई थी। परियोजना के फॉरेस्ट क्लीयरेंस तथा वन्य जीव क्लीयरेंस हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में प्रस्ताव के माध्यम से आवेदन किया गया जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण

			मंत्रालय में इस परियोजना के लंबित प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर शीघ्र अनापत्ति प्रदान करने का अनुरोध यूपीडा के पत्र दिनांक 27.07.2015 द्वारा किया गया है। इस परियोजना के रिवाइवल एवं 'हाईब्रिड एन्यूटी' मोड पर विकसित करने सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को भी प्राधिकरण के पत्र दिनांक 20.07.2015 के माध्यम से प्रेषित किया गया है।
9	अपर गंगा कैनाल के दॉये तट पर स्थित सनौटा ब्रिज(बुलन्दशहर) से कानपुर –फतेहपुर एक्सप्रेसवे परियोजना एवं अन्य मार्गो	1234/77–3–10–94रा./07टी.सी. दिनांक 30.04.2010	परियोजना की कान्सेप्ट रिपोर्ट तैयार करा ली गयी थी। इस परियोजना के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे परियोजना (क्रम सं.–8) हेतु अपनाये गये सिद्धान्त इस परियोजना के कियान्वयन में अपनाये जायेंगे। चूंकि अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे परियोजना पर कार्यवाही स्थगित है, अतः इस परियोजना हेतु भी अग्रेतर कार्यवाही स्थगित है।
10	'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना'	1490/77–3–12–2(यूपीडा)/12 दिनांक 28.09.2012	शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1988/77–3–13–2(यूपीडा)/12 दिनांक 30.12.2013 द्वारा इस परियोजना को पी.पी.पी. के स्थान पर इ.पी.सी. पद्धति पर विकसित करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसके क्रम में परियोजना को पांच पैकेजों में विभाजित कर पांचों पैकेजों हेतु निर्माणकर्ताओं का चयन किया जा चुका है एवं चयनित निर्माणकर्ताओं के साथ दिनांक 29.10.2014 को अनुबन्ध निष्पादित कर लिया गया है। परियोजना हेतु 'अथारिटी इन्जीनियर' का चयन किया जा चुका एवं चयनित अथारिटी इंजीनियर के साथ दिनांक 12 मार्च 2015 को अनुबन्ध निष्पादित कर दिया गया है। परियोजना निर्माण का कार्य पांचों पैकेजों में प्रगतिशील है।
11	लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना	385/77–3–15–502 एम/14 दिनांक 27.03.2015	'लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' के 'प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कन्सल्टेंट' के चयन हेतु 'ई0ओ0आई0–कम– आर0एफ0पी0' दिनांक 26.03.2015 को जारी कर दिनांक 15.06.2015 को परामर्शियों से आवेदन प्राप्त किये गये। प्राप्त तीन आवेदनों को तकनीकी रूप से पात्र पाते हुए तीनों आवेदनकर्ताओं को शार्टलिस्ट किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले (एल–1) आवेदनकर्ता मे0 आई.आई.डी.सी. लि0 को परियोजना को इ0पी0सी0 पद्धति पर विकसित करने हेतु 'परियोजना विकास परामर्शी' के रूप में नियुक्त किये जाने की संस्तुति 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 30.06.2015 में प्रदान की गयी। 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' की संस्तुति पर दिनांक 10.07.2015 को सम्पन्न 'इम्पावर्ड कमेटी' की बैठक में विचार करते हुए मे0 आई.आई.डी.सी. लि0 को परियोजना को इ0पी0सी0 पद्धति पर विकसित करने हेतु 'परियोजना विकास परामर्शी' के रूप में नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। उपरोक्तानुसार चयनित 'परियोजना विकास परामर्शी' मे0 आई.आई.डी.सी. लि0 को नियुक्त किये जाने पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु शासन को मा0 मंत्रिपरिषद हेतु टिप्पणी का आलेख्य उपलब्ध कराते हुए निवेदन किया गया है।

कार्यवाही / निर्णयः— निदेशक मण्डल के सदस्य यूपीडा द्वारा क्रियान्वित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से अवगत् हुए, एवं कृत कार्यो को अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 08 :— **अन्य बिन्दुः—** मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल ने लखनऊ—बलिया एक्सप्रेसवे परियोजना में भू—अर्जन हेतु विशेष कार्याधिकारी की आवश्यकता व्यक्त कि एवं उक्त पद् हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास से अवकाश प्राप्त श्री ओ0पी0 पाठक की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया।

कार्यवाही / निर्णयः— निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव से अवगत् होते हुए प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 27 वीं निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 14.08.2015 का उपलिखित कार्यवृत्त अध्यक्ष महोदय को अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

18/8/2015
विशेष कार्याधिकारी

(उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी)
18/8/15

(सदस्य सचिव)
(आशुतोष निरंजन)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(अध्यक्ष)
(नवनीत सहगल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

19/08/16

(आशुतोष निरंजन)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

OSD (ACEO)

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न हुई 28वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री नवनीत सहगल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा	–	अध्यक्ष
2. श्री आशुतोष निरंजन, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा	–	सदस्य सचिव
3. श्री अनिल कुमार, अनु सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	–	सदस्य
4. श्री राम किशोर पाण्डेय, संयुक्त सचिव वित्त उ0 प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त)	–	सदस्य
5. श्री कृपा शंकर शुक्ला, उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास)	–	सदस्य
6. श्री राजेश प्रताप सिंह, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण)	–	सदस्य

विशेष आमंत्री:–

1. श्री राम सिंहासन प्रेम, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।
2. श्री विश्वदीपक, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री ए0के0 पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री एस0के0 गुप्ता, वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
5. श्री जी0एस गोयल, मुख्य वास्तुविद नियोजक, यूपीडा।
6. श्री के0के0 गुप्ता, वित्तीय सलाहकार, यूपीडा।
7. श्री अनुप श्रीवास्तव, प्रबन्धक (तकनीकी), यूपीडा।
8. श्री के0के0 पाण्डे, प्रबन्धक (वित्त), यूपीडा।
9. श्री हेमन्त चौहान, स्टाफ ऑफिसर (तकनीकी), यूपीडा।
10. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
11. श्री एस0पी0 तिवारी, प्रबन्धक प्रशासन, यूपीडा।
12. श्री ओ0पी0 गुप्ता, परियोजना निदेशक वन।
13. श्री प्रभात कुमार, सलाहकार, पी0पी0पी0।
14. श्री किशोर पाण्डेय, प्रबन्धक वित्त।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 1:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2015 को सम्पन्न हुई 27वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

कार्यवाही/निर्णय:– प्राधिकरण के निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2015 को सम्पन्न **27वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।**

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 2:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2015 को सम्पन्न 27वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2015 को सम्पन्न हुई **27वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।**

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 3:– **आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना का ई0पी0सी0 पद्धति पर कियान्वित करने हेतु स्थापित फील्ड ऑफिसो के कार्यालय भवनो के किराये में वार्षिक वृद्धि के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के समस्त पैकेजों के कार्यालय भवनों को किराये पर लेने हेतु यूपीडा द्वारा जो लीज अनुबन्ध भवन स्वामियों से किये गये है उनमें एक शर्त यह भी है कि लीज अनुबन्ध की समयावधि 11 माह होगी, जिसके समाप्त होने के उपरान्त अगली लीज 10 प्रतिशत अधिक दरों पर सम्पादित की जाएगी। इस आशय के प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–04:– **पूर्वान्चल एक्स्प्रेसवे के आर0एफ0क्यू0 हेतु परियोजना के सिविल कार्यों की प्रारम्भिक लागत के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'लखनऊ से बलिया वॉया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड परियोजना' (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) के सिविल कार्यों की अनुमानित प्रारम्भिक लागत रुपये 12070 करोड़ है। इस लागत की गणना यूपीडा के तकनीकी सेल द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना की मे0 राइट्स लि0 द्वारा वेट की गयी लागत को आधार मानते हुए विविध मदों की औसत दरों के आधार पर पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के विभिन्न पैकेजों हेतु की गई है। मे0 राईट्स लि0 द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के आगणनों की वेटिंग का कार्य लगभग 1 वर्ष पूर्व किया गया था तब से अब तक सामग्री, श्रम व मशीनरी की लागत में हुई वृद्धि को समायोजित करने के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि जोड़ी गई है। निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि सिविल कार्यों की अनुमानित प्रारम्भिक लागत रुपये 12070 करोड़ के आधार पर परियोजना परामर्शी द्वारा परियोजना के आठों पैकेजों की कुल अनुमानित प्रारम्भिक लागत निम्नानुसार आंकलित की गयी हैः–

(रुपये करोड़ में)

i.	परियोजना के आठों पैकेजों के सिविल कार्यो की कुल अनुमानित प्रारम्भिक लागत	–	12070.00
ii.	कन्टेन्जंसी @ 2.8%	–	337.96
	कुल	–	**12407.96**
iii.	एजेन्सी चार्जेज 3%	–	372.24
iv.	क्वालिटी कन्ट्रोल चार्जेज @ 0.25%	–	31.02
v	रोड सेफ्टी आडिट चार्जेज @ 0.25%	–	31.02
vi	सुपरविजन @ 3%	–	372.24
vii	मेन्टीनेन्स कास्ट 5 वर्ष @ 8%	–	992.64
viii	अनुमानित प्रथम वर्ष एडजेस्टमेंट @ 2.5% X 20%	–	62.04
ix	अनुमानित द्वितीय वर्ष एडजेस्टमेंट @ 7.5% X 40%	–	372.24
x	अनुमानित तृतीय वर्ष एडजेस्टमेंट @ 12.5% X 40%	–	620.40

	कुल अनुमानित प्रारम्भिक परियोजना लागत	-	**15261.79**
xi	अनुमानित यूटिलिटी शिफ्टिंग तथा ई.आई.ए. क्लीयरेंस	-	500.00
xii	कुल अनुमानित प्रारम्भिक परियोजना लागत यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं ई.आई.ए. क्लीयरेंस सहित	-	**15761.64**
xiii	परियोजना हेतु भूमि की अनुमानित लागत	-	3675.94
	कुल अनुमानित प्रारम्भिक परियोजना लागत यूटिलिटी शिफ्टिंग, ई.आई.ए. क्लीयरेंस तथा भूमि लागत सहित	-	**19437.73**

निदेशक मण्डल द्वारा पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के आठों पैकेजों के सिविल कार्यों की कुल अनुमानित प्रारम्भिक लागत रुपये 12070 करोड़ पर सहमति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण परियोजना की उपरोक्तानुसार आंकलित कुल अनुमानित प्रारम्भिक परियोजना लागत यूटिलिटी शिफ्टिंग, ई.आई.ए. क्लीयरेंस तथा भूमि लागत सहित रुपये 19437.73 करोड़ के प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान की गयी।

निदेशक मण्डल द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि परियोजना की उपरोक्तानुसार अनुमानित प्रारम्भिक परियोजना लागत सम्बन्धित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0–05:– **पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे (लखनऊ से भरौली, जिला बलिया) के कियान्वयन हेतु तकनीकी स्टॉफ की आवश्यकता के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (लखनऊ से भरौली, जिला बलिया) परियोजना हेतु आवश्यक्तानुसार लोक निर्माण विभाग से स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने, स्टाफ के लिये आवश्यक भवन किराये पर लिये जाने, कार्यालय कक्षों का निर्माण , फर्नीचर व कम्प्यूटर आदि का कय तथा आवश्यक तृतीय व चतुर्थ वर्ग के स्टाफ को संविदा पर रखे जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी , यूपीडा को प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–06:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रगति के सापेक्ष भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड परियोजना) के समस्त पैकेजों के अनुबन्धों की निर्माणावधि कार्य हेतु गठित अनुबन्धों के अनुसार 36 माह निर्धारित है, परन्तु शासन स्तर पर एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरेजवे का निर्माण निर्धारित अवधि से पूर्व 22 माह (अक्टूबर 2016) में पूर्ण कराना लक्षित किया गया है। निदेशक मण्डल को निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति से अवगत कराते हुए परियोजना की प्रगति बढाने एवं एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरेजवे का निर्माण अक्टूबर 2016 तक पूर्ण कराये जाने हेतु जैसा कि सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RW/NH-39013/17/2015-NHDP-IVA दिनांक 22.07.2015 द्वारा ई0पी0सी0 कार्यों के अनुबन्ध में बिटुमिनस कार्यो यथा डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 को पृथक–पृथक करने तथा आर0ओ0बी0 के कार्यों को विभक्त कर भुगतान करने का निर्णय लिया गया है, उसी प्रकार आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के ग्रेन्युलर लेयर, बिटुमिन लेयर एवं आर0ओ0बी0 का भुगतान अलग–अलग चरणों में विभक्त करके किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी। जिससे परियोजना हेतु प्राप्त सम्पूर्ण अनुदान का इस वित्तीय वर्ष में उपयोग करने सम्बन्धी शासन से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन एवं मुख्य कैरिजवे का निर्माण शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो सके।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–07:– **आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के अनुबन्धों में कतिपय लिपिकीय त्रुटियों को संशोधित करने के संबंध में।**

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड परियोजना) के समस्त पैकेजों के अनुबन्धों के आर्टिकल 19.10.4 (d) (ii) में उल्लिखित price adjustment formula में कतिपय लिपिकीय त्रुटि से अवगत कराया गया। और यह भी अवगत कराया गया है कि

त्रुटियो को ठीक करने से ठेकेदारों को कोई वित्तीय या अन्य लाभ नही होगा और ना ही अनुबन्धों की लागत में कोई परिवर्तन होगा। प्रस्तावित संशोधित price adjustment formula पर निदेशक मण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गई।

इसी कम में पैकेज 4 के अनुबन्ध में पेज सं0– 182 पर Schedule-H और पेज सं0– 184 व 185 पर Table 1.3.2 व 1.3.4 में कतिपय लिपिकीय त्रुटि से अवगत होते हुए Schedule-H और पेज सं0– 184 व 185 पर Table 1.3.2 व 1.3.4 में त्रुटियों के संशोधन पर सहमति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं0 08 :– **ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन गंगा एक्सप्रेसवे हेतु सम्बन्धित जनपदों के अधिसूचित ग्रामों को डी–नोटिफाई किये जाने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णयः– ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन गंगा एक्सप्रेसवे हेतु सम्बन्धित जनपदों के अधिसूचित ग्रामों को डी–नोटिफाई किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के कम में यूपीडा क्षेत्र परियोजना हेतु अधिसूचित सभी ग्रामों (उन ग्रामों जिनमें भूमि का पूणग्रहण भी किया जा चुका है, सहित) को अपवर्जित (डि–नोटिफाई) करने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 09 :– **संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना।**

कार्यवाही/निर्णयः–

1. संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के सेवा विस्तार पर अनुमोदन प्राप्त हुआ।
2. प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त हुआ।
3. प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से मैनपावर आपूर्ति हेतु उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 कानपुर को निर्गत कार्यादेश को यूपीडा निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदन प्राप्त हुआ।

एजेण्डा बिन्दु सं0 10 :– **आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' हेतु परियोजना से आच्छादित जनपदों में परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा भू–अर्जन के विवरण का अवलोकन किया गया एवं अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 11 :– **यूपीडा द्वारा क्रियान्वित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति।**

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल के सदस्य यूपीडा द्वारा कियान्वित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से अवगत हुए, एवं कृत कार्यो को अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 12 :– **यूपीडा की परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन।**

कार्यवाही/निर्णयः– उपरोक्त पर श्री के0के0 गुप्ता सलाहकार वित्तीय संस्थायें (यूपीडा) ने अवगत कराया कि यूपीडा की परियोजनाओं की वित्तीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत् वाहय संस्थाओं से मध्यम अवधि ऋण की उपलब्धता हेतु विभिन्न विकल्पों पर चर्चा हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02 दिसम्बर को एक विशेष बैठक प्रमुख सचिव वित्त एवं प्रमुख सचिव औद्योगिक के साथ की गई, बैठक में यूपीडा द्वारा इस सम्बन्ध में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया था, प्रस्तुतिकरण की प्रति एजेण्डा के साथ संलग्न है, मुख्य सचिव की उपरोक्त बैठक में विशेष रूप से इन्फास्ट्रेक्चर इनवेस्टमेन्ट ट्रस्ट (INVIT) की स्थापना पर बल दिया गया, और यूपीडा को एक विशेषज्ञ एजेन्सी की सेवाए लेने का सुझाव दिया गया। निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा उपरोक्त से अवगत होते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया है।

एजेण्डा बिन्दु सं0 13 :– **उ0प्र0 शासन की शीर्षस्थ प्राथमिकता में सम्मिलित आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना को ई0पी0सी0 पद्धति पर समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।**

वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त बजट एंव व्यय की स्थिति :–

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए उ0प्र0 शासन बजट में धनराशि रू0 3300.00 करोड़ का प्राविधान निम्नवत स्वीकृत किया गया है।

क्र0सं0	विवरण	रू0 करोड़ में
1.	अनुदान संख्या–07	2320.00
2.	अनुदान संख्या–83	980.00
	योग	**3300.00**

उपरोक्त क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में परियोजना के पक्ष में स्वीकृति/आवंटित धनराशि निम्नवत उपयोग/व्यय की गई है।

क्र0 सं0	विवरण	रू0 करोड में	टिप्पणी
1.	भूमि अधिग्रहण हेतु/भूमि मद में	64.11	सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को सीधे आंवटित पी0एल0ए0 खाते में उ0प्र0 शासन द्वारा सीधे भुगतान किया गया।
2.	निर्माणकर्ताओं को भुगतान हेतु	949.95	उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत/आंवटित धनराशि से सम्बन्धित निर्माणकर्ता को यूपीडा द्वारा भुगतान किया गया।
3.	यूटीलिटी शिफ्टिंग तथा ई0आई0ए0 क्लीयरेंस	78.50	उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत/आंवटित धनराशि से सम्बन्धित विभागो, का भुगतान यूपीडा द्वारा किया गया।
4.	यूपीडा के अधिष्ठान सम्बंधी व्यय	9.03	उ0प्र0 शासन द्वारा यूपीडा के पक्ष में स्वीकृत/आंवटित धनराशि से यूपीडा के प्रशासनिक आदि व्ययों का भुगतान किया गया।
5.	सुपर विजन (अथारिटी इंजीनियर को भुगतान हेतु)	7.52	उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत/आंवटित धनराशि से सम्बन्धित अथारिटी इंजीनियर, कंसलटेंट एवं परियोजना सम्बन्धी विविध/अन्य व्ययों का भुगतान यूपीडा द्वारा किया गया।
	कुल उपयोग/भुगतान	**1109.11**	

व्यय का उपरोक्त मदों में वर्गीकरण शासनादेश दिनांक 01.10.2014 के अनुसार किया गया है।

यूटीलिटी शिफ्टिंग में अत्याधिक मांग/व्यय के दृष्टिगत दिनांक 01.10.2014 के शासनादेश निर्धारित धनराशि रू0 6.96 करोड़ से बढ़ाकर 375.00 की गयी। उक्त परियोजना की कुल लागत में परिर्वतन नहीं किया गया तथा कंटीजेंसी खर्चे तथा एजेंसी चार्जेज में धनराशि काटकर यूटीलिटी शिफ्टिंग में धनराशि बढ़ायी गयी है। इस पर शासनादेश 1763/77–3–14–259(एम)/2014 दिनांक 07.08.2015 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त की गयी है। वर्तमान मदवार अनुमन्य परियोजना लागत निम्नवत है:–

			(रू0 करोड़ में)
1.	परियोजना के पांचो पैकेजों हेतु प्राप्त न्यूनतम बिडों के अनुसार परियोजना की कुल सिविल लागत	–	9055.22
2.	कन्टेन्जेंसी / 2.8 प्रतिशत	–	253.55
	कुल	–	9308.77
3.	एजेन्सी चार्जेज 3 प्रतिशत (यूपीडा को देय)	–	129.26
4.	क्वालिटी कन्ट्रोल चार्जेज / 0.25 प्रतिशत	–	23.27
5.	रोड सेफ्टी आडिट चार्जेज / 0.25 प्रतिशत	–	23.27
6.	सुपरविजन / 3 प्रतिशत	–	131.21
7.	मेन्टीनेन्स कास्ट 5 वर्ष / 8 प्रतिशत	–	744.70
8.	अनुमानित प्रथम वर्ष एडजेस्टमेंट / 2.5 % ग 20%	–	46.55

9.	अनुमानित द्वितीय वर्ष एडजेस्टमेंट / 7.5% ग 40%	–	279.26
10.	अनुमानित तृतीय वर्ष एडजेस्टमेंट / 12.5% ग 40%	–	465.44
	कुल अनुमानित परियोजना लागत	–	11151.73
	अनुमानित यूटिलिटी शिफ्टिंग तथा ई.आई.ए. क्लीयरेंस	–	375.00
	कुल अनुमानित परियोजना लागत यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित		
	कुल योग	–	**11526.73**

कार्यवाही/निर्णयः– उपरोक्त व्यय विवरण से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा उक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 14 :– **निर्माणकर्ताओं को दिये गये एडवांस पेमेंट के वसूली के सम्बन्ध में।**

1–चयनित निर्माणकर्ताओं के साथ दिनांक 29.10.2014 को निष्पादित अनुबन्ध के क्लाज संख्या 19.2 (एडवांस पेमेंट) के अनुसार परियोजना के निर्माणकर्ताओं को ब्याजमुक्त एडवांस पेमेंट तीन किस्तों में दिये जाने का प्राविधान किया गया है। निर्माणकर्ताओं को दिये गये एडवांस पेमेंट के रिपेमेंट हेतु अनुबन्ध के क्लाज संख्या 19.2.7, 19.2.7(a) एवं 19.2.8 में प्राविधान किया गया है, जिसका उद्धरण निम्नवत है:–

19.2.7 First installment of Advance Payment shall be repaid by the Contractor to the Authority no later than 365 (three hundred and sixty five) days from the date of this Agreement.

19.2.7(a) Second and Third installment of Advance payment shall be repaid by the Contractor to the Authority no later than 730 (seven hundred and thirty) days from the date of release of respective installment.

19.2.8 The contractor shall repay each installment of advance payment on or before the due date of repayment. In the event of the contractor's failure to make the repayment on time, the Authority shall be entitled to encash the Bank guarantee for Advance Payment. The Parties expressly agree that for any delay in repayment of the Advance Payment, the Contractor shall pay interest to the Authority for each day of delay, such interest to be calculated at the rate of 18% (eighteen percent) per annum.

2–अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप निर्माणकर्ताओं द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस की प्रथम किस्त की धनराशि के बराबर बैंक गारण्टी भी प्राधिकरण को प्रदान की गयी है।

3–आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" के निर्माणकर्ताओं को प्रथम किस्त के एडवांस पेमेंट में रिपेमेंट की अवधि 365 दिन से बढ़ाकर 2 वर्ष (730 दिन) में प्राधिकरण को लौटाने हेतु तथा उक्त वसूली को परियोजना पूर्ण होने के पूर्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुबंध के क्लाज में यथासंशोधित प्रस्ताव शासन को दिनांक 23.10.2015 को पत्रांक संख्या– 1578/यूपीडा/2013 /206, के द्वारा प्रेषित किया गया है।

4–ब्याज की वसूली हेतु निर्माणकर्ताओं द्वारा एक अंडरटेंकिग दिया गया है कि, यदि अनुबंध के क्लाज में यथासंशोधित प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत नही किया जाता है, तब की दशा में अग्रिम की अदायगी की देरी के वजह से ब्याज की वसूली निर्माणकर्ताओं के चालू खाता बिल से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से वसूल किया जाय। जैसा की निर्माणकर्ताओं द्वारा अग्रिम भुगतान के लिए मौजूदा बैंक गारण्टी का नवीनीकरण भी प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया गया है।

कार्यवाही/निर्णयः– उपरोक्त प्रस्ताव यूपीडा के वित्त नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 15 :– **ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन स्थिति एवं अग्रेतर कार्यवाही।**

कार्यवाही / निर्णयः–

1.) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को निजी एवं सार्वजनिक सहभागिता आधार पर क्रियान्वयन हेतु संकल्पना वर्ष 2007–08 में की गयी थी। उक्त कार्य हेतु निजी क्षेत्र की कम्पनी मेसर्स जयप्रकाश एसोसियेट्स लि0 का चयन विकासकर्ता के रूप में जनवरी 2008 में किया गया था। चयनित विकासकर्ता मेसर्स जयप्रकाश एसोसियेट्स लि0 द्वारा परियोजना के कियान्वयन हेतु एक स्पेशल परपज वेहिकल (SPV) मेसर्स जयपी गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि0 (मेसर्स जे0जी0आई0सी0एल0) (कन्सेशनायर) का गठन किया जिसके द्वारा कन्सेशन अनुबन्ध का निष्पादन दिनांक 23.03.2008 को किया गया ।

2.) परियोजना का निर्धारित निर्माण काल 4 वर्ष का था और परियोजना हेतु स्वीकृत कन्शेसन पीरियड (रियायत की अवधि) "अपाइन्टेड डेट" से 35 वर्ष के लिए जिसमें कियान्वयन कार्यकाल भी सम्मिलित है, अनुमोदित है।

3.) कन्शेसन एग्रीमेन्ट मे निहित शर्तो के अनुसार, परियोजना क्रियान्वयन / निमार्ण कार्य से पूर्व पर्यावरण सम्बन्धी अनुमोदन (इन्वायरमेंट क्लीयरेन्स) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना था। परियोजना हेतु प्री–इन्वायरमेन्ट कलीयरेन्स, यू0पी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट आर्थोरिटी से दिनांक 23.08.2007 को प्राप्त किया गया था, बाद में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने रिट याचिका संख्या 15125 / 2008 गंगा महासभा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य रिट याचिका संख्या 21754 / 2008 विन्ध्या इन्वायरनमेंट सोसाइटी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 29.05.2009 को परियोजना हेतु पूर्व में प्रदत्त प्री–इन्वायरमेन्टल क्लीयेरेन्स को निरस्त करते हुए यह आदेश पारित किये कि जब तक परियोजना के लिए इन्वायरमेन्ट क्लीयेरेन्स प्रोविजन आफ इन्वायरमेंन्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार प्राप्त नही हो जाता है, 08 लेन गंगा एक्सप्रेसवे तथा सम्बन्धित भूमि के विकास के बावत कोई कार्यवाही न की जाय।

4.) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश एवं न्याय विभाग तथा शासन के मत / निर्देश के अनुपालन में परियोजना विकास कार्य स्थगित कर दिया गया।

5.) परियोजना हेतु हस्ताक्षरित अनुबन्ध को 7 साल बीत चुके है परन्तु उपयुक्त प्राधिकारी की परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के अभाव में परियोजना अभी केवल अवधारणा चरण में है एवं इसके कियान्वयन में कोई प्रगति नही हुई है। पूर्व में शासन के पत्र दिनांक 02.11.2011 द्वारा यह मंतव्य व्यक्त किया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न अवरोध / अनिश्चितता के सम्बन्ध में न्याय विभाग उ0प्र0 शासन के मतानुसार प्रश्नगत प्रकरण पर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, के दृष्टिगत परियोजना प्रारम्भ न होने के लिए यूपीडा व कन्सेशनायर दोनों में से कोई भी दोषी नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्लीयरेंस नहीं मिल पाया, अतएव उक्त परियोजना के लिये भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया जिसके लिये कोई भी पक्षकार उत्तरदायी नहीं है। शासन के उक्त पत्र दिनांक 02.11.2011 में यह भी इंगित किया गया है कि परियोजना के प्रारम्भ न होने का मुख्य कारण अप्रत्याशित घटना (फोर्स मिज्योर) है तथा अपांइटेड डेट नॉन एग्जिस्टेन्ट है।

6.) उपरोक्त तथ्यो को संज्ञान में लेते हुए शासन के पत्र दिनांक 18.11.2011 के निर्देशानुसार कन्शेसनायर द्वारा उपलब्ध करायी गयी शेष बैंक गारन्टी (परफारमेन्स सिक्योरिटी) रू0 894.75 करोड़ इस शर्त के साथ वापस कर दी गयी कि परियोजना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त होने के उपरान्त यूपीडा द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर कन्सेशनायर द्वारा बैंक गारण्टी पुनः जमा करनी होगी।

7.) कालान्तर में, कन्सेशनायर ने अपने पत्र दिनांक 31.12.2011 द्वारा यह अनुरोध किया कि चूँकि मा0 उच्च न्यायलय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के परिप्रेक्ष्य मे परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण नही हो सका है एवं परियोजना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करने मे समय लगना सम्भावित है, उनके द्वारा भू–अधिग्रहण मद मे उपलब्ध करायी गयी धनराशि उन्हे वापस कर दी जाए।

कन्सेशनायर के उपरोक्त अनुरोध पर विचारोपरान्त यूपीडा बोर्ड द्वारा दिनांक 24.01.2012 को सम्पन्न अपनी 16वीं बैठक में निम्न निर्णय लिए गए, जिन पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित पी0पी0पी मानीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 30.03.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में सहमति व्यक्त की गयीः–

i. 40 ग्रामों मे धारा–4/17 का प्रकाशन दिनांक 31.03.2009 से 27.05.2009 की अवधि में विभिन्न तिथियों में किया गया है। इस बीच मा0 उच्च न्यायलय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के कम में परियोजना के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही न करते हुए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नही की गयी । प्रकरण में न्याय विभाग द्वारा पूर्व में दिये गए परामर्श के अनुसार मा0 उच्च न्यायलय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अभी धारा–4 प्रभावी मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में धारा–4 से प्रभावित ग्रामो में कन्सेशनायर द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि में से सम्बंधित जिलाधिकारियो को प्रेषित राशि वापस प्राप्त कर कन्सेशनायर का वापस लौटाया जाना विधिक रुप से उपयुक्त है या नही, इस बिन्दु पर न्याय विभाग का अभिमत प्राप्त कर लिया जाए।

ii. मा0 उच्च न्यायलय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के क्रम में 73 ग्रामों में धारा–4 का प्रकाशन नही हुआ है। अतः इस धनराशि को वापस किए जाने के सम्बंध में राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश स0 1387/1–13–2005–20(13)/2005–रा–13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरुप कार्यवाही हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियो को पत्र भेजा जाए।

iii. मा0 उच्च न्यायलय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के कम में धनराशि रु0 7,76,11,473 जनपदों को नही भेजी गयी और यह धनराशि यूपीडा के पास अवशेष के रुप में सुरक्षित है। यह धनराशि कन्सेशनायर को वापस किये जानें में विधिक अडचन प्रतीत नही होती है। अतः तदनुसार यह धनराशि कन्सेशनायर को वापस कि जाए।

बोर्ड द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय(**पैरा 7–i**) के कम में यूपीडा के पत्र सं0–532/यूपीडा/08/21 iv दिनांक 28 जनवरी 2012 के द्वारा प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के माध्यम से न्याय विभाग का अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। इस क्रम में शासन द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति के सम्बन्ध में पृच्छा का उत्तर भी यूपीडा के पत्र सं0–592 यूपीडा 21 iv दिनांक 14.03.2012 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। यह प्रकरण शासन स्तर पर अभी लम्बित है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि :–

(क) यूपीडा बोर्ड द्वारा उक्त निर्णय के समय दोनो पक्ष परियोजना के कियान्वयन में इच्छुक थे परन्तु वर्तमान में दोनो ही पक्ष प्रत्यक्ष कारणों से पारस्परिक सहमति से परियोजना कियान्वयन हेतु निष्पादित मूल अनुबन्ध (दिनांक 23.03.2008) एवं अनुपूरक अनुबन्ध (दिनांक 30.11.2011) शासन की अनुमति उपरान्त रद्द (rescind) करने हेतु सिद्वान्तः सहमत है।

(ख) उ0 प्र0 शासन के राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.12.2015 में यह अनुमेय (permissible) है कि यदि किन्ही कारणों से अधिग्रहण की कार्यवाही बीच मे ही रोकनी या समाप्त करने की स्थिति में अर्जन निकाय द्वारा अर्जन व्यय के मद में प्रतिकर के10 प्रतिशत के बराबर जमा की गयी धनराशि मे से उक्त शासनादेश में इगिंत तालिका में दिए गए दिशा निर्देश अनुसार कटौती कर शेष राशि अर्जन निकाय को वापस कि जाए। तालिका मे इंगित विभिन्न परिस्थितियो में धारा 4/17 की अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कटौती कर शेष राशि को अर्जन निकाय को वापस करना भी अनुमेय है ।

(ग) औद्यागिक विकास विभाग द्वारा इस परियोजना – ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे, में अधिसूचित सभी ग्रामों को अपवर्जित (denotify) करने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रथक से की जा रही है।?

उपरोक्त बदले हुए परिदृश्य एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण प्रबन्ध ने निर्णय लिया है, कि जिन ग्रामों में धारा–4/17 की अधिसूचना का प्रकाशन हो चुका है और यूपीडा बोर्ड के पूर्व निर्णय के अनुपालन में भूमि अर्जन हेतु प्रेषित धनराशि को वापस करने की मांग सम्बन्धित जिला प्रशासन से नही की गयी है एवं इस विषय में शासन को संदर्भित विषय अभी लम्बित है, धनराशि वापसी हेतु मांग की कार्यवाही शुरु की जाए एवं इस तरह प्राप्त धनराशि जब तक शासन द्वारा कन्शेसनायर के साथ निष्पादित मूल अनुबन्ध (दिनांक 23.03.2008) और अनुपूरक अनुबन्ध (दिनांक 30.11.2011) को रद्द/अधिकमण करने का अनुमोदन प्राप्त नही हो जाता और इस सम्बन्ध में कन्शेसनायर के साथ सेटिलमेन्ट अनुबन्ध निष्पादित नही हो जाता, प्राधिकरण के पास जमा रहेगी। यथानुसार यूपीडा द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

बोर्ड द्वारा लिये गये उपरोक्त अन्य निर्णय(**पैरा 7–ii**) के कम मे यह उल्लेखनीय है कि **भूमि अधिग्रहण हेतु सम्बन्धित जिलो को निर्गत धनराशि का विवरण निम्नवत है**

शासन कि उपरोक्त निर्णय/निर्देश के दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए यूपीडा प्रबन्ध द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित सेटिलमेन्ट अनुबन्ध में निहित प्राविधानों के अनुसार कन्सेशनायर को कुल वापस की जाने वाली धनराशि का आंकलन अथवा राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश स0 1387/1–13–2005–20(13)/2005–रा–13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरुप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त 'पूर्ण एवं अंतिम' राशि, के सम्बन्ध में कन्सेशनायर के साथ बैठक में सहमति प्राप्ति उपरान्त प्रस्तावित अनुबन्ध के आलेख में यथा उचित संशोधन करते हुए शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी जाए।

क्रम सं0	जनपद का नाम	यूपीडा द्वारा जनपद को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण			धारा–4 में अधिसूचित ग्रामों के सापेक्ष लम्बित धनराशि	अवशेष ग्रामों के सापेक्ष धनराशि	शासनादेश दिनांक 7.12.2005 के अनुसार की गयी कटौती की धनराशि	यूपीडा को वापस की गयी धनराशि	जनपद स्तर पर अनिस्तारित/लंबित धनराशि	
		पुनर्ग्रहण	अधिग्रहण	कुल धनराशि					पुनर्ग्रहण	अधिग्रहण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बुलन्दशहर	15040339	120293630	135333969	43016570	77277060	16946267	103347363	15040339	0
2	उन्नाव	0	73350614	73350614	49182350	24168264	9452397	63898217	0	0
3	बदायूँ	0	52551526	52551526	0	52551526	6568940	45982586	0	0
4	सन्तरविदास नगर (भदोई)	0	46368598	46368598	0	46368598	0	46368598	0	0
	योग	**15040339**	**292564368**	**307604707**	**92198920**	**200365448**	**32967604**	**259596764**	**15040339**	

11. वर्तमान में, जनपदवार को प्रेषित धनराशि एवं उनके द्वारा वापस की गयी धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:–

उपरोक्त तालिका में इंगित यूपीडा को वापस प्राप्त धनराशि तथा सम्बन्धित जनपद स्तर पर अनिस्तारित/लंबित धनराशि में निम्न तथ्यों से अवगत हुए –

I. राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश स0 1387/1–13–2005–20(13)/2005–रा–13 दिनांक 07.12.2005 में पुनर्ग्रहण हेतु की गयी कार्यवाहियों को बीच मे समाप्त कर अर्जन व्यय के मद में जमा करायी गयी धनराशि में से कटौती किए जाने के सम्बन्ध में कोई भी दिशा निर्देश इंगित नही है।

II. जिला बुलन्दशहर में 9.567 हेक्टेयर भूमि (जिसका कुल पुनर्ग्रहण मूल्य/राशि रु0 1,50,40,339. 00 है) का पुनर्ग्रहण हो चुका है। इसके अतिरिक्त जनपद उन्नाव में 15.9808 हेक्टेयर भूमि भी पुर्नग्रहीत की जा चुकी है, जिनका विवरण संलग्नक कमशः 9 एवं 10 संलग्न है।

III. 113 ग्रामों (73 ग्राम जहाँ धारा–4 का प्रकाशन नही हुआ तथा धारा–4 में अधिसूचित 40 ग्राम) से अधिग्रहण हेतु प्रेषित धनराशि रु0 29,25,64,368.00 के विरुद्व रु0 25,95,96,764.00 सम्बन्धित जिलों से राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश स0 1387/1–13–2005–20(13)/2005–रा–13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरुप कटौती उपरान्त प्राप्त हो चुकी है जो कि यूपीडा के पास सुरक्षित है।

उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए यूपीडा निदेशक मण्डल ने सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया है–

अ) ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (गंगा एक्सप्रेसवे) परियोजना हेतु कन्सेशनायर के साथ पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करने के लिए शासन को अनुमति हेतु सम्बोधित प्रस्तावित सेटिलमेन्ट अनुबन्ध में निहित प्राविधानों के अनुसार कन्सेशनायर को कुल वापस की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश स0 1387/1–13–2005–20(13)/2005–रा–13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरुप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त 'पूर्ण एवं अंतिम' राशि, के निर्धारण/आकलन के सम्बन्ध में कन्सेशनायर के साथ एक बैठक में सहमति प्राप्ति उपरान्त प्रस्तावित अनुबन्ध के आलेख में यथा उचित संशोधन करते हुए शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए।

a

(क) धारा 4 में अधिसूचित 40 ग्रामों के अधिग्रहण हेतु प्रेषित धनराशि	9,21,98,920
(ख) अवशेष (113–40) 73 ग्रामों मे भूमि	
(i) अधिग्रहण हेतु प्रेषित धनराशि	20,03,65,448
(ii) पुनर्ग्रहण हेतु जनपद बुलन्दशहर को प्रेषित धनराशि	1,50,40,339
कुल 113 ग्रामों की भूमि हेतु जिलों को प्रेषित धनराशि (10% भू–अध्याप्ति व्यय + 10: अग्रिम प्रतिकर +पूंजीकत मूल्य)	**30,76,04,707**

बोर्ड द्वारा लिये गये उपरोक्त एक अन्य निर्णय(पैरा 7–iii) के कम में यह उल्लेखनीय है कि परियोजना हेतु भू–अध्याप्ति मद मे कन्सेशनायर द्वारा यूपीडा को कुल धनराशि रु0 38,90,68,341.00 उपलब्ध करायी गयी थी जिसमे से कन्सेशन एग्रीमेन्ट के आर्टिकल 10.10 के अनुसार यूपीडा द्वारा ग्रहित 1% कार्पस फण्ड हेतु रु0 38,52,161.00 एवं भूमि अधिग्रहण हेतु सम्बन्धित जिलो को निर्गत कुल धनराशि रु0 30,76,04,707.00 (जिसका विवरण पैरा 10 में दिया गया है) के समायोजन के पश्चात अवशेष धनराशि रु0 7,76,11,473.00 दिनांक 04/02/2012 को कन्सेशनायर को वापस की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में, कन्सेशनायर द्वारा इस आशय की अण्डरटेकिंग (दिनांक 27.01.2012) दी गयी है कि वह राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश दिनांक 07.12.2005 के अनुसार भूमि अधिग्रहण हेतु सम्बन्धित जिलों कों निर्गत धनराशि में से नियमानुसार कटौती की जाने वाली राशि का वहन करेगें। इस सम्बन्ध में कन्सेशनायर द्वारा इस आशय की भी अण्डरटेकिंग दी गयी है कि वह परियोजना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरेंस मिलनें के पश्चात् परियोजना की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भूमि अधिग्रहण मद में जो भी धनराशि जिलाधिकारियों द्वारा मांगी जाएगी, उनके द्वारा पूर्व की भॉति यूपीडा को निर्धारित समय में उपलब्ध करायी जाएगी।

8.) उपरोक्त परिस्थितियों के प्रसंग में परियोजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं सम्भावित अग्रेत्तर कार्यवाही निर्धारण हेतु निदेशक मण्डल ने अपनी दिनांक 18.11.2014 को सम्पन्न 24वी बैठक में यह निर्णय लिया कि पूर्व में यूपीडा एवं कन्सेशनायर द्वारा निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंन्ट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 को आपसी सहमति की शर्तो पर एक नवीन अनुबन्ध (Novation) के माध्यम से अधिकमण अथवा रदद (supersession or rescission) करने का औचित्य बनता है। तदोपरान्त परियोजना के समय–पूर्व परित्याग अथवा संशोधित स्वरुप में कियान्वयन हेतु शासन द्वारा कालान्तर में लिए गए निर्णय अनुसार कार्यवाही करना उपयुक्त होगा।

इस सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अन्य अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए, यूपीडा को अधिकृत करने हेतु मंत्री मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 शासन को इस प्रकरण को प्रेषित/संदर्भित किया जाए।

9.) निदेशक मण्डल के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या 1354/यूपीडा/08 /11/वाल्यूम–V दिनांक 28.11.2014 द्वारा प्रशासनिक विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन) को आवश्यक अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सेशनायर के साथ पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करने एवं इस सम्बन्ध में अन्य अग्रेत्तर कार्यवाही के लिये यूपीडा को अधिकृत करने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रदान कराने का अनुरोध किया गया है।

जिस पर विचारोपरान्त राजस्व विभाग के अभिमत के कम में प्रशासनिक विभाग ने पत्र दिनांक 28.09.2015 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि पारस्परिक सहमति की शर्तो पर परियोजना हेतु मेसर्स जे0जी0 आई0 सी0 लि0, कन्सेशनायर द्वारा निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेन्ट दिनॉक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध 30.11.2011 को अधिकमण अथवा रद्द करने हेतु प्रस्तावित अनुबन्ध में उभयपक्ष (यूपीडा एवं कन्सेशनायर) को देय राशि का उल्लेख किया जाए। यदि धनराशि का उल्लेख नही किया जाता है तो यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 07–12–2005 जिसका वर्ष 2013 के भू–अर्जन अधिनियम के संदर्भ में कतिपय बिन्दुओं पर निर्वचन/स्पष्टीकरण/आख्या का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है, में शासन द्वारा अंतिम निर्णय के अनुसार अर्जन व्यय की धनराशि अर्जन निकाय से शासन का देय होगी।

ब) शासन को सम्बोधित कन्शेसनायर के साथ निष्पादित मूल अनुबन्ध (दिनांक 23.03.2008) और अनुपूरक अनुबन्ध (दिनांक 30.11.2011) को रद्द/अधिक्रमण करने हेतु प्रस्तावित सेटिलमेन्ट अनुबन्ध पर वांछित अनुमोदन के लम्बित रहते हुए कन्शेसनायर को उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु कतिपय जनपदों को प्रेषित धनराशि राजस्व शासनादेश दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरुप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त धनराशि (संदर्भः बिन्दु अ) को वापस करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग) उ0 प्र0 शासन से सहमति / मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाए।

उपरोक्त सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक मण्डल ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को अधिकृत किया।

अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 28 वीं निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 18.12.2015 का उपलिखित कार्यवृत्त अध्यक्ष महोदय को अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

केके सिंह विसेन
18/12/2015

(के०के० सिंह विसेन)
विशेष कार्याधिकारी

18/12/15
(राम सिंहासन प्रेम)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ACEO

कृ. अनुमोदनार्थ प्रस्तुत
18/12/15

CEO/ अध्यक्ष

(अध्यक्ष)

जारी करें।
18/12/15

OSD (ACEO)

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 04.03.2016 को सम्पन्न हुई 29वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री नवनीत सहगल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा	–	अध्यक्ष
2. श्री आशुतोष निरंजन, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा	–	सदस्य सचिव
3. डा0 ऋषिकेश भास्कर यशोद, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	–	सदस्य
4. श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी, संयुक्त सचिव वित्त उ0 प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त)	–	सदस्य
5. श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास)	–	सदस्य
6. श्री राजेश प्रताप सिंह, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण)	–	सदस्य

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री राम सिंहासन प्रेम, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।
2. श्री विश्वदीपक, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री ए0के0 पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री एस0के0 गुप्ता, वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
5. श्री के0के0 गुप्ता, सलाहकार वित्तीय, संस्थाए।
6. श्री जी0एस गोयल, मुख्य वास्तुविद नियोजक, यूपीडा।
7. श्री अनुप श्रीवास्तव, प्रबन्धक (तकनीकी), यूपीडा।
8. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
9. श्री एस0पी0 तिवारी, प्रबन्धक प्रशासन, यूपीडा।
10. श्री ओ0पी0 गुप्ता, परियोजना निदेशक वन।
11. श्री प्रभात कुमार, सलाहकार, पी0पी0पी0।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 1:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न हुई 28वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

कार्यवाही/निर्णयः– प्राधिकरण के निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न **28वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।**

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 2:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न 28वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**

कार्यवाही / निर्णय:– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न हुई 28वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 3:– **यूपीडा की 28वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या 03 में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से ऋण की स्वीकृति पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया गया था, (कार्यवृत्त पृष्ठ–65, बिन्दु–03) इस सम्बन्ध में आपेक्षित अनुबन्ध संलग्नक–01 पर उपलब्ध है, जो निदेशक मण्डल के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।**

कार्यवाही / निर्णय:– निदेशक मण्डल ने उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। श्री के के गुप्ता सलाहकार (वित्तीय संस्थाए) ने अवगत कराया कि पूर्व में 14 अगस्त 2015 को सम्पन्न बोर्ड की बैठक में हडको से लिए जाने वाले ऋण से संबन्धित विषय पर प्रस्ताव का अनुमोदन किया था तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अधिकृत किया था। तत्पश्चात शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में यह निश्चित किया गया कि हडको के ऋण का भुगतान शासन की बजटीय व्यवस्था से न होकर यूपीडा द्वारा टोल कलेक्शन के माध्यम से किया जाएगा। तदनुसार हडको ने अपने ऋण अनुमति पत्र की पुनर्समीक्षा करके अजेंडा नोट में लिखित परिवर्तन किए हैं जिनका बोर्ड से अनुमोदन आवश्यक है।

The Chairman informed the Executive Body that arrangements have since been made with **Housing & Urban Development Corporation Limited (HUDCO)** for financial assistance for the Authority's Project – **"6 Lane Access Controlled Agra to Lucknow Expressway (Green Field Project) (Phase-I)"** and that **HUDCO** has agreed, in principle, to grant to Authority the Loan not exceeding **Rs. 1530.64 Crores (Rupees One Thousand Five Hundred Thirty Crores And Sixty Four Lacs only) for the project.**

After discussions, the following resolutions were passed:

<u>RESOLVED</u>

1. That the Authority do accept the offer of HUDCO to grant to Authority the loan not exceeding **Rs. 1530.64 Crores (Rupees One Thousand Five Hundred Thirty Crores And Sixty Four Lacs only)** on the terms and conditions contained in the **Loan Sanction Letter No. HUDCO/LRO/SCH-20799/2015/334 dated 01/02.07.2015** and **Amendment to Loan Sanction Letter No. HUDCO/LRO/SCH-20799/2016/1462 dated 16//02/2016** received from HUDCO (a copy

whereof duly signed by the Chairman for the purpose of identification has been circulated to the Board/placed on the table of the meeting).

2. The aforesaid borrowing from HUDCO for the project is within the borrowing limits and is in accordance with the State Govt. Approvals and does not contravene any provisions of the UPEIDA Act or any limitations imposed under any regulation/s.

3. That the **Chief Executive Officer** be and are hereby authorised to convey to HUDCO acceptance on behalf of the Authority of the said offer for loan on the terms and conditions contained in the sanction letter referred to above and agree to such changes and modifications in the said terms and conditions as may be suggested and acceptable to HUDCO from time to time and to execute such deeds, documents and other writings as may be necessary or required for this purpose. The Chief Executive Officer is also authorised to affix the Seal/ Common Seal of the Authority wherever required.

4. That the Authority do borrow from HUDCO the said loan not exceeding **Rs. 1530.64 Crores (Rupees One Thousand Five Hundred Thirty Crores And Sixty Four Lacs only)**, on the terms and conditions set out in the Standard form of Loan Agreement including its General Conditions for loan in addition to the special terms and conditions mentioned in the sanction letter received from HUDCO (copies whereof duly signed by the Chairman of the Executive Body, for purposes of identification have been circulated to the Board/placed on the table at the meeting).

5. That the aforesaid standard form of Loan Agreement, Escrow Agreement be and is hereby approved and the **Chief Executive Officer** BE AND ARE HEREBY authorised to accept on behalf of the Authority with such modifications therein as may be acceptable to HUDCO and finalise the same.

6. That the Authority shall execute the Loan Agreement, Escrow Agreement and provide securities as stipulated therein relating to the above loan within the period stipulated by HUDCO. The authority shall be authorized to open and operate an escrow account as per sanction.

7. That the Letter / Deed of Undertakings to be given by Authority and any other document as required by HUDCO (as per the standard forms with such modifications as may be agreed to between HUDCO and the Authority) be executed by **Chief Executive Officer** of the **Authority.**

8. That **Chief Executive Officer** of the Authority be and are hereby authorised to accept amendments to such executed Loan Agreement, Escrow Agreement, Letter / Deed of Undertakings to be given by Authority and/or other documents as and when become necessary and to sign letter(s) of undertakings, declarations, agreements, acknowledgement(s) and other papers which the Authority may be required to sign in connection with the aforesaid loans.

बोर्ड ने संशोधित ऋण अनुमति पत्र का अवलोकन किया तथा हडको द्वारा किए गए परिवर्तनों को अंगीकृत करके निम्न प्रस्ताव का अनुमोदन किया। साथ ही बोर्ड द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु अधिकृत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–04:– **संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:–**

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:–

क्र0सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति अवधि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार के पश्चात् नियुक्ति अवधि	यूपीडा आदेश संख्या/तिथि
1.	श्री ओम प्रकाश पाठक	विशेष कार्याधिकारी–भूमि अर्जन	16.02.2016	एक वर्ष	16.02.2017 तक	2441/यूपीडा/528/15/अधि0 दि0 12.02.2016
2.	श्री प्रभात कुमार	सलाहकार (पी0पी0पी0 परियोजना)	06.02.2016	एक वर्ष	06.02.2017 तक	2391/यूपीडा/262/14/अधि0 दि0 04.02.2016
3.	श्री पी0के तिवारी	विधिक सलाहकार	16.01.2016	दो वर्ष	16.01.2018 तक	2276/यूपीडा/345/14/अधि0 दि0 21.01.2016
4.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	जनसम्पर्क अधिकारी	21.02.2016	06 माह	21.08.2016 तक	2392/यूपीडा/286/14/अधि0 दि0 04.02.2016
5.	श्री हेमन्त कुमार चौहान	स्टाफ ऑफिसर सी0ई0ओ0	11.02.2016	एक वर्ष	11.02.2017 तक	2259/यूपीडा/434/15/अधि0 दि0 20.01.2016
6.	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	लेखाकार	27.01.2016	06 माह	27.07.2016 तक	2058/यूपीडा/519/15/अधि0 दि0 29.12.2015
7.	श्रीमती कंचन तिवारी	ऑडीटर/लेखाकार	13.01.2016	एक वर्ष	13.01.2017 तक	2184 /यूपीडा/503/15/अधि0 दि0 12.01.2016
8.	श्री भगौती प्रसाद	ऑडीटर/लेखाकार	06.01.2016	06 माह	06.07.2016 तक	2059 /यूपीडा/497/15/अधि0 दि0 29.12.2015
9.	श्री राम सुधार यादव	वरिष्ठ सहायक	22.12.2015	06 माह	22.06.2016 तक	2056/यूपीडा/243/14/अधि0 दि0 29.12.2015
10.	श्री दामोदर सिंह	लेखाकार कम कैशियर	30.01.2016	06 माह	30.07.2016 तक	2435/यूपीडा/402/15/अधि0 दि0 11.02.2016
11.	श्री वीरेन्द्र कुमार वैजल	लेखाकार कम कैशियर	28.01.2016	06 माह	28.07.2016 तक	2494/यूपीडा/400/15/

		कैशियर				अधि0 दि0 19.02.2016
12.	श्री अकमल हुसैन	लेखाकार कम कैशियर	20.01.2016	06 माह	20.07.2016 तक	2373/यूपीडा/391/15/ अधि0 दि0 03.02.2016
13.	श्री विजय सिंह	लेखाकार कम कैशियर	30.01.2016	06 माह	30.07.2016 तक	2367/यूपीडा/401ए/15/ अधि0 दि0 03.02.2016
14.	श्री काली चरन	डाकरनर	01.02.2016	06 माह	01.08.2016 तक	2258/यूपीडा/406/15/ अधि0 दि0 20.01.2016

कार्यवाही/निर्णयः– इस प्रस्ताव से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

एजेण्डा बिन्दु–05 **प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जानाः–**

प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु यूपीडा के पूर्व निर्गत आदेश संख्या 826/यूपीडा/14 दिनांक 09.09.2014 के क्रम में प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त किये गये निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराई गई, जिसका बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जाना हैः–

क्र0सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	तैनाती स्थल	अनुमन्यता की तिथि	प्रतिपूर्ति की सुविधा	
					पेट्रोल व्यय	मोबाइल व्यय
1.	श्री विजय कुनार चतुर्वेदी	निजी सचिव सी0ई0ओ0	यूपीडा मुख्यालय	01.02.2016 से	50 ली0	400/–
2.	श्री नागेन्द्र वर्मा	अवर अभियंता	पी0आई0यू0–4 यूपीडा, कन्नौज	18.02.2016 से	60 ली0	500/–

कार्यवाही/निर्णयः– प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा पूर्व से अनुमन्य है, नव नियुक्त 2 कर्मचारियों को उक्त सुविधा अनुमन्य किया जाना है, उक्त प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए निदेशक मण्डल द्वारा दानो कर्मियों को नियमानुसार मोबाइल एवं पेट्रोल की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–06ः– **उ0प्र0 शासन की शीर्षस्थ प्राथमिकता में सम्मिलित आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रक एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना को ई0पी0सी0 पद्धति पर समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।**

वित्तीय वर्ष 2015–16 मेंप्राप्तबजट एंव व्यय की स्थिति :–वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए उ0प्र0 शासन बजट में धनराशि रू0 3300.00 करोड़ का प्राविधान निम्नवत स्वीकृत किया गया है।

क्र0सं0	विवरण	रू0 करोड़ में
1.	अनुदान संख्या–07	2320.00
2.	अनुदान संख्या–83	980.00
	योग	**3300.00**

उपरोक्त क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में परियोजना के पक्ष में स्वीकृति/आवंटित धनराशि निम्नवत उपयोग/व्यय की गई है।

क्र0सं0	विवरण	रू0 करोडमें	टिप्पणी
1.	भूमि अधिग्रहण हेतु	64.11	सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को सीधे उ0प्र0 शासन द्वारा आंवटित किया गया।
2.	निर्माणकर्ताओं को भुगतान हेतु	1895.16	
3.	यूटीलिटी शिफ्टिंग तथा ई0आई0ए0 क्लीयरेंस	125.05	
4.	यूपीडा के अधिष्ठान सम्बंधी व्यय	12.57	
5.	सुपरविजन (अथारिटी इंजीनियर को भुगतान हेतु)	12.22	
	कुलउपयोग/भुगतान	**2109.11**	

व्यय का उपरोक्त मदों में वर्गीकरण शासनादेश दिनांक 01.10.2014 के अनुसार किया गया है।

- "लखनऊ से आजमगढ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे) में परामर्शी सेवाओं हेतु
  वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में अनुदान संख्या-7 (आयोजनागत) के लेखा शीर्षक "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय- 04-निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्सप्रेस-वे परियोजनायें-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद मे उपलब्ध प्राविधान रू0 6,30,50,000.00 के सापेक्ष "लखनऊ से आजमगढ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे) अनुदान संख्या-7 (आयोजनागत) के लेखा शीर्षक "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-12-लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक एक्सप्रेसवे परियोजना-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के मद में रू0 2,00,00,000.00 (रूपया दोकरोड़ मात्र) की धनराशि यूपीडा को परियोजना विकास परामर्शी शुल्क भुगतान करने हेतु **पुर्नविनियोग के माध्यम से** उपलब्ध कराने के लिए पत्रांक 2062/यूपीडा/08/147 दिनांक 29.12.2015 एवं पत्रांक 2526/यूपीडा/08/147 दिनांक 24.02.2016 के द्वारा प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
- अथारिटी इन्जिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया है कि माह फरवरी, 2016 एवं माह मार्च, 2016 के कार्यों को पांचों कन्सेसनायर द्वारा लगभग रू0 900.00 करोड़ के बिल **तथा** change of scope **में बिल लगभग 750.00 करोड** के बिल शीघ्र ही भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने हैं।
- अवस्थापना निधि से प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक-73/83-अव0-2016-116(अव)/12 दिनांक 03.02.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" हेतु धनराशि रू0 600 करोड़ आवंटित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17:-वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उ0प्र0 शासन बजट में धनराशि रू0 5508.20करोड़ का प्राविधान निम्नवत किया गया है।

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना

क्र0सं0	विवरण	रू0 करोड़ में
1.	अनुदान संख्या-07	3103.00
2.	अनुदान संख्या-83	900.00
	योग	**4003.00**

लखनऊ से आजमगढ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे)

क्र0सं0	विवरण	रू0 करोड़ में
1.	अनुदान संख्या-07	1500.00

लखनऊ से आजमगढ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे) में परामर्शी सेवा ओंहेत

क्र0सं0	विवरण	रू0 करोड़ में
1.	अनुदान संख्या–07	5.20

कार्यवाही/निर्णयः–

निदेशक मण्डल को वर्ष 2015–2016 के बजट की स्थिति से अवगत कराया गया ,सदस्यों द्वारा अभिलेखों का अवलोकन करते हुए संतोष व्यक्त किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–07:–

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रगति के सापेक्ष भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में, आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RW/NH-39013/17/2015-NHDP-IVA, दिनांक 22.07.2015 द्वारा ई.पी.सी. कार्यों के अनुबन्धों में बिटुमिनस कार्य जिसमें डी0बी0एम0 तथा बी0सी0 दोनो ही सम्मिलित हैं, को दो पृथक– पृथक लेयर अर्थात डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 तथा रोड ओवर ब्रिज (आर0ओ0बी0) के एक मुश्त कार्य को चार भागों में विभक्त करके भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। ताकि प्रत्येक लेयर अर्थात् जी0एस0बी0, डब्ल्यू0 एम0 एम0, डी0 बी0 एम0 एवं बी0 सी0 के कार्य का भुगतान अलग–अलग किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि परियोजना हेतु प्राप्त अनुदान का वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपभोग करने एवं आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना को निर्धारित अवधि अर्थात् अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण कराने के शासन से प्राप्त निर्देशों के कम में तथा ठेकेदारों का कैश फ्लो बढाने हेतु परियोजना में ग्रेन्यूलर कार्य को जी0एस0बी0 तथा डब्ल्यू0 एम0 एम0 में, बिटुमिनस कार्य को डी0 बी0 एम0 तथा बी0 सी0 में तथा आर0ओ0बी0 को लघु सेतु की भाँति फाउन्डेशन, सब स्ट्रक्चर तथा सुपर स्ट्रक्चर में विभक्त कर भुगतान किये जाने का निर्णय 28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या–6 पर लिया गया था।

उक्त प्रस्ताव में एक लिपिकीय त्रुटि प्रकाश में आयी है जिसे सुधारने हेतु बिन्दु सं0–6 में आंशिक संशोधन निम्नवत् प्रस्तावित हैः–

एजेण्डा बुकलेट का पृष्ठ सं0–25

Package-II

Item	Weightage in percentage to the Contract Price	Stage for Payment		28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या–6 के अनुसार		प्रस्तावित संशोधन	
				% weightage as stated in Schedule-H of Contract Agreement	Proposed amendment in % weightage of Schedule-H of Contract Agreement	% weightage as stated in Schedule-H of Contract Agreement	Proposed amendment in % weightage of Schedule-H of Contract Agreement
1	2	3		4	4a	4	4a
Road works including culverts, minor bridges,	67.8	A.	New 6-lane Expressway --------------------	-	-	-	-

underpasses, overpasses, approaches to ROB/RUB/		(2) Granular work (sub- base, base, shoulders)	27.56		29.56	
		Granular sub-base		9.65		10.35
		Wet mix macadam		17.91		19.21
		(3) Bituminous work	31.61		34.10	
		Dense Bituminous Macadam		17.39		18.76
		Bituminous Concrete		14.22		15.34
		. ----------------------------------	.	.	-	.
Major Bridges/ Structures (but excluding service roads)	5.82	B. New Rail-Road bridges				
		(1) ROB	70.54		70.54	
		Foundation		28.22		28.22
		Sub-structure		7.05		7.05
		Super-structure (including crash barriers etc. complete)		35.27		35.27
		(2) (b) RUB	NIL	NIL	NIL	NIL

एजेण्डा बुकलेट का पृष्ठ सं0–28

Package-II

Table 1.3.1

Stage of Payment	28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या–6 के अनुसार		प्रस्तावित संशोधन		Payment Procedure
	Percentage weightage as per Schedule-H	Proposed amendment in percentage weightage in Schedule-H	**Percentage weightage as per Schedule-H**	**Proposed amendment in percentage weightage in Schedule-H**	
A-New 6-lane expressway					
(2) Granular work (sub- base, base, shoulders)	27.56		**29.56**		Unit of measurement is linear length. Payment of each stage shall be made

Granular sub-base		9.65		**10.35**	on pro rata basis on completion of a stage in full length or 3 (three) km length. In half of carriageway width (i.e. 3 lanes) and Payment shall be made accordingly.
Wet mix macadam		17.91		**19.21**	
(3) Bituminous work	<u>31.61</u>		**<u>34.10</u>**		
Dense Bituminous Macadam		17.39		**18.76**	
Bituminous Concrete		14.22		**15.34**	

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप परियोजना की वित्तीय लागत पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। उपरोक्त प्रस्तावानुसार परियोजना की प्रगति बढाने एवं एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरेजवे का निर्माण अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण कराये जाने हेतु ग्रेन्यूलर लेयर, बिटुमिनस लेयर एवं आर०ओ०बी० का भुगतान अलग–अलग चरणों में विभक्त करके करने के सम्बन्ध में 28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या–6 पर लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही/निर्णयः–

28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या–6 में सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकारके पत्रांक RW/NH-39013/17/2015-NHDP-IVA, दिनांक 22.07.2015 द्वारा ई.पी.सी. कार्यों के अनुबन्धों में ग्रेनुलर कार्य जिसमें जी0एस0बी0 तथा डब्ल्यू0 एम0 एम0, एवं बिटुमिनस कार्य जिसमें डी0बी0एम0 तथा बी0सी0 दोनो ही सम्मिलित हैं, को दो पृथक– पृथक लेयर अर्थात डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 तथा रोड ओवर ब्रिज (आर0ओ0बी0) के एक मुश्त कार्य को चार भागों में विभक्त करके भुगतान करने ताकि प्रत्येक लेयर अर्थात् जी0एस0बी0, डब्ल्यू0 एम0 एम0, डी0 बी0 एम0 एवं बी0 सी0 के कार्य का भुगतान अलग–अलग किया जा सके पर विचार किया गया तथा उक्त के क्रम में ग्रेन्यूलर कार्य को जी0एस0बी0 तथा डब्ल्यू0 एम0 एम0 में, बिटुमिनस कार्य को डी0 बी0 एम0 तथा बी0 सी0 में तथा आर0ओ0बी0 को लघु सेतु की भाँति फाउन्डेशन, सब स्ट्रक्चर तथा सुपर स्ट्रक्चर में विभक्त कर भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया था।

उक्त प्रस्ताव में एक लिपिकीय त्रुटी प्रकाश में आयी है जिसे सुधारने हेतु 28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या–6 में आंशिक संशोधन निम्नवत् प्रस्तुत किये गये।

<u>28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या–6 में एजेण्डा बुकलेट का पृष्ठ सं0–25 पर संशोधनः–</u>

<u>Package-II</u>

Item	Weightage in percentage to the Contract Price	Stage for Payment	28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या–6 के अनुसार		**प्रस्तावित संशोधन**	
			% weightage as stated in Schedule-H of Contract Agreement	Proposed amendment in % weightage of Schedule-H of Contract Agreement	**% weightage as stated in Schedule-H of Contract Agreement**	**Proposed amendment in % weightage of Schedule-H of Contract Agreement**
1	2	3	4	4a	4	4a
Road works including culverts, minor bridges, underpasses, overpasses, approaches to	67.8	A New 6-lane Expressway ----------------------------------	-	-	-	-

ROB/RUB/		(2) Granular work (sub- base, base, shoulders)	27.56		29.56	
		Granular sub-base		9.65		10.35
		Wet mix macadam		17.91		19.21
		(3) Bituminous work	31.61		34.10	
		Dense Bituminous Macadam		17.39		18.76
		Bituminous Concrete		14.22		15.34
		- ----------------------------------	-	-	-	-
Major Bridges/ Structures (but excluding service roads)	5.82	B. New Rail-Road bridges				
		(1) ROB	70.54		70.54	
		Foundation		28.22		28.22
		Sub-structure		7.05		7.05
		Super-structure (including crash barriers etc. complete)		35.27		35.27
		(2) (b) RUB	NIL	NIL	NIL	NIL

28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या–6 में एजेण्डा बुकलेट का पृष्ठ सं0–28 पर संशोधनः–

Package-II

Table 1.3.1

Stage of Payment	28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या–6 के अनुसार		प्रस्तावित संशोधन		Payment Procedure
	Percentage weightage as per Schedule-H	Proposed amendment in percentage weightage in Schedule-H	**Percentage weightage as per Schedule-H**	**Proposed amendment in percentage weightage in Schedule-H**	
A-New 6-lane expressway					
(2) Granular work (sub- base, base, shoulders)	27.56		**29.56**		Unit of measurement is linear length. Payment of each stage shall be made on pro rata basis on completion of a stage in full length or 3
Granular sub-base		9.65		**10.35**	
Wet mix macadam		17.91		**19.21**	

(3) Bituminous work	31.61		34.10		(three) km length. In half of carriageway width (i.e. 3 lanes) and Payment shall be made accordingly.
Dense Bituminous Macadam		17.39		18.76	
Bituminous Concrete		14.22		15.34	

निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि उपरोक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप परियोजना की वित्तीय लागत पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। उपरोक्त प्रस्तावानुसार परियोजना की प्रगति बढाने एवं एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरेजवे का निर्माण अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण कराये जाने हेतु ग्रेन्यूलर लेयर, बिटुमिनस लेयर एवं आर०ओ०बी० का भुगतान अलग–अलग चरणों में विभक्त करके करने के सम्बन्ध में 28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या–6 पर लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन किये जाने का प्रस्ताव सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु सं0 08 :–</u>

<u>आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' हेतु परियोजना से आच्छादित जनपदों में परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में:–</u>

'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना' का संरेखण प्रदेश के 10 जनपदों यथा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई व लखनऊ से होकर जा रहा है। परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू–स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों में की जा रही है। मा0 बोर्ड के समक्ष इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है–

1. अतिरिक्त भूमि क्रय करने एवं जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर का अनुमोदन की कार्यवाही–

'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना' के संरेखण के अर्न्तगत अवस्थित भूमि के लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–4 की विज्ञप्ति के प्रकाशन के उपरान्त संरेखण से प्रभावित भूमि उनके भू–स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर परियोजना के पक्ष में सम्बन्धित जनपदों में क्रय की कार्यवाही की गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परियोजना के परामर्शी फीडबैक इन्फ्राटेक प्राइवेट लि0 द्वारा यूपीडा को उपलब्ध कराये गये संरेखण के आधार पर धारा–4 की विज्ञप्ति में एक्सप्रेसवे से प्रभावित खसरा संख्या व उनका क्षेत्रफल प्रकाशित कराया गया था तथा उसी आधार पर बैनामों का निष्पादन कराया जा रहा है। **एक्सप्रेसवे का निर्माण पांच पैकेजों में निर्माणदायी कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। निर्माणदायी कम्पनियों ने एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु प्लॉन प्रोफाइल प्रस्तुत करते हुए प्लॉन प्रोफाइल के अनुरूप पूर्व में क्रय की गयी भूमि के अतिरिक्त अनेक स्थानों पर भूमि क्रय किये जाने की मांग की गयी।** निर्माणदायी कम्पनियों ने अपने–अपने पैकेज में प्लॉन प्रोफाइल के संरेखण को मेसर्स फीडबैक द्वारा प्रस्तुत संरेखण के ऊपर सुपर इम्पोज कर यूपीडा को प्रस्तुत किया है तथा उसी के अनुरूप अतिरिक्त भूमि को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त परियोजना से प्रभावित खातेदारों की अतिरिक्त भूमि परियोजना में शामिल होने सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों का परीक्षण क्षेत्रीय तथा यूपीडा के तहसीलदार/स्पेशल फील्ड ऑफिसर, पी.आइ.यू. के अभियन्ता एवं निर्माणदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा कराया गया। परीक्षण में संयुक्त टीम द्वारा कतिपय स्थानों पर अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने हेतु यूपीडा को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2015 तथा 01.04.2015 को प्रोजेक्ट के प्रगति की समीक्षा बैठकों में यह निर्देश दिया गया कि निर्माणदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्लॉन प्रोफाइल का परीक्षण पी.आई.यू. के अभियन्ता द्वारा किया जायेगा तत्पश्चात् **यूपीडा के कार्यालय आदेश**

संख्या–1579/यूपीडा 14 दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के द्वारा गठित टीम संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर भूमि क्रय किये जाने के लिए खसरा संख्या व क्रय किये जाने वाले क्षेत्रफल के विवरण के साथ पैकेज हेतु नामित तहसीलदार/नायब तहसीलदार, तकनीकी सेल तथा निर्माणदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा एक संयुक्त आख्या प्रस्तुत की जायेगी। तत्क्रम में निर्माणदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्लॉन प्रोफाइल/खातेदारों के शिकायती प्रार्थना पत्र के अनुसार स्थल पर सर्वेक्षण के उपरान्त पैकेज हेतु नामित टीम द्वारा अतिरिक्त भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में संयुक्त आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त आख्या के आधार पर बोर्ड बैठक 14.08.2015 के पश्चात् जिन ग्रामों में अतिरिक्त भूमि को परियोजना के पक्ष में ग्राम हेतु पूर्व में निर्धारित दर के अनुसार क्रय करने का अनुमोदन प्रदान किया गया उसे निदेशक मण्डल द्वारा उक्त बोर्ड बैठक दिनांक 15.12.2015 में अवलोकित किया जा चुका है। दिनांक 15.12.2015 के पश्चात् अनुमोदित अतिरिक्त भूमि का विवरण निम्नवत है–

1. जनपद– आगरा, तहसील–सदर

क्रमांक	ग्राम का नाम	अधिसूचित गाटा	धारा–4 में अधिसूचित कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–6 में अधिसूचित कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	परियोजना के पक्ष में क्रय किया गया क्षे0 (हे0 में)	अभिनिर्णित क्षेत्रफल (हे0 में)	अवशेष क्षेत्रफल (हे0में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगरचन्द	455	0.2666	0.2666	0.1259	-	0.1407
2	परताबपुरा	78	0.2474	0.2474	0.2360	-	0.0114
3	पलिया	18	0.3570	0.3570	0.0580	-	0.2990
						योग	**0.4511**

क्रमांक	ग्राम का नाम	अधिसूचित गाटा	प्रस्तावित क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	लिंक मार्ग सर्किल दर	सामान्य भूमि की सर्किल दर प्रति हे0 (लाख) में	सर्किल दर की चार गुनी दर (लाख) में	देय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगरचन्द	379	5322	-	8.00	32.00	1703040
2	नगरचन्द	380	755	-	8.00	32.00	241600
3	नगरचन्द	381	173	-	8.00	32.00	55360
			6250			योग	**2000000**

क्रमांक	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित गाटा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे0)	पूर्व में अर्जित/क्रय किया गया क्षे0 (हे0)	अतिरिक्त भूमि जो क्रय किया जाना है।
1	2	3	4	5	6	7
1	सदर	एत्मादपुर मदरा	604	1.2620	1.0378	0.2185

2	फतेहाबाद	गिदरौन	122	0.6350	0.0091	0.0455
3		भरापुर	908	1.4230	0.5380	0.0690
4		नगला लोहिया	78	1.8010	1.2403	0.1204
5		भलोखरा	219	4.6380	-	0.0665
6			189	1.9090	0.7135	0.0453
				कुल योग		**0.5652**

2. जनपद– फिरोजाबाद ग्राम– गुढ़ा तहसील– शिकोहाबाद

क्रमांक	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे0) में	एक्सप्रेसवे में अधिग्रहीत नही	
				पूर्व में अधिग्रहीत	सीमांकन से अतिरिक्त रकबा
1	2	3	4	5	6
1	142	454	0.0130	-	0.0130
2	150	455	0.0130	-	0.0130
				योग	**0.0260**

3. जनपद–कन्नौज

ग्राम	भूमि जिसे परियोजना के पक्ष में क्रय किया जाना है।		कालम सं0–2 व 3 में दर्शायी गयी भूमि परियोजना हेतु पूर्व से घोषित है अथवा अतिरिक्त भूमि है, का उल्लेख	गाटे का पुनरीक्षित अर्थात वर्तमान में प्रचलित सर्किल रेट (लाख में)	पुनरीक्षित सर्किल रेट के चार गुने के अनुसार विक्रय पत्र निष्पादन पत्र हेतु निर्धारित दर (लाख में)
	गाटा सं0	प्रभावित रकबा हे0 में			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			तहसील–कन्नौज		
फगुहा	853	0.0060	अतिरिक्त भूमि	22.00	88.00
			तहसील-छिबरामऊ		
जलालपुर दीनदारपुर	382मि.	0.5784	अतिरिक्त भूमि	12.00	48.00
सुल्तानपुर	625मि.	0.0360	अतिरिक्त भूमि	12.00	48.00
	627मि.	0.0280	अतिरिक्त भूमि	12.00	48.00
	628मि.	0.0360	अतिरिक्त भूमि	12.00	48.00

	630मि.	0.0240	अतिरिक्त भूमि	12.00	48.00
	योग	**0.1240**			
नगला विशुना	50मि.	0.0320	अतिरिक्त भूमि	12.00	48.00
बहादुरपुर मझिगवां	2517मि.	0.0800	अतिरिक्त भूमि	21.00	84.00
	2518मि.	0.0320	अतिरिक्त भूमि	21.00	84.00
	1728मि.	0.0810	अतिरिक्त भूमि	21.00	84.00
	1731	0.0120	अतिरिक्त भूमि	21.00	84.00
	1360मि.	0.0400	अतिरिक्त भूमि	21.00	84.00
	2546मि.	0.0240	अतिरिक्त भूमि	21.00	84.00
	1235मि.	0.0320	अतिरिक्त भूमि	21.00	84.00
	योग	**0.3010**			
सिकन्दरपुर	57मि.	168.75 वर्गमी.	पूर्व से घोषित	1600/वर्गमी.	6400/वर्गमी.
			तहसील–तिर्वा		
बस्ता	1285	0.0890	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	1286	0.0720	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	1288	0.1920	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	1330	0.0680	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	1331	0.0040	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	1332	0.1380	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	1329	0.0400	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	1326	0.0720	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	1325	0.0720	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	1324	0.0610	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	1323	0.0240	अतिरिक्त भूमि	20.00	80.00
	1321	0.0240	अतिरिक्त भूमि	20.00	80.00
	1399	0.0480	अतिरिक्त भूमि	20.00	80.00

	1404	0.0080	अतिरिक्त भूमि	20.00	80.00
	योग	**0.9120**			
पिपरौली	236मि.	0.0160	अतिरिक्त भूमि	20.00	80.00
	237मि.	0.0600	अतिरिक्त भूमि	20.00	80.00
	240मि.	0.0810	अतिरिक्त भूमि	20.00	80.00
	241मि.	0.0120	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	246मि.	0.1336	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	247मि.	0.0200	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	250मि.	0.0200	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	251मि.	0.0120	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	249मि.	0.1010	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	269मि.	0.1620	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	274मि.	0.0200	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	266मि.	0.0280	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	265मि.	0.0200	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	259मि.	0.0400	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	260मि.	0.0320	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	योग	**0.7576**			
बहसुइया	248मि.	0.1070	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	253मि.	0.0410	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	254मि.	0.0360	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	258मि.	0.0570	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	259मि.	0.0200	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	263मि.	0.1010	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	265मि.	0.1210	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	266मि.	0.0700	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	289मि.	0.0120	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00

	292मि.	0.0410	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	286मि.	0.1210	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	290मि.	0.1620	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	284मि.	0.0440	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	283मि.	0.0850	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	281मि.	0.1620	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	280मि.	0.1620	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	286/786	0.0415	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	योग	**1.3835**			
अलीपुर अहाना	177	0.0650	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	154	0.0180	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	175	0.0137	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	174	0.0160	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	676	0.0240	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	677	0.0080	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	675	0.0240	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	योग	**0.1687**			
अलमापुर	78	0.0558	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	82	0.0301	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	84	0.0276	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	86	0.2016	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	103	0.3361	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	107	0.0014	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	108	0.2040	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	195	0.0696	अतिरिक्त भूमि	13.50	54.00
	योग	**0.9262**			

ठठिया	831मि.	0.1270	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	840मि.	0.0320	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	841मि.	0.0120	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	849मि.	0.1250	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	851मि.	0.0080	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	853	0.0200	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	854	0.0200	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	855	0.0320	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	908	0.0240	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1021	0.0810	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1022	0.0320	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1026	0.0240	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1030	0.0480	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1041	0.0060	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1031	0.0200	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1051	0.0040	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1053	0.0040	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1054	0.0080	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1060	0.0060	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1059	0.0040	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1291	0.0280	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1292	0.0200	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1288	0.0320	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1287	0.0160	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1281	0.0160	अतिरिक्त भूमि	21.00	84.00
	1280	0.0060	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	1063	0.0400	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00

	1283	0.0240	अतिरिक्त भूमि	21.00	84.00
	3500	0.0730	अतिरिक्त भूमि	21.00	84.00
	3503	0.0400	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	3545	0.0930	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	3546	0.0240	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	3561	0.0640	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	3565	0.0810	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	3568	0.0810	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	3569	0.0490	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	3602	0.2020	अतिरिक्त भूमि	14.50	58.00
	योग	**1.5260**			

4. जनपद–कानपुर नगर

क्रमांक	ग्राम	भूमि जहां स्थित है, के वर्तमान प्रचलित सर्किल रेट					
		सड़क पर स्थित भूमि (रू0 प्रति हे0)			आबादी से सटी हुई भूमि (रू0 प्रति हे0)		
		राष्ट्रीय राजमार्ग	लिंक मार्ग	सामान्य भूमि	राष्ट्रीय राजमार्ग	लिंक मार्ग	सामान्य भूमि
1	अरौल	70 लाख	38 लाख	25 लाख	140 लाख	76 लाख	50 लाख
2	भींटी हवेली	65 लाख	32 लाख	23 लाख	130 लाख	64 लाख	46 लाख

क्रमांक	ग्राम	भूमि जहां स्थित है, के वर्तमान प्रचलित सर्किल रेट की चार गुना धनराशि					
		सड़क पर स्थित भूमि (रू0 प्रति हे0)			आबादी से सटी हुई भूमि (रू0 प्रति हे0)		
		राष्ट्रीय राजमार्ग	लिंक मार्ग	सामान्य भूमि	राष्ट्रीय राजमार्ग	लिंक मार्ग	सामान्य भूमि
1	अरौल	280 लाख	152 लाख	100 लाख	560 लाख	304 लाख	200 लाख
2	भींटी हवेली	260 लाख	128 लाख	92 लाख	520 लाख	256 लाख	184 लाख

5. जनपद–उन्नाव

क्रम संख्या	ग्राम/तहसील	जनपद	गाटा संख्या	क्षेत्रफल
1	सिरधरपुर एहतमाली/बांगरमऊ	उन्नाव	98	0.0760
		योग		**0.0760**
1	बहलोलपुर मुन्तसिल/बांगरमऊ	उन्नाव	4	0.0400
2			5	0.0300
3			10	0.0100
4			11	0.0300
5			198	0.2550
6			247	0.0130
7			379	0.0150
		योग	07	**0.4030**
1	गोल्हुवापुर/बांगरमऊ	उन्नाव	1	0.0182
2			2	0.0268
3			3	0.1030
4			90	0.0400
5			88	0.1000
6			91	0.1200
7			110	0.2350
		योग	**07**	**0.6430**
1	आलमऊ सराय/बांगरमऊ	उन्नाव	162	0.0740
2			137	0.1010
3			379 मि	0.0160
4			381 मि	0.0050

5			378 मि	0.1150
		योग	05	**0.3110**

ग्राम/तहसील	गाटा	कुल रकबा	पूर्व में अधिसूचित क्षे0 (है0)	स्तम्भ–4 के अलावा संरेखण के अन्तर्गत अवस्थित अतिरिक्त भूमि (है0)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
शादीपुर/ बांगरमऊ	579	0.179	0.1652	0.0138	
	580	0.069	-	0.0130	
	2475	0.704	0.1501	0.1520	
	3051	0.696	0.3840	0.3120	
	3094ख	0.076	0.0384	0.0376	
			योग	**0.5284**	
गौरियाकला/सफीपुर	3441	0.3570	0.1497	0.0250	
	3442	0.2210	0.0354	0.0130	
	3467	0.8470	0.0408	0.1033	
	3463	0.4190	0.3490	0.0700	
	3449	0.4820	0.1362	0.0510	
	1812	1.6510	0.1876	0.4280	
	2478	0.9090	0.5564	0.2919	
	2465	0.4110	0.2431	0.1029	
	3311	0.5310	0.4445	0.0545	
	3464	0.6450	0.0815	0.2410	
	3465	0.1640	0.1024	0.0616	
			योग	**1.4422**	
बरादेव/हसनगंज	1121	0.1600	0.1180	0.0420	
लोघाटीकुर/हसनगंज	466/641	0.0250	-	0.0250	
		कुल योग		**2.0376**	

क्रमांक	ग्राम/तहसील / जनपद	गाटा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे0)	पूर्व में प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि (हे0)	वर्तमान में क्रय करने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (हे0)	स्तम्भ–6 की भूमि में स्थित परिसम्पत्ति	टिप्पणी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	नसीरपुर भीखन/ बांगरमऊ/ उन्नाव	29	0.166	-	0.166	-	-
2		30	0.179	0.0288	0.032	-	-
3		31	0.179	0.008	0.171	-	-
4		35	0.621	0.0256	0.032	-	-
5		37	0.026	-	0.013	-	-
6		38	0.026	-	0.026	-	-
7		39	0.026	-	0.026	-	-
8		40	1.128	0.1216	1.006	-	-
9		228	0.075		0.075	-	-
10		435	0.351	-	0.192	-	-
11		436	0.799	-	0.420	01 बोरवेल	-
12		506	8.717	-	2.208	-	-
13		505	0.398	-	0.128	02 बोरवेल	-
14		553	0.44	-	0.224	-	-
15		550	1.907	-	0.352	-	-
16		543	0.477	-	0.477	-	-
17		542	0.476	-	0.160	-	-
18		541	0.404	-	0.272	-	-
19		612	0.108	-	0.108	-	-
20		613	0.181	-	0.181	-	-
21		620	0.125	-	0.003	-	-
22		621	0.125	-	0.020	-	-

23		622	0.125	-	0.032	-	-
24		623	0.444	-	0.168	01 बोरवेल	-
25		647	0.362	-	0.252	-	-
26		646	0.192	-	0.095	-	-
27		645	0.192	-	0.005	-	-
28		648	0.632	-	0.106	-	-
29		652	0.399	-	0.106	-	-
30		658	0.248	-	0.063	-	-
31		661	0.270	-	0.080	-	-
32		665	0.207	-	0.207	-	-
33		664	0.030	-	0.030	-	-
34		672	0.018	-	0.018	-	-
35		671	0.041	-	0.041	-	-
36		685	0.508	-	0.508	-	-
37		684	0.308	-	0.308	-	-
38		686	0.276	-	0.060	-	-
39		681	1.049	-	1.049	-	-
40		77	0.088	-	0.010	-	-
41		75	0.281	-	0.025	-	-
42		74	0.279	-	0.279	-	-
43		54	0.102	-	0.102	-	-
44		53	0.13	-	0.130	-	-
45		426	0.161	-	0.161	-	-
46		427	0.214	-	0.166	-	-
47		428	0.232	-	0.166	-	-
48		484	0.163	-	0.163	-	-
49		68	0.220	-	0.220	-	-
50		65	0.177	-	0.177	-	-

51		64	0.186	-	0.186	-	-
52		58	0.022	-	0.022	-	-
53		55	0.019	-	0.019	-	-
54		48	0.273	-	0.273	-	-
55		49	0.063	-	0.063	-	-
56		50	0.069	-	0.069	-	-
57		51	0.060	-	0.060	-	-
58		420	0.344	-	0.040	-	-
59		431	0.907	-	0.907	-	-
60		430	0.312	-	0.016	-	-
61		483	0.095	-	0.095	-	-
62		485	0.181	-	0.070	-	-
63		486	0.185	-	0.028	-	-
64		487	0.198	-	0.010	-	-
65		504	0.123	-	0.123	-	-
66		502	0.049	-	0.025	-	-
67		557	0.143	-	0.048	-	-
68		558	0.133	-	0.004	-	-
69		556	0.722	-	0.256	-	-
70		559	0.261	-	0.084	-	-
71		560	0.279	-	0.202	-	-
72		561	0.497	-	0.235	-	-
73		562	1.882	-	0.564	-	-
74		594	0.238	-	0.119	-	-
75		596	0.025	-	0.025	-	-
76		597	0.209	-	0.209	-	-
77		598	0.238	-	0.238	-	-
78		548	0.541	-	0.541	-	-
79		547	0.15	-	0.150	-	-

80		546	0.138	-	0.138	-	-
81		600	0.135	-	0.135	-	-
82		599	0.135	-	0.135	-	-
83		710	2.236	-	0.084	-	-
84		604	0.843	-	0.640	-	-
85		608	0.117	0.0024	0.115	-	-
86		607	0.117	0.0024	0.115	-	-
87		606	0.258	0.0128	0.245	-	-
88		605	0.253	0.0028	0.250	-	-
89		705	0.302	-	0.114	-	-
90		704	0.035	-	0.035	-	-
91		703	0.035	-	0.035	-	-
92		617	0.183	0.081	0.102	-	-
93		618	0.183	-	0.183	-	-
94		689	0.208	0.0128	0.195	-	-
95		690	0.208	-	0.208	-	-
96		691	0.208	-	0.208	-	-
97		657	0.152	-	0.152	-	-
98		662	0.161	-	0.161	-	-
99		668	0.076	-	0.076	-	-
100		693	0.126	-	0.126	-	-
101		692	0.125	-	0.125	-	-
102		695	0.125	-	0.113	-	-
103		694	0.127	-	0.127	-	-
104		696	0.127	-	0.089	-	-
105		669	0.267	-	0.267	-	-
106		675	0.176	-	0.176	-	-
107		743	0.061	-	0.038	-	-
108		742	0.061	-	0.061	-	-

109		741	0.071	-	0.071	-	-
110		745	0.160	-	0.160	-	-
111		744	0.178	-	0.029	-	-
112		746	0.215	-	0.108	-	-
113		681	1.049	-	1.049	-	-
114		747	0.109	-	0.109	-	-
115		748	0.109	-	0.060	-	-
116		652	0.399	-	0.088	-	-
117		762	0.215	-	0.014	-	-
118		686	0.276	-	0.255	-	-
119		685	0.508	-	0.508	-	-
120		684	0.308	-	0.308	-	-
121		683	0.053	-	0.053	-	-
122		682	0.040	-	0.040	-	-
123		680	0.070	-	0.070	-	-
124		678	0.060	-	0.060	-	-
125		673	0.014	-	0.014	-	-
126		672	0.018	-	0.018	-	-
127		671	0.041	-	0.041	-	-
128		659	0.022	-	0.022	-	-
	कुल योग				**23.225**		

क्रमांक	ग्राम/तहसील / जनपद	गाटा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे0)	पूर्व में प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि (हे0)	वर्तमान में क्रय करने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (हे0)	स्तम्भ–6 की भूमि में स्थित परिसम्पत्ति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जोगीकोट/ बांगरमऊ/ उन्नाव	122	0.858	0.726	0.132	-	
2		125	0.329	0.1482	0.181	-	

3		126	0.132	-	0.132	-	
4		347	0.480	-	0.480	-	
5		348	0.101	0.0913	0.010	-	
6		350	1.088	1.0457	0.042	-	
7		354	0.204	-	0.077	-	
8		385	0.911	-	0.314	-	
9		387	0.348	0.346	0.002	-	
				योग	**1.370**		

क्रमांक	ग्राम/तहसील / जनपद	गाटा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे0)	पूर्व में प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि (हे0)	वर्तमान में क्रय करने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (हे0)	स्तम्भ-6 की भूमि में स्थित परिसम्पत्ति	टिप्पणी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	भगवन्तपुर गोटपाली/ बांगरमऊ/ उन्नाव	1	0.987	0.6073	0.380	-	-
2		2	0.263	0.0104	0.253	-	-
3		3	0.480	-	0.395	-	-
4		4	0.259	-	0.096	-	-
5		5	0.162	-	0.058	-	-
6		6	0.240	-	0.019	-	-
7		7	0.266	-	0.029	**01 हैण्ड पम्प**	-
8		10	0.445	-	0.080	-	-
9		14	1.220	-	0.504	-	-
10		310	0.794	-	0.213	-	-
11		311	0.256	-	0.043	-	-
12		312	0.160	-	0.160	-	-
13		313	1.269	-	0.515	-	-
14		314	1.276	-	0.091	-	-
15		315	0.385	-	0.307	-	-

16		316	0.190	-	0.190	-	-
17		317	1.546	-	1.322	-	-
18		318	0.025	-	0.025	-	-
19		319	0.025	-	0.025	-	-
20		320	0.029	-	0.029	-	-
21		441	0.844	-	0.354	-	-
22		440	0.139	-	0.064	01 बोरवेल	-
23		331	0.544	-	0.035	-	-
24		332	0.462	-	0.374	-	-
25		336	1.002	-	0.132	-	-
26		324	0.452	0.432	0.020	-	-
27		321	0.653	0.5289	0.124	-	-
28		322	0.402	0.1556	0.246	-	-
29		442	1.076	0.1793	0.381	-	-
30		328	0.364	0.2736	0.090	-	-
31		329	0.030	0.0225	0.008	-	-
32		333	0.140	0.0700	0.070	-	-
33		334	0.069	0.0222	0.047	-	-
34		335	0.069	-	0.069	-	-
35		330	0.139	0.1027	0.036	-	-
36		644	0.854	-	0.050	-	-
		कुल योग			6.834		

क्रमांक	ग्राम/तहसील / जनपद	गाटा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (है0)	पूर्व में प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि (है0)	वर्तमान में क्रय करने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (है0)	स्तम्भ 6 की भूमि में स्थित परिसम्पत्ति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हैबतपुर	248	0.370	-	0.051	-	-
2		256	6.998	0.005	0.452	-	-
3		257	0.084	-	0.084	-	-

4		258	0.287	0.0337	0.086	-	-
5		259	0.228	0.1302	0.098	-	-
6		260	0.228	-	0.182	-	-
7		398	1.467	-	0.062	-	-
		कुल योग			**1.015**		

क्रमांक	ग्राम/तहसील / जनपद	गाटा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (है0)	पूर्व में पुनर्ग्रहीत भूमि (है0)	वर्तमान में क्रय करने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (है0)	स्तम्भ–6 की भूमि में स्थित परिसम्पत्ति	टिप्पणी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	खम्भौली/ बांगरमऊ/ उन्नाव	680	0.468	0.0520	0.416	-	-
2		679	0.760		0.760	-	-
3		678	0.721		0.250	-	-
4		684	0.092		0.092	-	-
5		685	0.095		0.095	-	-
6		690	0.367	0.3639	0.0031	-	-
7		686	0.868		0.136	-	-
8		697	0.976	0.7442	0.232	-	-
9		695	0.303	0.2912	0.012	-	-
10		696	0.759	0.0450	0.372	-	-
11		689	0.721		0.313	-	-
12		698	0.843	0.6848	0.158	-	-
13		714	0.786	0.6588	0.127	-	-
14		715	0.190	0.1611	0.029	-	-
15		716	0.190	0.1337	0.056	01 मन्दिर	–
16		711	0.534	0.2280	0.306	-	-
17		712	0.255	0.0400	0.215	-	-
18		702	0.363		0.120	-	-

19		708	0.664	0.0500	0.312	-	-
20		707	0.926	0.0500	0.456	-	-
21		710	0.426		0.370	-	-
22		682	0.095	0.0850	0.010	-	-
23		683	0.095	0.0483	0.0467	-	-
24		713	0.240		0.040	-	-
				कुल योग	**4.9268**		

<u>कार्यवाही / निर्णयः–</u>

इस संबंध में निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया एवं यह भी अवगत कराया गया की जनपद स्तरी समिति की संस्तुति दर के आधार पर भूमि क्रय की कार्यवाही की जानी है निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु सं0 09 :–</u> **<u>भारतीय वायु सेना के प्रस्तावित हवाई पट्टी हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में</u>**

क्रमांक	ग्राम / तहसील / जनपद	गाटा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे0)	पूर्व में अधिसूचित भूमि (हे0)	वर्तमान में क्रय करने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (हे0)	स्तम्भ–6 की भूमि में स्थित परिसम्पत्ति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कबीरपुर / बांगरमऊ / उन्नाव	362	1.693	–	0.020	–	
2		503	0.430	0.1000	0.312	–	
3		502	0.531	0.2694	0.262	–	
4		501	0.647	0.0300	0.400	–	
5		382	1.101	–	0.278	–	
6		492	0.013	–	0.013	–	
7		491	0.063	–	0.063	–	
8		490	0.038	–	0.038	–	
9		499	0.025	–	0.025	–	
10		498	0.081	0.0765	0.005	–	
11		495	0.066	0.0555	0.011	–	
12		494	0.066	0.0350	0.031	–	
13		493	0.304	0.1000	0.204	–	

14		525	1.215	1.0375	0.178	–	
15		486	0.278	–	0.204	–	
16		487	0.607	–	0.168	–	
17		528	0.384	–	0.090	–	
18		529	0.030	–	0.030	–	
19		530	0.163	–	0.163	–	
20		532	0.618	0.2000	0.418	01 बोरवेल, 01 पक्की कोठरी	
21		539	0.512	0.1600	0.272	–	
22		540	0.751	0.0200	0.324	–	
23		542	0.083	–	0.043	–	
24		580	0.340	–	0.240	–	
25		583	1.316	0.5580	0.530	01 बोरवेल	
26		581	0.534	–	0.152	–	
27		584	0.326	–	0.232	–	
28		587	0.416	–	0.177	–	
29		925	0.499	0.4900	0.009	01 बोरवेल	
30		889	0.660	0.1880	0.472	–	
31		888	0.423	–	0.346	01 बोरवेल	
32		886	0.140	–	0.070	–	
33		885	0.156	–	0.078	–	
34		890	0.665	0.5950	0.070	–	
35		884	0.463	–	0.032	–	
36		882	1.113	0.5600	0.553	01 बोरवेल, 01 पक्की कोठरी, 02 मन्दिर, 01 समाधि	
37		842	0.115	–	0.115	–	
38		840	0.102	0.0200	0.082	–	
39		843	0.891	–	0.184	–	
40		846	0.103	–	0.103	–	

41		853	2.167	1.7291	0.438	–	
42		847	1.708	0.0060	0.464	–	
43		848	0.069	–	0.069	–	
44		849	1.021	–	0.557	–	
45		851	0.715	0.5820	0.133	–	
46		850	0.461	0.3700	0.378	–	
47		778	1.062	–	0.230	–	
48		779	0.063	–	0.063	–	
49		781	0.379	0.1000	0.279	–	
50		780	0.117	–	0.117	–	
51		768	1.116	–	1.116	–	
52		776	0.701	–	0.387	–	
53		775	0.113	–	0.025	–	
54		735	0.375	–	0.058	–	
55		738	1.016	0.2441	0.313	–	
56		741	0.380	0.3415	0.039	–	
57		742	0.190	–	0.190	–	
58		746	0.073	–	0.045	–	
59		739	1.138	0.8414	0.297	–	
60		744	0.295	–	0.238	–	
61		761	0.336	0.2029	0.133	–	
62		758	0.665	–	0.295	01 बोरवेल	
63		762	0.183	0.0090	0.174	–	
64		765	0.130	–	0.130	–	
65		768	1.116	–	1.116	–	
66		764	0.195	–	0.195	–	
67		763	0.195	–	0.195	–	
68		759	0.618	–	0.618	–	
69		760	0.025	–	0.025	–	

70		748	0.076	–	0.002	–	
71		746	0.077	–	0.035	–	
72		759	0.618	–	0.618	–	
73		856	0.104	–	0.104	–	
74		855	0.082	0.0270	0.055	–	
75		878	0.089	0.0510	0.038	–	
76		879	0.314	0.2890	0.025	–	
77		857	0.447	–	0.288	–	
78		861	0.908	–	0.403	–	
79		862	0.753	–	0.192	–	
80		873	0.164	–	0.164	–	
81		872	0.106	–	0.106	–	
82		871	0.045	–	0.045	–	
83		875	0.063	–	0.063	–	
84		876	0.076	–	0.076	–	
85		877	0.164	0.0250	0.139	01 बोरवेल	
86		894	0.176	–	0.013	–	
87		893	1.034	0.2260	0.364	01 पम्प रूम, 01 समाधि, 01 बोरवेल	
88		908	1.173	–	0.160	–	
89		892	0.363	0.3330	0.030	–	
90		922	0.201	0.0742	0.127	–	
91		921	0.341	0.3200	0.021	–	
92		920	0.298	0.0800	0.245	–	
93		919	0.295	0.0195	0.202	–	
94		918	0.434	0.0040	0.269	–	
95		917	0.248	0.2370	0.011	–	

96		916	0.796	0.1517	0.322	–	
97		914	0.367	–	0.003	01 बोरवेल	
98		913	0.732	0.0500	0.348	–	
99		912	0.474	–	0.128	01 बोरवेल	
100		911	1.360	–	0.096	–	
101		536	0.806	0.3000	0.506	–	
102		537	0.510	0.4800	0.030	–	
103		538	0.634	0.5898	0.044	–	
104		524	1.960	0.9500	0.563	01 बोरवेल	
105		523	0.242	–	0.225	–	
106		515	1.010	0.7300	0.280	–	
107		517	0.721	–	0.160	–	
108		516	0.063	–	0.063	–	
109		511	0.463	0.1289	0.334	–	
110		513	0.241	–	0.135	–	
111		509	1.265	–	0.393	–	
112		510	1.582	1.2969	0.285	01 पक्की बिल्डींग	
113		505	0.620	–	0.040	–	
114		504	0.796	0.3410	0.455	–	
योग					23.519		

<u>कार्यवाही / निर्णयः–</u> इस संबंध में निदेशक मण्डल को प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत कराया गया निदेशक मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किया गया ।

<u>एजेण्डा बिन्दु सं0 10 :–</u> **<u>परियोजना के जनपद इटावा एवं कानपुर नगर के कतिपय ग्रामों के संरेखण के अन्तर्गत सड़क/आबादी के किनारे स्थित गाटें जिनका बैनामा पूर्व में सामान्य रेट से कराया गया है, का तितिम्मा कराकर तत्समय प्रचलित सड़क/आबादी के किनारे स्थित भूमि के सर्किल रेट के चार गुना के आधार पर मूल्यांकन कराकर अन्तर का भुगतान के अनुमोदन की कार्यवाहीः–</u>**

ग्राम–कुदरैल व बनीहरदू तहसील–ताखा एवं ग्राम–हरदोई, तहसील–सैफई, जनपद–इटावा तथा ग्राम–भींटी हवेली, अरौल तहसील–बिल्हौर, जनपद–कानपुर नगर के सड़क/आबादी के किनारे स्थित कतिपय गाटों का बैनामा परियोजना के पक्ष में सम्बन्धित तहसीलों द्वारा सामान्य भूमि की दर से करा लिया गया है। ऐसे सड़क/आबादी के किनारे स्थित गाटों की बैनामाशुदा भूमियों का तितिम्मा कराकर तत्समय प्रचलित सड़क/आबादी के किनारे स्थित भूमि के सर्किल रेट के चार गुना के आधार पर मूल्यांकन कराकर अन्तर का भुगतान के अनुमोदन की कार्यवाही।

कार्यवाही/निर्णयः– परियोजना के जनपद इटावा एवं कानपुर नगर के कतिपय ग्रामों के संरेखण के अन्तर्गत सड़क/आबादी के किनारे स्थित गाटें जिनका बैनामा पूर्व में सामान्य रेट से कराया गया है, तत्समय प्रचलित सड़क/आबादी के किनारे स्थित भूमि के सर्किल रेट के चार गुना के आधार पर आंकलित मूल्य के अन्तर का भुगतान के अनुमोदन की कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा किया गया तथा अन्तर के भुगतान पर सहमति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं0 11 :– **परियोजना हेतु अतिरिक्त भूमि क्रय करने हेतु पुनरीक्षित सर्किल रेट के आधार पर जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर के अनुमोदन की कार्यवाहीः–**

परियोजना से प्रभावित जनपदों में धारा–4 की अधिसूचना के पश्चात् सर्किल रेट पुनरीक्षित हो गये है। अतिरिक्त भूमि के क्रय हेतु पुनरीक्षित सर्किल रेट के आधार पर जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर के अनुमोदन की कार्यवाही।

यूपीडा के निदेशक मण्डल की 22वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 द्वारा प्रचलित सर्किल दर के चार गुना के बराबर दर पर भूमि कय किये जाने की संस्तुति प्राप्त होने पर अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किया गया है जिसके कम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा परियोजना हेतु सम्बन्धित जनपदों में उपरोक्तानुसार अतिरिक्त

भूमि क्रय करने की अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार विभिन्न तिथियों में प्रदान की गयी।

अतः उपरोक्त **बिन्दु–01** (अतिरिक्त भूमि क्रय करने एवं जनपद स्तरीय समिति का वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार संस्तुत दर का अनुमोदन), **बिन्दु संख्या–02** (भारतीय वायु सेना के प्रस्तावित हवाई पट्टी हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने), **बिन्दु संख्या–03** सड़क/आबादी के किनारे स्थित गाटों की भूमियों का तितिम्मा कराकर तत्समय सड़क/आबादी के किनारे प्रचलित सर्किल रेट एवं सामान्य रेट की धनराशि के अन्तर का भुगतान किये जाने का अनुमोदन **बिन्दु संख्या–04** पुनरीक्षित सर्किल रेट के आधार पर जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर के आधार पर क्रय का अनुमोदन सम्मिलित कार्यवाही के अवलोकन करने का प्रस्ताव निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

कार्यवाही/निर्णयः– परियोजना हेतु अतिरिक्त भूमि क्रय करने हेतु पुनरीक्षित सर्किल रेट के आधार पर जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर के अनुमोदन की कार्यवाही के संबंध में निदेशक मण्डल को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया, निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 12 :– **यूपीडा द्वारा क्रियान्वित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सम्बन्धित शासनादेश संख्या व दिनांक	अद्यतन स्थिति
1	ग्रेटर नोएडा से बलिया 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना (गंगा एक्सप्रेसवे)	4246/77–4–07 – 94भा./07टी.सी. दिनांक 27.12.2007	परियोजना के विकासकर्ता का चयन कर कन्सेशनायर के साथ कन्सेशन अनुबन्ध दिनांक 23.03.2008 को निष्पादित किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के अनुक्रम में परियोजना क्रियान्वयन स्थगित है। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में दिये गये निर्देश कि परियोजना हेतु नये सिरे से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये, के क्रम में कन्सेशनायर द्वारा परियोजना का पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पहले स्टेट लेवल इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथारिटी (SEIAA) में प्रस्तुत किया गया था। तदोपरान्त SEIAA के निर्देशानुसार कन्सेशनायर द्वारा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में दिनाँक 16.04.2011 के प्रस्ताव के माध्यम

			से आवेदन किया गया था। इस संबंध में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र दिनांक 27.10.2011 द्वारा यह सूचित किया गया था कि मे0 जेजीआईसीएल परियोजना के कन्सेशनायर हैं तथा पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु प्रस्ताव प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट द्वारा करना होगा, साथ ही उन्होंने यूपीडा से इस संबंध में प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु कहा है। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 27.10.2011 के सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के अभिमत के अनुसार पी0पी0पी0 मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 30.03.2012 में निर्णय लिया गया था कि यूपीडा द्वारा आवेदन करने से पूर्व कन्सेशन अनुबन्ध में आवश्यक संशोधन हेतु पूरक कन्सेशन एग्रीमेंट निष्पादित किया जाये, एवं कन्सेशनायर को उक्त पूरक कन्सेशन एग्रीमेंट का आलेख्य उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये थे। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं सम्भावित अग्रेत्तर कार्यवाही निर्धारण हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 18.11.2014 में यह निर्णय लिया गया है कि यूपीडा एवं कन्सेशनायर द्वारा पूर्व में निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 को आपसी सहमति की शर्तों पर अधिक्रमण अथवा रद्द ;Supersession or Rescission) करना उचित प्रतीत होता है। तत्क्रम में प्राधिकरण के पत्र संख्या 1354/यूपीडा/08/11/वाल्यूम–V दिनांक 28.11.2014 द्वारा प्रशासनिक विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन) से आवश्यक अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सेशनायर के साथ पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करने एवं इस सम्बन्ध में अन्य अग्रेत्तर कार्यवाही के लिये यूपीडा को अधिकृत करने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रदान कराने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त प्रकरण शासन के विचाराधीन है।
2	गाजियाबाद से सहारनपुर होते हुए यमुना या हिन्डन नदी के तट पर मोहान्द (उत्तराखण्ड–उत्तर प्रदेश की सीमा) के समीप तक	695A/77–3–2008–34M/07T.C. दिनांक 28.02.2008	अधिसूचना संख्या 3737/77–3–09–94भा./07टी.सी. दिनांक 24.11.2009 द्वारा इस परियोजना के स्थान पर 'अपर गंगा नहर के दायें तट पर देहरा के समीप ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश–उत्तराखण्ड सीमा (सीमा से 10 किमी0 पूर्व) तक 08–लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे' हेतु संशोधन किया गया है।
3	आगरा से कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना	–तदैव–	'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी'/ 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओ के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।
4	झॉसी – कानपुर–लखनऊ – गोरखपुर – कुशीनगर एक्सप्रेसवे परियोजना	–तदैव–	यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में इस परियोजना के विकास के लिये अग्रेत्तर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने पर विचार एवं दिशा–निर्देश जारी करने हेतु यूपीडा के पत्र दिनांक 30.06.2015 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया था। शासन द्वारा परियोजना की प्रस्तावित संरचना एवं

			शासन पर संभावित वित्तीय उपाशय से संभावित कतिपय जानकारी चाही गयी है। जिस पर सूचना संकलित की जा रही है।
5	लखनऊ– बाराबंकी–नानपारा लिंक	–तदैव–	'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी' / 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओ के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।
6	बिजनौर–मुरादाबाद–फतेहगढ़	–तदैव–	यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में इस परियोजना के विकास के लिये अग्रेत्तर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने पर विचार एवं दिशा–निर्देश जारी करने हेतु यूपीडा के पत्र दिनांक 30.06.2015 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया था। शासन द्वारा परियोजना की प्रस्तावित संरचना एवं शासन पर संभावित वित्तीय उपाशय से संभावित कतिपय जानकारी चाही गयी है। जिस पर सूचना संकलित की जा रही है।
7	नरौरा से गंगा नदी के बायें तट पर उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमा से 10 किमी0 पूर्व तक	1319/77–3–08–26अव0/08 दिनांक 13.05. 2008	'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी' / 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओ के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।
8	अपर गंगा कैनाल के दांये तट पर सनौटा ब्रिज (बुलन्दशहर) से उ0 प्र0 – उत्तराखण्ड सीमा के पूर्व पुरकाजी (मुजफ्फरनगर) के निकट तक 08–लेन प्रवेश नियत्रिंत एक्सप्रेसवे परियोजना	3055/77–3–09–71 (अवस्थापना)/08 दिनांक 25.10. 2009 एवं 819/77–3–10–71 (अवस्थापना)/08 दिनांक 10.03. 2010	परियोजना विकास हेतु परियोजना परामर्शी का चयन कर आवश्यक अध्ययन कराया गया था। परियोजना के विकासकर्ता चयन हेतु आर.एफ.क्यू. के माध्यम से पात्र विकासकर्ताओं को शार्टलिस्ट कर आर.एफ.पी. जारी किया गया था, परन्तु बिड प्राप्त करने की निर्धारित तिथि दिनांक 31.01.2011 अग्रिम तिथि तक स्थगित की गई थी। परियोजना के फॉरेस्ट क्लीयरेंस तथा वन्य जीव क्लीयरेंस हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में प्रस्ताव के माध्यम से आवेदन किया गया जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में इस परियोजना के लंबित प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर शीघ्र अनापत्ति प्रदान करने का अनुरोध यूपीडा के पत्र दिनांक 27.07. 2015 द्वारा किया गया है। इस परियोजना के रिवाइवल एवं 'हाईब्रिड एन्यूटी' मोड पर विकसित करने सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को भी प्राधिकरण के पत्र दिनांक 20.07.2015 के माध्यम से प्रेषित किया गया है।
9	अपर गंगा कैनाल के दॉये तट पर स्थित सनौटा ब्रिज(बुलन्दशहर) से कानपुर –फतेहपुर एक्सप्रेसवे परियोजना एवं अन्य मार्गो	1234/77–3–10–94भा./07टी.सी. दिनांक 30.04. 2010	परियोजना की कान्सेप्ट रिपोर्ट तैयार करा ली गयी थी। इस परियोजना के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे परियोजना (क्रम सं.–8) हेतु अपनाये गये सिद्धान्त इस परियोजना के कियान्वयन में अपनाये जायेंगे। चूंकि अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे परियोजना पर कार्यवाही स्थगित है, अतः इस परियोजना हेतु भी अग्रेतर कार्यवाही स्थगित है।

10	'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना'	1490/77–3–12–2(यूपीडा)/12 दिनांक 28.09.2012	शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1988/77–3–13–2(यूपीडा)/12 दिनांक 30.12.2013 द्वारा इस परियोजना को पी.पी.पी. के स्थान पर इ.पी.सी. पद्धति पर विकसित करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसके क्रम में परियोजना को पांच पैकेजों में विभाजित कर पांचों पैकेजों हेतु निर्माणकर्ताओं का चयन किया जा चुका है एवं चयनित निर्माणकर्ताओं के साथ दिनांक 29.10.2014 को अनुबन्ध निष्पादित कर लिया गया है। परियोजना हेतु 'अथारिटी इन्जीनियर' का चयन किया जा चुका एवं चयनित अथारिटी इंजीनियर के साथ दिनांक 12 मार्च 2015 को अनुबन्ध निष्पादित कर दिया गया है। परियोजना निर्माण का कार्य पांचों पैकेजों में जारी है।
11	लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना	385/77–3–15–502एम/14 दिनांक 27 मार्च 2015	औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 07.08.2015 के क्रम में 'लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' को इ0पी0सी0 पद्धति पर विकसित करने हेतु मे0 आई0आई0डी0सी0 लि0 को 'प्रोजेक्ट डेवलेपमेंट कन्सल्टेंट' के रूप में नियुक्त कर दिनांक 01.10.2015 को उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया। परियोजना निर्माणकर्ताओं की शार्टलिस्टिंग हेतु प्रथम चरण में बिडिंग अभिलेख (आर0एफ0क्यू0) तैयार कर दिनांक 07.11.2015 को जारी किया गया तथा दिनांक 20.11.2015 को इच्छुक आवेदनकर्ताओं के साथ एक 'प्री–अप्लीकेशन मीटिंग' आयोजित की गयी। इच्छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रेषित क्वेरीज़ का स्पष्टीकरण/उत्तर एवं आवश्यक एडेण्डम का निर्धारण करके परियोजना के आठों पैकेजों हेतु पृथक–पृथक संशोधित आर0एफ0क्यू0 तैयार कर उन्हें भी यूपीडा की वेबसाइट पर दिनांक 18.12.2015 को अपलोड कर जारी कर दिया गया। तत्क्रम में बिड ड्यू डेट दिनांक 08.01.2016 को आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किये गये, जिनके परीक्षणोंपरान्त शार्टलिस्टंग की कार्यवाही प्रचलित है।

<u>कार्यवाही/निर्णयः–</u> यूपीडा द्वारा कियान्वित एक्सप्रेस–वे की सभी परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया एवं निदेशक मण्डल द्वारा सभी 11 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गयी।

अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 29 वीं निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 04.03.2016 का उपलिखित कार्यवृत्त अध्यक्ष महोदय को अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

(के0के0 सिंह विसेन) 4/03/2016
विशेष कार्याधिकारी

(राम सिंहासन प्रेम)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अध्यक्ष

ACEO

CEO 4/3

04/03/16

04/03/16

OSD (ACEO)

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.05.2016 को सम्पन्न हुई 30वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1.	श्री नवनीत सहगल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा	–	अध्यक्ष
2.	डा0 ऋषिकेश भास्कर यशोद, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	–	सदस्य
3.	श्री राजीव श्रीवास्तव, विशेष सचिव, वित्त उ0 प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त)	–	सदस्य
4.	श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास)	–	सदस्य
5.	श्री राजेश प्रताप सिंह, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण)	–	सदस्य
6.	श्री राम सिंहासन प्रेम, प्रभारी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।	–	सदस्य

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री विश्वदीपक, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
2. श्री ए0के0 पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री एस0के0 गुप्ता, वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
4. श्री बी0सी0 तिवारी, मुख्य वन संरक्षक, यूपीडा।
5. श्री ओ0पी0 गुप्ता, परियोजना निदेशक वन।
6. श्री जी0एस गोयल, मुख्य वास्तुविद नियोजक, यूपीडा।
7. श्री ओम प्रकाश पाठक, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
8. श्री के0के0 गुप्ता, सलाहकार वित्तीय, संस्थाए।
9. श्री हेमन्त कुमार चौहान, स्टाफ ऑफिसर, (तकनीकी) यूपीडा।
10. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
11. श्री किशोर पाण्डेय, प्रबन्धक वित्त, यूपीडा।
12. श्री अनुप श्रीवास्तव, प्रबन्धक (तकनीकी), यूपीडा।
13. श्री प्रभात कुमार, सलाहकार, पी0पी0पी0।
14. श्री एच0एम0 त्रिपाठी, सहायक वन संरक्षक, यूपीडा।
15. श्री एस0पी0 तिवारी, प्रबन्धक प्रशासन, यूपीडा।
16. श्री पी0एन0 टण्डन, प्रबन्धक पर्यावरण, यूपीडा।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 1:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 04.03.2016 को सम्पन्न हुई 29वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टिः–**

कार्यवाही/निर्णयः– प्राधिकरण के निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 04.03.2016 को सम्पन्न **29वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।**

(91)

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 2:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 04.03.2016 को सम्पन्न 29वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या:–**

कार्यवाही/निर्णय:– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 04.03.2016 को सम्पन्न हुई 29वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 03:– **आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के बाह्य तकनीकी लेखा परीक्षण (External Technical Audit) सम्बन्धी राइट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार:–**

कार्यवाही/निर्णय:–

Need for External Technical Audit (ETA)

The Technical Specifications applicable to the project provide for Quality Assurance and Quality Control of the work executed by use of a Quality Management System (QMS). The basic concept of this process is that construction agency constructs the works and Authority's Engineer performs inspection & testing as per conditions of the EPC agreement to ensure a quality product. In the EPC agreement, there is provision to appoint an external technical auditor to conduct independent quality audit to ensure high standards of quality assurance in the execution of work. In G.O. No. 1763/77-3-14-259(M)/2014 dated 01.01.2014 alongwith sanction of revised cost of project, there is provision of Rs. 23.27 cr. towards quality control charges.

Development of Agra-Lucknow Expressway Access Controlled Expressway (Green Field) Project is being carried out in five packages by UPEIDA and work is presently running in full swing. Article 11.5 of Contract Agreement for the development of Agra-Lucknow Expressway related to External Technical Audit is reproduced below:-

Article 11.5 - EXTERNAL TECHNICAL AUDIT

At any time during construction, the Authority may appoint an external technical auditor to conduct an audit of the quality of the Works. The findings of the audit, to the extent accepted by the Authority, shall be notified to the Contractor and the Authority's Engineer for taking remedial action in accordance with this Agreement. The Contractor shall provide all assistance as may be required by the auditor in the conduct of its audit hereunder. Notwithstanding anything contained in this Clause 11.5, the external technical audit shall not affect any obligations of the Contractor or the Authority's Engineer under this Agreement.

A proposal has been submitted by RITES LIMITED (Schedule 'A' Enterprise of Govt. of India) for providing Services for External Technical Audit (ETA) of Quality of Civil Works of Agra-Lucknow Access Controlled Expressway (**Enclosure-1**) vide its letter no. RITES/HW/BD/UP/2016/2, dated 04.05.2016. The salient features of the proposal for the Technical Audit are as under:-

State	Project Stretch	Project Length	Consultancy Period
Uttar Pradesh	Agra to Lucknow Expressway	302.222 km	12 months (May be extended as per requirement)

Construction Packages:-

Package No.	Project Stretch	Project Length
1	Expressway from Agra (km -2+634) to Firozabad (km 53+500)	56.134 km
2	Expressway from Firozabad (km 53+500) to Etawah (km 115+500)	62.0 km
3	Expressway from Etawah (km 115+500) to Kannauj (km 172+500)	57.0 km
4	Expressway from Kannauj (km 172+500) to Unnao (km 236+500)	64.0 km
5	Expressway from Unnao (km 236+500) to Lucknow (km 299+588)	63.088 km
	Total Length of Project:	**302.222 km**

Scope of Services

A brief scope of services to ensure the quality of works executed and balance works to be executed for Agra-Lucknow expressway are as follows:

External Technical Audit will be conducted in four stages-

i) **STAGE (I) - Project Familiarisation**

- Scope of the project
- Study of DPR documents
- Study of GFC drawings
- Pavement Composition
- Bill of Quantity
- Contractor's Resource program

ii) **Stage (II) - Initial Technical Audit**

- External Technical audit shall be carried out at site as per Quality system for roads & Bridges (IRC:SP-47 & IRC:SP-57)/Quality Assurance Plan prepared by contractor and approved by the Authority's Engineer
- Review of Quality plan submitted by the contractor and approved by the Authority's Engineer i.e. policy, Quality control/ assurance procedures, method statement, organization, duties and responsibility in relation to inspection, testing, etc. and provide to the Client the comments thereon and suggest necessary modifications, if any
- Review Contractor Quality Management process and procedures of plant and equipment.

iii) **Stage (III) - Intermediate Technical Audits (Monthly)**

- The works executed before the enforcement of this agreement shall be checked using sampling techniques for their adequacy to physical dimensions vis-á-vis approved design and drawings and adherence of works to quality standards for

structures above ground and road works above subgrade. EPC contractors shall bear all costs and provide all resources to facilitate the technical audit.

- Inspect and check quality of on-going works.
- The consultant shall review the contractor's working practices – e.g. material receipt, storing, consumption procedures, material testing, construction methods, and documentation system – to assess whether sound and effective techniques are being employed. Review the test results/certificates of construction materials of manufactures and /or sources of materials to assess the quality of materials used in works.
- Sampling technique will be used for testing of materials and works in progress.
- Care should be taken to minimize the additional testing and shall preferably be carried out where a prima facie doubt arises related to quality of works and / or compliance of standards.
- Witness sample field and laboratory testing carried out by construction agency as per the requirement of standard codes and will review the concerned reports and records.
- Carry out inspection of the contractor's equipment, plant, machinery, etc. to check their adequacy and operating to produce a quality product.
- Review of calibration of field laboratory equipment including hot mix plant, concrete batching plant etc.
- Carryout independent testing of materials and works in progress and for that EPC Contractor shall bear all costs and provide all resources.
- Give suggestion to the Authority and submit quality audit report. Review the action taken on the earlier reported non-compliances including follow up action initiated with the relevant stakeholders on earlier reported non-compliances.
- Undertake follow-up visits to verify actual compliance.

iv) Stage (IV) - Final Technical Audit

- Witness Riding Quality test of pavement.
- Tests drive of Expressway.
- Physical measurement and dimensions and geometrical features on random basis.
- Checking structures for execution defects.
- Witness Static load testing of structures, if required.
- Pre-opening Road Safety Audit.
- Recommendations for any further testing that is required to access the quality of the works.

v) Report Submission

- The consultant RITES Ltd. shall submit an Inception Report (IR) which should contain the approach / methodology, functional schedule of deliverables (contents as per the requirements) including the timetable and method for performing field inspections, audit / monitoring formats, etc. The report should contain a flow chart (s) indicating the inputs / outputs by stages and type of work. The IR shall be submitted within 3 (three) weeks from the date of commencing the services and make a presentation to the Client.

- ETA shall generate monthly audit reports for tests and inspections carried out/witnessed by ETA in each package. Reports will be submitted (in 4 hard copies and soft copies) separately for each package. The responsibility for acceptance of the ETA's suggestions will rests with the client. On acceptance, the client shall subsequently forward the report to Authority's Engineer and the Contractor directing to take necessary remedial measures.

Methodology

The approach and methodology to be adopted by the Consultant for carrying out the assignment will be as follows:

i. ETA will depute 5 No. teams on the whole project. The composition and responsibility of teams are as follows-

S. No.	Teams	Key Professionals	Responsibility
1.	Team E	Project Coordinator: 1 no. Team Leader cum Quality Auditor: 1 no. Quality Auditor: 1 nos.	Overall Coordination, interaction with client and Technical Audit of Package 5
2.	Team D	Deputy Team Leader cum Quality Auditor: 1 no. Quality Auditor : 1 no.	Technical Audit of Package 4
3.	Team C	Deputy Team Leader cum Quality Auditor: 1 no. Quality Auditor: 1 no.	Technical Audit of Package 3
4.	Team B	Deputy Team Leader cum Quality Auditor: 1 no. Quality Auditor: 1 no.	Technical Audit of Package 2
5.	Team A	Deputy Team Leader cum Quality Auditor: 1 no. Quality Auditor: 1 no.	Technical Audit of Package 1

ii. RITES have large pool of experts in various disciplines at their HQ. A senior officer will be designated as project head at HQ. Further, ETA teams will be provided with full technical support from RITES HQ and experts will visit project as required.

iii. **Team Leader cum Quality Auditor**: The expert should be a graduate civil engineer preferably with masters in Highway/Structure/construction management. Sound knowledge in Construction and Contract Management/ Highway/ Transportation Engineering and ability to understand and use the software is preferred. The overall experience should be more than 15 years of post - qualification experience; of this, he should have completed technical audit of the public works related to the National Highways / 4 or more lane roads / Expressways in India or abroad. He should have experience in technical auditing of construction management systems and asset quality creation in the highways sector,

Experience in having established Quality Control, Quality Management Systems and full scale Technical Audits in large sized highway projects will be essential. A good understanding of the contractual relationships between contractors, supervision consultants and client organization is necessary.

iv. Minimum qualification of Deputy Team Leader cum Quality Auditor, Quality Auditor shall be Graduate in civil engineering preferably with masters in Highway / Structure / construction management from a recognized university and experience not less than 10 years in execution / supervision / Technical Audit of major highway projects such as National Highways / 4 or more lane roads / Expressways in India or abroad..

v. Support staff such as Office Manager cum Typist and office boy shall be deployed with each team.

vi. For testing of construction materials at field laboratory, the sampling of materials shall be done jointly by ETA & contractor/representative of Authority's Engineer. Sampling of the materials shall be done with the assistance and facility available with contractor.

vii. Material samples for outside laboratory testing shall be sealed in presence of representatives of ETA and forwarding letter shall be given by Engineer/representative of Authority's Engineer to the contractor who will carry the sample and submit it to the approved laboratory alongwith representative of concerned PIU.

viii. Site inspection of construction activities of structures shall be done as per QAP along with Engineer/representative of Authority's Engineer.

ix. After review of test reports and analysis of inspection, observations will be communicated to the Client to take necessary action of rectification/modification (if required).

x. Work program for testing and inspection shall be informed to ETA in writing by Contractor/ Authority's Engineer keeping adequate time.

xi. Contractor, Authority's Engineer/representative of Authority will hand over documents, specifications/ Manufactures instruction to ETA as and when required.

OBLIGATIONS OF THE CLIENT

i). The Employer shall nominate and authorize his representative to liaise with the consultants on all matter connected with this agreement.

ii). Provide all relevant tender documents, drawings, detailed works programmes and correspondence related to the contract works to be checked /inspected by the consultants

iii). Client/Employer shall give necessary instructions to all working agencies to co-operate with the External Technical Audit team and provide free of cost necessary assistance of laboratory, required equipment, materials, consumables, lab engineers/ technicians, labour etc. for conducting tests at the field laboratories and site through EPC contractors or at contractor's cost from outside laboratory.

iv). Provide free of cost fully furnished air conditioned office accommodation and arrange its maintenance in each package through EPC Contractors for an effective coordination and implementation.

v). EPC contractor will allow the site laboratory equipped with required instruments, Tools & Plants, labour etc. to ETA for testing of materials and products as and when required. If samples are sent to outside laboratory for test, the cost of testing shall be borne by EPC contractors as per agreement between UPEIDA and Contractors.

OBLIGATIONS OF RITES Ltd.

i). RITES Ltd. shall discharge its duties in a fair, impartial and efficient manner, consistent with the highest standards of professional integrity and Good Industry Practice.

ii). RITES Ltd. will attend the periodic project review meetings to be held at Lucknow or at any other location on site of works.

iii). Replacement of Quality Auditor / Deputy Team Leader/ Team Leader shall be done only in unavoidable circumstances and not without the consent of the Authority.

iv). If client deems that some "Quality Auditor" or any other personnel deployed for ETA in any capacity, is not performing his / her duty satisfactorily, the personnel shall be immediately removed from performing his / her duty upon receipt of written request from the client.

REMUNERATION& PAYMENT SCHEDULE

i). Remuneration to RITES Ltd. shall be Rs. 9 Crore (Rupees Nine Crore only) @ Rs. 75 Lakh (Rupees Seventy Five Lakh only) per month for 12 months of ETA duration exclusive of Service Tax.

ii). The fee shall be on deliverable basis and payable on submission of monthly audit reports.

iii). All payment shall be made to RITES Ltd Account no. 131010200000596, Axis Bank, RITES Office Complex, Sector 29, Gurgaon-122001

iv). The fee does not include cost towards witnessing tests at any other location than project area, which has to be paid by the Client as per RITES TA/DA norms.

v). Remuneration to RITES Ltd. as determined in Para "(i)" above will be valid for the period of Validity of this Agreement as stipulated in Article 7.

vi). If "Construction Period' gets extended, the ETA services to be rendered will be extended for further period of three months at the same terms and conditions. Further extension if any shall be mutually agreed fee in writing.

vii). If some package / packages of the works get completed before completion of ETA agreement, the ETA personnel and other facilities engaged for that package shall be demobilised from the date to be intimated by the Authority in advance. The payment of Fee to RITES Ltd., after the intimated date as above shall be reduced on pro rata basis. In case some package /packages of the works get completed before 12 months from commencement of ETA services then RITES Ltd. shall be paid one month additional remuneration on pro rata basis to meet the demobilisation cost.

viii). In addition to the Fee mentioned in Para "i to viii above, RITES Ltd. will also be entitled to 'Service Tax', cess and other taxes on the fees at the rates as stipulated by the Government of India from time to time. Presently the Service Tax is payable at 15%.

ix). If, after the date of execution of this Agreement, the Central Government or the concerned State Government imposes any fresh Tax or Charges on the fee payable for ETA to RITES Ltd., the same shall be reimbursable to the RITES Ltd. by the Client.

x). In the first week of each month, the RITES Ltd. shall submit the bill for their services (after submission of monthly audit reports) at the percentage rates as indicated above. The Client shall make the payment to the RITES Ltd. within 15 days from the date of submission of the bill. An interest @ 18% per annum shall be payable for delayed payment by the client.

xi). The Client will also issue Tax Deduction at Source Certificate to RITES Ltd. within the time stipulated in the Income Tax Act.

COST TO BE BORNE BY RITES Ltd.

RITES Ltd. shall bear the Cost of the following items and these are deemed to have been included in the fees payable by the Client to RITES Ltd. under Article 5.

i). Payments to all personnel engaged by RITES Ltd.

ii). Each key professionals shall be provided with vehicle for an effective site movement.

iii). Laptops with Wi-Fi connection and printer will be provided to all key professionals.

iv). Key professionals shall be provided mobile instrument with high pixel camera to take up live videos and pictures.

v). All travel, conveyance, living, boarding, lodging, salary, mobilization/demobilization charges and perks of RITE'S Ltd. personnel engaged in the Project, insurance of all kinds for RITE'S Ltd. personnel including accident benefits, postage, communication and mobile telephone charges, and all other expenses of the RITES Ltd. for the purpose of implementation of the project.

xii. Income Tax payable by RITES Ltd..

xiii. Any other incidental expenses.

TIME SCHEDULE

The ETA assignment duration is 12 months from date of the commencement date.

AMENDMENTS TO AGREEMENT

Any amendments or modifications to this AGREEMENT must be in writing and shall be signed by both the parties.

TIME LIMIT FOR VALIDITY OF THIS AGREEMENT

This agreement will be valid for a period of 15 days beyond ETA duration of 12 months and further extension if any.

The Board was apprised that the RITES Ltd. (Schedule 'A' Enterprise of Govt. of India) is a reputed organization which has rich experience in conducting similar tasks. All the members of Board of approved the draft agreement and technical cum financial proposal of RITES LIMITED for "External Technical Audit (ETA) of Quality of Civil Works of Agra-Lucknow Access Controlled Expressway" and authorized CEO, UPEIDA for entering into agreement with RITES Ltd., make payments to RITES Ltd. on terms of agreement, extend or reduce the period of agreement, terminate the agreement, change the scope of the agreement and to take all contingent decisions regarding the agreement.

एजेण्डा बिन्दु संख्या–04:– आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के विभिन्न मदों के **Change of Scope** पर विचार।

कार्यवाही/निर्णयः– The Board members were apprised of the demands/requirements of local villagers/populace, requirements of site and various technical aspects encountered from time to time in the construction of Agra-Lucknow Expressway Access Controlled Expressway, for which UPEIDA had to instruct Authority's Engineer to issue Change of Scope notices (CoS) to the Contractors, in accordance to Article 13 of Contract Agreement as listed below:-

1. Construction of all structures including Major Brigdes, Minor Bridges, Flyovers, VUP's, PUP's, Culverts etc as 08 lane wide in lieu of 06 lane – All Packages
2. Changes in PUPs, VUPs and MNBs.– All Packages
3. Construction of VUPs with opening width 2X10 m in lieu of 1X12m at crossings with Major District Roads (MDR) of UPPWD- All Packages (Total 13 Locations)
4. Relocation of Interchange from Km 113+700 to 104+700.– Package-2
5. FO crossing at Ch: 93+279 of Expressway– Package-2
6. Reduction in Skew angle of VUP at Ch: 121+000 of Expressway– Package-3
7. (a) Change the size of VUP at Ch: 24+775 to 2x10mx5.75m in place of 1x12mx5.5m.– Package-1
   (b) Change the size of VUP at Ch: 155+010 as 2x10mx5.5m in place of 1x12mx5.5m.-Package-3
8. Provide 2x2m Box Culvert in place of 1200 mm Hume Pipe Culvert at Ch: 117+500.– Package-3
9. PUP at Ch: 281+284 to be made right angle instead of skew, Construction of 02 nos. additional 1x1200 mm HP culverts at Ch: 278+000 and 281+000– Package-5
10. Additional Minor Bridge (MNB) 1x21 m on Canal X-ing at Ch: 81+536.– Package-2
11. Additional work of IAF Aircraft Landing Strip on the stretch between Ch: 237+662 to 240+898 of Expressway– Package-5
12. Additional PUP at Ch: 155+720 alongwith 200m additional Service Road.– Package-3
13. Additional Service Road at Ch: 144+400 to 144+851 (451m RHS), Ch: 158+000 to 159+300 (400m RHS) and an additional Box Culvert at Ch: 126+140.– Package-3
14. Additional Box Culvert (1x3mx3m) at Ch: 15+505.– Package-1
15. Additional Hume Pipe Culvert at Ch: 245+760.– Package-5
16. Providing a 1000mm dia Hume Pipe Culvert at Ch: 125+720 and converting 2x2m Box culvert into 3x3m Box culvert and an additional Hume Pipe Culvert at Km 124+680.– Package-3
17. Fencing near ROW and Median, Turfing of Earthen Shoulders, KC drain and connecting chutes– All Packages

18. Additional Service Road (420m) between Ch: 248+106 to Ch: 248+520 (LHS).– Package-5
19. Additional work due to increase in length of 20.715m.– Package-3

The Board was also apprised of few more proposals sent/being sent to the Authority's Engineer to examine and issue Change of Scope (CoS) notice.

1. Crash Barrier to be provided on all structures - Common for all Packages
2. Km. Stone and Hectometer stone to be replaced with Km. Marker and 100m marker - Common for all Packages
3. Minor bridges to be built at level of inspection road of canal on service road - Common for all Packages
4. Additional 1200 dia HP culvert near village Fatehpur Karkha – Package-1
5. PUP at Ch: 81+071 ht. to be increased from 3.5 to 4.3m whereas PUP at Ch: 82+080 not to be constructed – Package-2
6. Comprehensive proposal for Mainpuri Mandi Sthal - Package-2
7. Additional Minor Bridge (MNB 1X17m) at Ch: 54+680 in lieu of HP culverts - Package-2
8. Comprehensive proposal for Kannauj Mandi Sthal - Package-4.
9. An additional 2 cell 3X3 box culvert at Ch: 231+700 - Package-4.
10. Addl. Service Road between Ch: 193+990 to Ch: 154+770 – Package-4
11. Development of Sarosa Bharosa Junction – Package-5
12. Additional 600 dia. HP Culvert at Ch: 279+100 & Ch: 287+240 – Package-5
13. Construction of 2X2 box culverts at 277+990 and 281+011 Package-5
14. Providing slip road at Mataria - Package-5
15. Providing 2X2 box culvert at Ch: 286+400 - Package-5

Members of Board consented to the above noted Change of Scope proposed, implemented by UPEIDA.and since these Change of Scope is also approved by Task force headed by Chief Secretary. UPEIDA will get approvel of the cabinet.

एजेण्डा बिन्दु संख्या0–05:– समाजवादी पूर्वान्चल प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के आगणन (Cost Estimate) के सत्यापन (Vetting) सम्बन्धी राइट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार:–

कार्यवाही/निर्णय:–

GoUP, vide it's G.O. no. 416/77-3-16-502m /14 dated 04.04.2016 has accorded approval for construction of Samajwadi Poorvanchal Expressway in 348.10 km length for estimated preliminary cost of Rs. 19437.73 crore. M/S IIDC Ltd have already been selected as project Development consultant for the project and with their assistance, RFQ process for selecting the prospective eligible bidders has been completed. The alignment for the project expressway is almost finalized and M/S IIDC Ltd. are carrying out survey work, various technical studies, tests, data collection etc. misc. works towards preparation of project report and cost estimates of the project expressway. It is proposed that cost estimates prepared by M/S IIDC Ltd. should also be vetted by the third party for their correctness. For vetting the cost estimates, a proposal was received from M/S RITES Ltd. which is a GoI enterprise. The Terms of Reference (TOR) of the proposal presented before the Board is replicated as under:

Terms of Reference (TOR)

1- Introduction

Project Description

The Samajwadi Poorvanchal 06-lane access-control expressway (Expandable to 08 lanes) with service road on one side in staggered manner is proposed to be constructed by the Government of Uttar Pradesh through its agency, Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA) in about 347 kms. length, extending the connectivity of the State Capital with Eastern parts of the state with High Speed Corridor. The length of project expressway 347 kms is divided in 8 packages for construction. The construction period is 3 years for the proposed expressway. The short description of the project expressway packages is as under:

Sr. No.	Package Description	From	To
1	Package-I: From Bakkas (Dist. Lucknow) to Sarai Chaubey (Dist. Barabanki)	Km 0.456	Km 41.96
2	Package-II: From Sarai Chaubey (Dist. Barabanki) to Baradand (Dist. Amethi)	Km 41.96	Km 86.90
3	Package-III: From Baradand (Dist. Amethi) to Gaura (Dist Sultanpur)	Km 86.90	Km 128.90
4	Package-IV: From Gaura (Dist Sultanpur) to Ratanpur (Dist. Sultanpur)	Km 128.90	Km 172.00
5	Package-V: From Ratanpur (Dist. Sultanpur) to Ohani (Dist. Azamgarh)	Km 172.00	Km 218.30
6	Package-VI: From Ohani (Dist. Azamgarh) to Basti (Dist. Mau)	Km 218.30	Km 261.25
7	Package-VII: From Basti (Dist. Mau) to Parsupur (Dist. Ghazipur)	Km 261.25	Km 302.70
8	Package-VIII: From Parsupur (Dist. Ghazipur) to Kabirpur (Dist. Ghazipur)	Km 302.70	Km 339.80
9	Varanasi Link	Km 0.00	Km 13.170

Details of the Structures:

Sl. No.	Description	Package - 1	Package - 2	Package - 3	Package - 4	Package - 5	Package - 6	Package - 7	Package - 8
1	Box Culvert (1 X 2m x 2m)	38	50	28	41	48	45	44	48
2	Box Culvert (1 X 3m x 3m)	28	21	30	26	26	22	19	18
3	Minor Bridges	22	25	15	14	10	7	14	7
4	Major Bridges	Nil	1	3	1	1	1	Nil	Nil
5	PUP/CUP (1 X 7.0m x 3.0m)	5	5	4	3	5	1	5	5
6	LVU (1 X 10.5m x 3.5m)		10	4	10	12	9	8	6
7	LVU (1 X 10.5m x 4.3 m)	15		11					
8	VUP (1 X 12m x 5.5m)	9	2	2	3	3	4	2	4

9	VUP @MDR (2 X 12m x 5.5m)	Nil	3	2	3	1	Nil	2	2
10	Flyover (SH-NH crossing) – 2x30x5.5	3	2	1	1	1	3	1	
11	ROBs	2	Nil	1	Nil	1	1	1	1
12	Interchanges	2	Nil		1		1	1	1
13	Slip Road with toll booths		2	1		2	1		1

Note: Number of structures mentioned above are indicative and actual number in the cost estimate may vary.

2- <u>General</u>

2.1 The Authority (UPEIDA) seeks the services of a proof consultant to vet the cost estimates of 8 (eight) packages of the project **"Samajwadi Poorvanchal 6-lane Access Controlled Expressway (Green Field) Project".** The proof consultant shall be required to check and vet the cost estimates for correctness of quantities and rates of all the items as per Project Report, Plan and Profile, TCS, preliminary design of structures, misc. drawings etc. and submit its report to "Authority" within stipulated time.

2.2 The proof consultant will be provided the Project Report including cost estimate, Plan and Profile, TCS, preliminary design of structures, misc. drawings, SORs used for preparation of analysis of rates and bill of quantities in soft copy and wherever possible in hard copy as well, of proposed expressway, to check the cost estimates prepared by PDC.

2-3 The proof consultant shall be guided in its assignment by the Project Report including cost estimate, Plan and Profile, TCS, preliminary design of structures, misc. drawings, etc. and latest Schedule of Rates (SOR) of districts in alignment of proposed expressway along with Data Book issued by MoRTH etc.

3- <u>Objective</u>

The cost estimates of the project have been prepared by the "Project Development Consultancy (PDC)" hired by UPEIDA for development of **"Samajwadi Poorvanchal 6-lane Access Controlled Expressway (Green Field) Project"**. The objective of this consultancy (the "Objective") is to seek an independent third party's clear view on correctness of cost estimates prepared by "Project Development Consultancy".

4- <u>Scope of Services</u>

Indicative task

Vetting of cost estimates of 8 (eight) Expressway packages for correctness of quantities, rates and overall cost of individual packages, on the basis of Project Report including cost estimate, TCS, Plan and Profile, preliminary design of structures, misc. drawings, etc. being provided.

5- **Deliverables**

The proof consultant shall submit to the "Authority", vetted costing report containing analysis of rates for different items, details of measurement for all items and bill of quantity etc. in 3 sets of hard copy and two copies in CD for all the eight packages of expressway project separately for each package.

A certificate for correctness of quantities, rates, calculations of different items shall also be given for each package.

6- **Time Frame and payment Schedule**

The assignment has to be completed within 45 days of issue of Letter of Award (LOA). The total fee payable for the assignment shall be Rs.70,00,000.00 (Rs. Seventy lakhs) exclusive of service tax (as applicable) but inclusive of all other taxes and expenses. The payment terms shall be as under:

Sl. No.	Stage of Payment	Percentage of Payment of total financial proposal
1	Advance payment within 7 days of issue of Assignment letter	50%
2	Payment of rest amount within 7 days of acceptance of submitted final report on vetted amount of cost estimates.	50%

7- **Interaction with Authority**

During entire period of services, the consultant shall interact with Authority as and when required.

By means of letters in hard copy, e-mail or any other means acceptable to both the parties.

8- **Completion of Service**

The assignment input & output shall remain property of the Authority and shall not be used for any purpose other than intended under these Terms of Reference without the permission of the Authority. The consultancy services shall stand completed on acceptance by the Authority of all the deliverables to the Authority and issue of a certificate by the Authority to that effect.

The Board was apprised that the RITES Ltd. (Schedule 'A' Enterprise of Govt. of India) is a reputed organization which has rich experience in conducting similar tasks. All members of Board unanimously approved ToR, payable fee offered by RITES Ltd. for "Vetting of Cost Estimates of Samajvadi Poorvanchal Access Controlled Expressway prepared by Project Development Consultant, M/s IIDC Ltd" and authorized CEO, UPEIDA to issue Work Order to RITES Ltd., make payments of RITES Ltd., change the scope of task and to take all contingent decisions related to the task.

एजेण्डा बिन्दु संख्या–06:– **आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी इंजीनियर के 10 additional Field Engineer (Sub Professional Staff) लगाये जाने के निर्णय पर विचार:–**

कार्यवाही/निर्णय:–

The Board was informed that as per Contract Agreement with the Contractors of Agra to Lucknow Access Controlled Expressway the time of completion of the work is 36 months but as per the decisions taken by higher authorities, the accelerated target for completion of the MCW of expressway is only 22 months. To cope up with the changed requirement of accelerated target, Authority's Engineer had requested to allow additional 10 Field Engineers. Modification in Terms & Conditions is provisioned in clause GC 2.6 of the Contract Agreement of Authority's Engineer. The provision is quoted below:-

"2.6 Modification

Modification of the terms and conditions of this Contract, including any modification of the scope of the Services, may only be made by written agreement between the Parties as the case may be, has been obtained. Pursuant to Clause GC 7.2 hereof, however, each Party shall give due consideration to any proposals for modification made by the other Party."

Considering the revised target date for completing the MCW of expressway and Authority's Engineer request for additional field engineers, UPEIDA allowed the deployment of additional 10 Field Engineer after taking an unconditional undertaking from Authority's Engineer in accordance to the above said clause of agreement with following conditions:-

1. The proposed reorganization shall not result in any excess over and above the amount of Contract Agreement.
2. If due to any reason(s) whatsoever the Actual completion date of Project extends beyond due completion date then also Authority's Engineer will keep on discharging their duties and shall not raise any claim for extra payment over and above the Amount of Contract Agreement.

Members of Board unanimously qualified the need and accorded ex post facto approval to the deployment of additional 10 field engineers as stated above.

एजेण्डा बिन्दु संख्या–07:– **'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' हेतु परियोजना से आच्छादित जनपदों में परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में:–**

'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना' का संरेखण प्रदेश के 10 जनपदों यथा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई व लखनऊ से होकर जा रहा है। परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू–स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों में की जा रही है। मा0 बोर्ड के समक्ष इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है–

(104)

7.01 अतिरिक्त भूमि क्रय करने एवं जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर का अनुमोदन की कार्यवाही–

'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना' के संरेखण के अर्न्तगत अवस्थित भूमि के लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–4 की विज्ञप्ति के प्रकाशन के उपरान्त संरेखण से प्रभावित भूमि उनके भू–स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर परियोजना के पक्ष में सम्बन्धित जनपदों में क्रय की कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परियोजना के परामर्शी फीडबैक इन्फ्राटेक प्राइवेट लि0 द्वारा यूपीडा को उपलब्ध कराये गये संरेखण के आधार पर धारा–4 की विज्ञप्ति में एक्सप्रेसवे से प्रभावित खसरा संख्या व उनका क्षेत्रफल प्रकाशित कराया गया था तथा उसी आधार पर बैनामों का निष्पादन कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्लॉन प्रोफाइल/खातेदारों के शिकायती प्रार्थना पत्र के अनुसार स्थल पर सर्वेक्षण के उपरान्त पैकेज हेतु नामित तहसीलदार, पी.आई.यू तथा निर्माणदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अतिरिक्त भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में संयुक्त आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त आख्या के आधार पर बोर्ड बैठक 14.08.2015 के पश्चात् जिन ग्रामों में अतिरिक्त भूमि को परियोजना के पक्ष में ग्राम हेतु पूर्व में निर्धारित दर के अनुसार क्रय करने का अनुमोदन प्रदान किया गया उसे निदेशक मण्डल द्वारा उक्त बोर्ड बैठक दिनांक 04.03.2016 में अवलोकित किया जा चुका है। दिनांक 04.03.2016 के पश्चात् अनुमोदित अतिरिक्त भूमि का विवरण निम्नवत है–

1. जनपद फिरोजाबाद

क्रमांक	जनपद	ग्राम/तहसील	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल (है0) में	धारा–4 में अधिसूचित रकबा (है0)	अधिसूचना के अलावा अतिरिक्त भूमि का क्षे0 (है0) में
1	2	3	4	5	6	7
1	फिरोजाबाद	जहानाबाद वीरई/फिरोजाबाद	479	0.6680	0.6480	0.0106
2			480	1.3280	0.8120	0.0200
3			477	0.7210	0.0600	0.0069
4			508	2.7150	0.1900	0.0898
5			509	0.0600	-	0.0084
6			468	2.2540	0.3359	0.2863
7			426	1.4970	1.2772	0.0647
8			427	1.7810	0.2200	0.0937

9			362	1.8040	0.6700	0.0718
10			196	2.4160	0.8490	0.2761
11			194	2.9860	1.1087	0.5590
12			201	1.0440	0.0360	0.0942
13			192	2.2570	0.0730	0.0710
14			171	1.2140	0.8390	0.0012
15			166	1.1490	0.8790	0.0055
				योग		**1.6592**

2. जनपद–मैनपुरी

क्रमांक	जनपद	ग्राम / तहसील	गाटा सं0	कुल रकबा (हे0)	परियोजना से प्रभावित क्षेत्रफल (हे0)	पूर्व में क्रय किया गया क्षेत्रफल (हे0)	वर्तमान में क्रय किये जाने वाला अतिरिक्त रकबा (हे0)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	मैनपुरी	चन्दपुरा / करहल	571	2.0780	2.0780	1.9260	0.1520
		योग					**0.1520**
1	मैनपुरी	असरोही / करहल	1076	0.5220	0.2800	0.1990	0.0810
2			1077	0.1300	0.0852	0.0650	0.0202
3			1078	0.1300	0.0812	0.0610	0.0202
4			1079	0.1300	0.0912	0.0710	0.0202
5			1080	0.1300	0.1062	0.0860	0.0202
6			1007	0.5080	0.3600	0.3500	0.0100
7			1008	0.9740	0.6660	0.6300	0.0360
8			1060	1.4630	0.7850	0.5430	0.2420
9			1013	1.5200	0.7960	0.7600	0.0360
10			1045	0.5620	0.5470	0.5340	0.0130
11			1050	0.7520	0.5660	0.5000	0.0660
		योग					**0.5648**

106

क्रमांक	जनपद	ग्राम / तहसील	गाटा सं0	धारा–4 के अन्तर्गत अधिसूचित क्षे0 (हे0) में	अधिसूचित क्षे0 के अलावा संरेखण में आ रहा अतिरिक्त क्षेत्रफल (हे0) में
1	2	3	4	5	6
1	मैनपुरी	दायमपुर / करहल	244	0.1010	0.0200
2			246	0.2910	0.0190
3			235	–	0.0010
				योग	**0.0400**
1	मैनपुरी	गोपालपुर / करहल	535	-	0.0710
2			330मि.	-	0.0089
				योग	**0.0799**
1	मैनपुरी	कंझरा / करहल	35	0.0950	0.0300
2			37	0.1160	0.0020
3			72	0.0200	0.0300
4			73	0.3490	0.0710
5			81	0.0700	0.0090
				योग	**0.1420**

क्रमांक	जनपद	ग्राम / तहसील	गाटा सं0	धारा–4 के अन्तर्गत अधिसूचित क्षे0 (हे0) में	अधिसूचित क्षे0 के अलावा संरेखण में आ रहा अतिरिक्त क्षेत्रफल (हे0) में
1	2	3	4	5	6
1	मैनपुरी	सिमरऊ / करहल	851	0.2000	0.1620
2			838	0.0120	0.0120

3			828	0.0240	0.1010
4			829	0.0610	0.0050
5			825	0.0610	0.1010
6			823	-	0.0810
7			822	-	0.1170
8			826	-	0.0050
9			790	0.2700	0.0490
10			812	0.0400	0.0140
11			815	0.0250	0.0245
12			795	0.3940	0.0560
13			813	0.0200	0.0040
14			804	0.5280	0.0400
15			824	-	0.0730
16			729	-	0.0500
17			502	-	0.0450
18			728	-	0.1200
		योग			**1.0595**
1	मैनपुरी	कुतुबपुर बुजुर्ग /करहल	377	-	0.2000
2			381	-	0.2020
3			380	-	0.0240
4			379	0.0920	0.2150
5			425	0.1500	0.0150
6			450	0.2500	0.0910

7			464	0.0480	0.0920
8			467	0.0840	0.1020
9			469	0.1330	0.1230
10			480	0.2360	0.1030
11			337	0.1200	0.0430
12			343	0.1800	0.0048
13			346	0.4810	0.0038
		योग			**1.2186**
1	मैनपुरी	किरथुआ/करहल	457	0.0810	0.0400
2			1022	0.0261	0.0349
3			1072/4	0.0160	0.0110
4			1072/5	0.0500	0.0700
5			1074	0.0096	0.0394
6			1096/8	0.3497	0.0571
7			1136	0.5634	0.2000
8			1137	0.8199	0.2800
9			1096/12	1.8274	0.0500
10			1073	-	0.0890
11			1027	0.1149	0.0791
12			1096/2	-	0.0810
13			10	0.7010	0.0240
14			998	0.1330	0.0488
15			14	0.1440	0.0610

16			249	0.0072	0.0738
17			990/1	-	0.0160
18			1031	0.0020	0.0160
19			1029	0.0603	0.0300
20			1032	-	0.0200
21			1033	0.0380	0.0120
22			1034	0.1086	0.0224
		योग			**1.3555**
1	मैनपुरी	खिरौंगी/करहल	275	-	0.0920
2			273	-	0.0500
3			270	-	0.2800
4			272	-	0.1630
		योग			**0.5850**
	मैनपुरी	पशुपुर/करहल	133	-	**0.0520**
		कुल योग			**4.2706**

क्रमांक	जनपद	ग्राम/तहसील	गाटा सं0	धारा–4 के अर्न्तगत अधिसूचित क्षे0 (हे0) में	अधिसूचित क्षे0 के अलावा संरेखण में आ रहा अतिरिक्त क्षेत्रफल (हे0) में
1	**2**	**3**	4	5	6
1	मैनपुरी	खिरौंगी/करहल	270	-	0.2600
2			272	-	0.1030
3			273	-	0.0660

4			275	0.0920	0.0580
5			276	0.0100	0.1800
6			277		0.0110
		योग			**0.678**

क्रमांक	जनपद	ग्राम / तहसील	गाटा सं0	धारा–4 के अर्न्तगत अधिसूचित क्षे0 (हे0) में	यूपीडा के पत्र संख्या–101 / 16.04. 2015 के द्वारा प्रेषित अतिरिक्त भूमि (हे0)	स्तम्भ–5 व 6 के अलावा संरेखण में आ रहा अतिरिक्त क्षेत्रफल (हे0) में
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	मैनपुरी	करहल देहात/ करहल	435	-	-	0.0260
2			423	0.0200	-	0.0280
3			436	0.2600	-	0.0585
4			445	0.1300	-	0.0430
5			444	0.2900	-	0.0500
6			467	0.2000	-	0.1880
7			466	-	-	0.0400
8			463	0.1010	-	0.3050
9			462	0.0300	-	0.2900
10			459	0.2150	-	0.0650
11			542	0.0600	-	0.0140
12			541	-	-	0.1010
13			532	0.3330	-	0.0800
14			548	0.0480	-	0.2700

15			535	0.3030	-	0.0170
16			559	-	-	0.0280
17			560	-	-	0.0300
18			631	0.0720	-	0.0240
19			550	0.3140	-	0.0420
20			553	0.1900	-	-
21			282	0.0210	0.0310	0.0040
22			280	0.1430	0.0180	0.0050
23			352	-	-	0.0080
24			135	-	0.0100	0.0300
25			138	-	0.0500	0.0500
26			108	0.0130	0.1380	0.0150
27			92	0.6200	0.1950	0.0080
28			276	0.1480	0.0560	0.0320
29			265	1.1390	0.0780	0.0750
30			269	0.0400	0.0300	0.0200
31			266	0.0070	0.0300	0.0250
32			268	0.0630	0.0720	0.0100
33			263	0.3510	0.0400	0.0320
34			134	0.0430	0.0720	0.0270
35			132	0.4020	0.2210	0.0650
		योग				2.1055

(112)

3. जनपद–इटावा

क्रमांक	जनपद	ग्राम/तहसील	गाटा सं0	कुल रकबा (हे0)	परियोजना से प्रभावित क्षेत्रफल (हे0)	पूर्व में क्रय किया गया क्षेत्रफल (हे0)	वर्तमान में क्रय किये जाने वाला अतिरिक्त रकबा (हे0)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इटावा	अगूपुर गोपालपुर/इटावा	745	0.2020	0.0889	0.0754	0.0135
2			746	0.2870	0.1299	0.0745	0.0554
3			754	0.6480	0.5065	0.4565	0.0500
4			763	0.9060	0.9060	0.8412	0.0648
5			247	0.2270	0.0700	0.0186	0.0514
6			248	0.1890	0.1890	0.1362	0.0528
7			246	1.3920	0.0033	0.0000	0.0033
8			265	0.2310	0.2310	0.1593	0.0717
9			263	0.1250	0.0220	0.0000	0.0220
10			264	0.6110	0.3666	0.2830	0.0836
11			291	0.4370	0.3779	0.3775	0.0004
12			385	0.1830	0.1036	0.0972	0.0064
13			386	0.3000	0.2978	0.2563	0.0415
14			383	0.2510	0.0130	0.0000	0.0130
15			447	0.0120	0.0120	0.0000	0.0120
16			445	0.4900	0.4401	0.4300	0.0101
17			449	0.8370	0.2131	0.0770	0.1361
18			452	0.2910	0.1861	0.0920	0.0941
19			453	0.2470	0.1796	0.0920	0.0876
20			454	0.5990	0.5990	0.3891	0.2099
		योग					1.0796

(113)

1	इटावा	मूंज/इटावा	114	2.553	0.7052	0.1400	0.5652
2			115	0.0360	0.0360	0.0000	0.0360
3			116	0.0570	0.0570	0.0240	0.0330
4			215	0.1380	0.1380	0.0240	0.1140
5			214	1.0200	0.9669	0.9000	0.0669
6			217	0.3760	0.2952	0.2674	0.0278
7			218	0.5990	0.4683	0.4451	0.0232
8			137	1.6070	0.7185	0.4177	0.3008
9			138	0.9590	0.5777	0.5725	0.0052
10			148	1.0640	0.0008	0.0000	0.0008
11			144	1.1890	1.0212	0.9923	0.0289
12			232	0.1620	0.1620	0.1351	0.0269
13			234	0.0120	0.0120	0.0092	0.0028
		योग					**1.2315**

क्रमांक	जनपद	ग्राम/तहसील	गाटा सं0	कुल रकबा (हे0)	पूर्व में अधिसूचित रकबा (हे0)	अतिरिक्त रकबा (हे0)
1.	इटावा	भोजपुर रमायन/इटावा	479	0.2830	0.000	0.0297
					योग	**0.0297**

क्रमांक	जनपद	ग्राम/तहसील	गाटा सं0	पूर्व में अधिसूचित रकबा (हे0)	अतिरिक्त रकबा (हे0)
1	इटावा	हरदोई/सैफई	56	0.2600	0.0019
2			68	0.2607	0.0590
3			72	0.0535	0.0517
4			74	0.0141	0.0150

(114)

		योग			**0.1276**
1	इटावा	बरौली कलां/सैफई	70	0.1700	0.0150
2			71	0.6500	0.0350
3			69	-	0.0512
		योग			**0.1012**

क्रमांक	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल	अधिग्रहीत क्षेत्रफल	अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल जिसका बैनामा होना है	विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	बनीहरदू	162	1.372	0.4289	0.1980	
2		399	0.348	0.0914	0.0240	
3		404/1	0.324	0.0800	0.0360	
4		421	0.668	0.2937	0.09078	
5		720/3	0.713	0.5120	0.0640	
6		859	1.429	0.6225	0.0910	
7		861	1.676	0.5446	0.40104	
	योग				**0.90482**	
1	डींग	866	0.1170	-	0.0778	
2		388	0.611	-	0.2020	
	योग				**0.2798**	
1	कुदरैल	5011	1.676	0.1250	0.0936	
2		5012	1.676	0.1540	0.15040	
योग					**0.2440**	
कुल योग					1.42862	

115

4. जनपद–कन्नौज

क्रमांक	जनपद	ग्राम/तहसील	गाटा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (है0) में	अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (है0)
1	कन्नौज	सिकन्दरपुर/छिबरामऊ	491	1.238	0.100
2			329 मि.	0.202	0.044
3			115	0.409	0.016
4			117	0.304	0.020
5			202	0.336	0.016
6			182मि.	0.081	0.081
7			182मि.	0.081	0.081
		योग			**0.358**
1	कन्नौज	देवपुर/छिबरामऊ	185/2	0.122	0.061
2			137	-	0.053
3			135	-	0.014
4			136	-	0.086
5			134	-	0.014
6			216	-	0.040
		योग			**0.268**
1	कन्नौज	जलालपुर दीनदारपुर/छिबरामऊ	382मि.	-	0.2875
		योग			**0.2875**
1	कन्नौज	रनुआ/छिबरामऊ	878मि.	0.162	0.093
		योग			**0.093**
1	कन्नौज	सलेमपुर रैपालपुर/छिबरामऊ	1247	0.821	0.164
		योग			**0.164**
1	कन्नौज	हूसेपुर/छिबरामऊ	867	0.421	0.018

(116)

2			869	0.833	0.020
3			871	0.583	0.028
		योग			**0.066**
1	कन्नौज	मुण्डाला/छिबरामऊ	643मि.	0.069	0.032
		योग			**0.032**

ग्राम का नाम	भूमि जिसे परियोजना के पक्ष में क्रय किया जाना है		कालम संख्या–1 व 2 में दर्शायी गयी भूमि परियोजना हेतु पूर्व से घोषित है अथवा अतिरिक्त घोषित भूमि है, का उल्लेख	गाटे का पुनरीक्षित अर्थात् वर्तमान में प्रचलित सर्किल रेट (लाख प्रति हे0) में	पुनरीक्षित सर्किल रेट के चार गुने के अनुसार विक्रय पत्र निष्पादन हेतु निर्धारित दर (रू0 प्रति लाख प्रति हे0)
	गाटा संख्या	प्रभावित रकबा हे0 में			
1	2	3	4	5	6
तहसील–छिबरामऊ					
सिकन्दरपुर	115	0.016	अतिरिक्त घोषित	10.00	40.00
	117	0.020	अतिरिक्त घोषित	10.00	40.00
	182 मि0	0.162	अतिरिक्त घोषित	10.00	40.00
	202	0.016	अतिरिक्त घोषित	10.00	40.00
	329 मि0	0.044	अतिरिक्त घोषित	10.00	40.00
	491	0.100	अतिरिक्त घोषित	10.00	40.00
देवपुर	134	0.014	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00
	135	0.014	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00
	136	0.086	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00
	137	0.053	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00
	216	0.040	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00
मुण्डाला	643 मि0	0.032	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00
रनुआ	878 मि0	0.093	अतिरिक्त घोषित	19.00	76.00

(117)

हूसेपुर	867	0.018	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00
	869	0.020	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00
	871	0.028	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00
	1109	0.581	पूर्व की घोषित	21.00	84.00
जलालपुर दीनदारपुर	382 मि0	0.2875	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00
सलेमपुर रैपालपुर	1247	0.164	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00
			तहसील तिर्वा		
बस्ता	1406	0.0346	अतिरिक्त घोषित	13.50	54.00
फगुहा	718 मि0	0.006	अतिरिक्त घोषित	33.00	132.00
	760 मि0	0.009	अतिरिक्त घोषित	33.00	132.00
	761 मि0	0.130	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	763 मि0	0.122	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	764	0.219	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	765	0.133	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	766	0.024	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	768 मि0	0.144	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	769 मि0	0.227	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	771	0.032	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	772 मि0	0.212	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	774 मि0	0.016	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	812	0.051	अतिरिक्त घोषित	90.00	360.00
	814 मि0	0.064	अतिरिक्त घोषित	90.00	360.00
	816	0.055	अतिरिक्त घोषित	90.00	360.00
	825 मि0	0.008	अतिरिक्त घोषित	90.00	360.00

(118)

	827 मि0	0.002	अतिरिक्त घोषित	90.00	360.00
	911 मि0	0.095	अतिरिक्त घोषित	90.00	360.00
बेहरिन	529 मि0	0.004	अतिरिक्त घोषित	90.00	360.00
	530 मि0	0.020	अतिरिक्त घोषित	90.00	360.00
	531	0.070	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	533	0.228	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	534	0.050	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	536	0.012	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	537	0.049	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	539 मि0	0.157	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	540 मि0	0.014	अतिरिक्त घोषित	90.00	360.00
	907 मि0	0.040	अतिरिक्त घोषित	90.00	360.00
	1135	0.185	अतिरिक्त घोषित	33.00	132.00
	1137	0.069	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	1139	0.203	अतिरिक्त घोषित	33.00	132.00
	1143	0.069	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	1144	0.393	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	1145	0.151	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	1146	0.202	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	1166	0.016	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	1167	0.312	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	1168 मि0	0.149	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	1170 मि0	0.135	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	1173	0.026	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00
	1183	0.024	अतिरिक्त घोषित	22.00	88.00

(119)

5. जनपद–कानपुर नगर

क्रमांक	ग्राम/ तहसील/ जनपद	गाटा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे0)	पूर्व में अधिसूचित भूमि (हे0)	वर्तमान में क्रय करने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (हे0)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	गूजेपुर/बिल्हौर	462	0.5310	0.4862	0.0448	-
2		483/2	0.0410	-	0.0410	-
	योग				**0.0858**	

6. जनपद–उन्नाव

क्रमांक	ग्राम/ तहसील/ जनपद	गाटा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे0)	पूर्व में अधिसूचित भूमि (हे0)	वर्तमान में क्रय करने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (हे0)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	हाजीपुर गोसा/हसनगंज / उन्नाव	801	0.1010	0.0036	0.0344	
2		811	0.0450	0.0324	0.0126	
3		843	0.2400	0.1757	0.0200	
4		1230	0.2550	0.2308	0.0242	
	योग				**0.0912**	
1	गहरावा/हसनगंज /उन्नाव	409	0.0630	0.0170	0.0460	
2		433	0.7560	-	0.0890	
3		468	0.3520	0.1720	0.0510	
	योग				**0.1860**	
1	धानमऊ छरेहटी/हसनगंज / उन्नाव	466	0.467	0.316	0.103	
	योग				**0.103**	
	कुल योग				**0.3802**	

120

7. जनपद–लखनऊ

क्रमांक	ग्राम / तहसील / जनपद	गाटा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे0)	पूर्व में अधिसूचित भूमि (हे0)	वर्तमान में क्रय करने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (हे0)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	आदमपुर इन्दरवारा / सरोजनी नगर / लखनऊ	316	0.079	0.0327	0.0463	-
2		317	0.049	0.0291	0.0199	-
3		318	0.087	-	0.0709	-
	योग				**0.1371**	

बिन्दु संख्या–7.02 समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय करने के लिए जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर के अनुमोदन की कार्यवाही:–

भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार का अधिनियम, 2013 की नियमावली एवं आवश्यक प्रारूप शासन द्वारा अभी तक जारी न होने से समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू–स्वामियों की आपसी सहमति से परियोजना से सम्बन्धित भूमि क्रय करने की कार्यवाही शासनादेश संख्या–2/2015/215/एक–13–2015–20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के अनुसार की जानी है। शासनादेश के प्रस्तर–7 में रू0 50.00 करोड़ से अधिक मूल्य की भूमि क्रय किये जाने हेतु सम्बन्धित निगम प्राधिकरण/ परिषद का गवर्निंग बोर्ड/ प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन की व्यवस्था है।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित परियोजना शासन की शीर्ष प्राथमिकता की परियोजना है, जिसके लिए भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही शीघ्र किया जाना है। भूमि के मूल्य की गणना जनपद में संरेखण के अन्तर्गत सम्मिलित सम्पूर्ण भूमि को आधार मानते हुए की जायेगी। ऐसी स्थिति में जनपद स्तरीय समिति की दर की संस्तुति को बार–बार बोर्ड की बैठक आहूत कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना पड़ेगा और इस प्रक्रिया में सामान्य से अधिक समय एवं श्रम व्यय होगा। अतः यह प्रस्तावित है कि जनपद से प्राप्त जनपद स्तरीय समिति द्वारा भूमि क्रय किये जाने के दर की संस्तुति को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान कर जनपदों को उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि तद्नुसार उनके द्वारा भूमि क्रय करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके तथा यह कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदित दर को बाद में निदेशक मण्डल की बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

कार्यवाही/निर्णयः– उपरोक्त **बिन्दु–7.01** अवलोकनार्थ तथा **बिन्दु संख्या–7.02** अनुमोदित करने का प्रस्ताव निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

1. **अतिरिक्त भूमि क्रय करने एवं जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर का अनुमोदन की कार्यवाही–**

परियोजना के पक्ष में क्रय की गयी एजेण्डा में सम्मिलित अतिरिक्त भूमि को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

एजेण्डा में सम्मिलित संदर्भित अतिरिक्त भूमि को निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकित किया गया।

2. **समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय करने के लिए जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर के अनुमोदन की कार्यवाही:–**

समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था–

भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार का अधिनियम, 2013 की नियमावली एवं आवश्यक प्रारूप शासन द्वारा अभी तक जारी न होने से समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू–स्वामियों की आपसी सहमति से परियोजना से सम्बन्धित भूमि क्रय करने की कार्यवाही शासनादेश संख्या–2/ 2015/ 215/ एक–13–2015–20 (48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के अनुसार की जानी है। शासनादेश के प्रस्तर–7 में रू0 50.00 करोड़ से अधिक मूल्य की भूमि क्रय किये जाने हेतु सम्बन्धित निगम प्राधिकरण/ परिषद का गवर्निंग बोर्ड/ प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन की व्यवस्था है।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित परियोजना शासन की शीर्ष प्राथमिकता की परियोजना है, जिसके लिए भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही शीघ्र किया जाना है। भूमि के मूल्य की गणना जनपद में संरेखण के अन्तर्गत सम्मिलित सम्पूर्ण भूमि को आधार मानते हुए की जायेगी। ऐसी स्थिति में जनपद स्तरीय समिति की दर की संस्तुति को बार–बार बोर्ड की बैठक आहूत कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना पड़ेगा और इस प्रक्रिया में सामान्य से अधिक समय एवं श्रम व्यय होगा। अतः यह प्रस्तावित है कि जनपद से प्राप्त जनपद स्तरीय समिति द्वारा भूमि क्रय किये जाने के दर की संस्तुति को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान कर जनपदों को उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि तदनुसार उनके द्वारा भूमि क्रय करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके तथा यह कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदित दर को बाद में निदेशक मण्डल की बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव पर सामयक विचारोपरान्त निदेशक मण्डल ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सरकिल रेट के चार गुना कीमत तक भूमि कय करने हेतु अधिकृत किया एवं निर्देशित किया की बोर्ड की आगामी बैठक में भूमि की कय को अनुमोदित करा लिया जाए।

एजेण्डा बिन्दु सं0 08 :– **ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (गंगा एक्सप्रेसवे) परियोजना की अद्यतन स्थिति एवं कन्सेशनायर के अनुरोध पर उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु कतिपय जनपदों को प्रेषित धनराशि के विरुध्द,राजस्व अनुभाग–13 के शासनादेश दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरुप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त 'पूर्ण एवं अंतिम' धनराशि रु0 25,95,96,764/–(रु0 पच्चीस करोड, पच्चानवें लाख, छियानवें हजार, सात सौ चौसठ केवल) को वापस करने के सम्बन्ध में**

कार्यवाही/निर्णयः– उपर्युक्त विषय में निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि–

1.) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को निजी एवं सार्वजनिक सहभागिता आधार पर क्रियान्वयन हेतु मेसर्स जयपी गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि0 (कन्सेशनायर) के साथ एक कन्सेशन अनुबन्ध दिनांक 23.03.2008 को निष्पादित किया गया है। परियोजना का निर्धारित निर्माण काल 4 वर्ष का था परन्तु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 29.05.2009 को अपने आदेश द्वारा परियोजना हेतु पूर्व में प्रदत्त प्री–इन्वायरमेन्टल क्लीयेरेन्स को निरस्त करते हुए यह आदेश पारित किये कि जब तक परियोजना के लिए इन्वायरमेन्ट क्लीयेरेन्स प्रोविजन आफ इन्वायरमेंन्ट (प्रोटेक्शन एक्ट 1986) के अनुसार प्राप्त नही हो जाता है, 08 लेन गंगा एक्सप्रेसवे तथा सम्बन्धित भूमि के विकास के बावत कोई कार्यवाही न की जाय। इस सम्बन्ध में न्याय विभाग तथा शासन के मत/निर्देश के कम में परियोजना का कियान्वयन/विकास कार्य विगत लगभग 7 वर्षो से स्थगित है।

(122)

2.) उपरोक्त तथ्यो को संज्ञान में लेते हुए शासन की निर्देशानुसार कन्शेसनायर द्वारा उपलब्ध करायी गयी शेष बैंक गारन्टी (परफारमेन्स सिक्योरिटी) रू0 894.75 करोड़ इस शर्त के साथ वापस कर दी गयी कि परियोजना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त होने के उपरान्त यूपीडा द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर कन्सेशनायर द्वारा बैंक गारण्टी पुनः जमा करनी होगी।

3.) पूर्व में शासन ने पत्र दिनांक 02.11.2011 द्वारा यह मंतव्य व्यक्त किया है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न अवरोध/अनिश्चितता के सम्बन्ध में न्याय विभाग उ0प्र0 शासन के मतानुसार प्रश्नगत प्रकरण पर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, के दृष्टिगत परियोजना प्रारम्भ न होने के लिए यूपीडा व कन्सेशनायर दोनों में से कोई भी दोषी नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्लीयरेंस नहीं मिल पाया, अतएव उक्त परियोजना के लिये भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया जिसके लिये कोई भी पक्षकार उत्तरदायी नहीं है। शासन के उक्त पत्र दिनांक 02.11.2011 में यह भी इंगित किया गया है कि परियोजना के प्रारम्भ न होने का मुख्य कारण अप्रत्याशित घटना (फोर्स मिज्योर) है तथा अपांइटेड डेट नॉन एग्जिस्टेन्ट है।

4.) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29/05/2009 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना हेतु भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगने एवं परियोजना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त करने में लगने वाले अनिश्चित समय की संभावना को ध्यान में रखते हुए कन्सेशनायर ने माह दिसम्बर 2011 में उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि उन्हे वापस किए जाने का अनुरोध किया था। कन्सेशनायर के उक्त अनुरोध को शासन को निर्देश हेतु संदर्भित किया गया था जिस पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने माह जनवरी 2012 में यह सुझाव दिया कि–" चूँकि अर्जन अधिनियम 1894 में विहित प्रकिया के अर्न्तगत यूपीडा के प्रस्ताव पर ही गंगा एक्सप्रेसवें परियोजना हेतु 40 ग्रामों की भू अर्जन के लिए धारा–4 (1)/17 की अधिसूचना जारी की गयी है अतः यह देखना होगा कि इसकी वर्तमान विधिक स्थिति मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29/05/2009 के अधीन क्या होगी तथा यूपीडा भू अर्जन की इस प्रचलित कार्यवाही पर क्या चाहते है । अतः उचित होगा कि प्रथमता इस दृष्टिकोण से तथा परियोजना क्रियान्वयन सम्बन्धी कन्सेशन एग्रीमेंट के प्राविधानों परिप्रेक्ष्य में यूपीडा बोर्ड स्तर पर सम्यक परीक्षण एवं विचार करते हुए यूपीडा द्वारा इस प्रकरण में यदि आवश्यक हो तो शासन के विचारार्थ भू–अर्जन के प्रकिया के संबन्ध में स्पष्ट प्रस्ताव संदर्भित कराने का कष्ट करें।"

5.) शासन के उक्त निर्देश के कम में यूपीडा बोर्ड की दिनांक 24.01.2012 को सम्पन्न 16वीं बैठक में निम्न निर्णय लिये गए, जिन पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित पी0पी0पी मानीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 30.03.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में सहमति व्यक्त की गयी:–

(अ) 40 ग्रामों मे धारा–4/17 का प्रकाशन दिनांक 31.03.2009 से 27.05.2009 की अवधि में विभिन्न तिथियों में किया गया है। इस बीच मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के कम में परियोजना के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही न करते हुए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नही की गयी । प्रकरण में न्याय विभाग द्वारा पूर्व में दिये गए परामर्श के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अभी धारा–4 प्रभावी मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में धारा–4 से प्रभावित ग्रामो में कन्सेशनायर द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि जो सम्बंधित जिलाधिकारियो को भेजी गयी है वापस प्राप्त कर कन्सेशनायर का वापस लौटाया जाना विधिक रुप से उपयुक्त है या नही, इस बिन्दु पर न्याय विभाग का अभिमत प्राप्त कर लिया जाए।

(ब) मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के कम में 73 ग्रामों में धारा–4 का प्रकाशन नही हुआ है। अतः इस धनराशि को वापस किए जाने के सम्बंध में राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश स0 1387/1–13–2005–20(13)/2005–रा–13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरुप कार्यवाही हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियो को पत्र भेजा जाए।

(स) मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के कम में धनराशि रु0 7,76,11,473/– जनपदों को नही भेजी गयी और यह धनराशि यूपीडा के पास सुरक्षित अवशेष के रुप में है। यह धनराशि कन्सेशनायर को वापस किये जानें में विधिक अड़चन प्रतीत नही होती है। अतः तदनुसार यह धनराशि कन्सेशनायर को वापस कि जाए।
बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोकतानुसार **बिन्दु ब** में यदि जो धनराशि कन्सेशनायर को वापस की जानी होगी, तो राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश दिनांक 07.12.2005 के अनुसार कटौती की जाने वाली धनराशि का वहन कन्सेशनायर को करना होगा। इस हेतु कन्सेशनायर से इस आशय की अण्डरटेकिंग लेनी उचित होगी जिसमें यह भी इंगित किया जाना उचित होगा कि परियोजना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरेन्स मिलने के पश्चात् परियोजना के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भूमि अधिग्रहण मद में जो भी धनराशि जिलाधिकारियों की मॉग पर यूपीडा द्वारा कन्सेशनायर से मॉगी जाएगी वो पूर्व की भॉति कन्सेशनायर द्वारा यूपीडा को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करानी होगी।
बोर्ड द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय(**बिन्दु–स**) के कम में धनराशि रु0 7,76,11,473/– दिनांक 04.02.2012 को कन्सेशनायर को वापस की जा चुकी है। **बिन्दु–अ** पर इंगित निर्णय के कम में यूपीडा के पत्र दिनांक 28 जनवरी 2012 द्वारा प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के माध्यम से न्याय विभाग का अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। इस क्रम में शासन द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति के सम्बन्ध में पृच्छा का उत्तर भी यूपीडा के पत्र दिनांक 14.03.2012 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। यह प्रकरण शासन स्तर पर अभी भी लम्बित है।

6) काफी समय व्यतीत हो जाने पर भी परियोजना कियान्वयन में यथास्थिति बनें रहने, समय व्यतीत होने के साथ–साथ परियोजना की लागत एवं लाभप्रदत्ता में अनिश्चितता एवं शासन द्वारा अन्य वैकल्पिक एक्सप्रेसवेज जिन से ग्रेटर नोएडा से बलिया को तीव्र गति प्रवेश नियंत्रित राजमार्ग/राजमार्गो से जोडनें का उद्देश्य पूरा होता है आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, माह सितम्बर 2014 में यूपीडा एवं कन्सेशनायर के मध्य हुई परियोजना समीक्षा बैठक मे दोनों पक्षों में यह सहमति बनी कि पूर्व में निष्पादित मूल(दिनांक 23.03.2008) एवं अनुपूरक (दिनांक 30.11.2011) अनुबन्धों को उ0प्र0 शासन/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अनुमोदन/ स्वीकृति उपरान्त आपसी सहमति की शर्तो पर रद्द करना उचित होगा।

उक्त सहमति/प्रस्ताव पर यूपीडा निदेशक मण्डल ने अपनी दिनांक 18.11.2014 को सम्पन्न 24वीं बैठक में सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय लिया कि पूर्व में यूपीडा एवं कन्सेशनायर द्वारा निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंन्ट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 को आपसी सहमति की शर्तो पर एक नवीन अनुबन्ध (Novation) के माध्यम से अधिकमण अथवा रद्द (supersession or rescission) करने का औचित्य बनता है। तदोपरान्त परियोजना के समय–पूर्व परित्याग अथवा संशोधित स्वरुप में कियान्वयन हेतु शासन द्वारा कालान्तर में लिए गए निर्णय अनुसार कार्यवाही करना उपयुक्त होगा।

7.) निदेशक मण्डल के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या 1354/यूपीडा/08 /11/वाल्यूम–V दिनांक 28.11.2014 द्वारा प्रशासनिक विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन) को आवश्यक अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सेशनायर के साथ पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करने एवं इस सम्बन्ध में अन्य अग्रेत्तर कार्यवाही के लिये यूपीडा को अधिकृत करने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रदान कराने का अनुरोध किया गया है। जिस पर विचारोपरान्त राजस्व विभाग के अभिमत के क्रम में प्रशासनिक विभाग ने पत्र दिनांक 28.09.2015 द्वारा यह निर्देश दिया कि पारस्परिक सहमति की शर्तो पर परियोजना हेतु मेसर्स जे0जी0 आई0 सी0 लि0, कन्सेशनायर द्वारा निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेन्ट दिनॉक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध 30.11.2011 को अधिक्रमण अथवा रद्द करने हेतु प्रस्तावित अनुबन्ध में उभयपक्ष (यूपीडा एवं कन्सेशनायर) को देय राशि का उल्लेख किया जाए। यदि धनराशि का उल्लेख नही किया जाता है तो यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 07–12–2005 जिसका वर्ष 2013 के भू–अर्जन अधिनियम के संदर्भ में कतिपय बिन्दुओं पर निर्वचन/स्पष्टीकरण/आख्या का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है, में शासन द्वारा अंतिम निर्णय के अनुसार अर्जन व्यय की धनराशि अर्जन निकाय से शासन का देय होगी।

यहॉं यह उल्लेखनीय है कि :–

(i) यूपीडा बोर्ड द्वारा उक्त निर्णय के समय दोनो पक्ष परियोजना के कियान्वयन में इच्छुक थे परन्तु वर्तमान में दोनो ही पक्ष प्रत्यक्ष कारणों से पारस्परिक सहमति से परियोजना कियान्वयन हेतु निष्पादित मूल अनुबन्ध (दिनांक 23.03.2008) एवं अनुपूरक अनुबन्ध (दिनांक 30.11.2011) शासन की अनुमति उपरान्त रद्द (rescind) करने हेतु सिद्वान्तः सहमत है।

(ii) उ0 प्र0 शासन के राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.12.2015 में यह अनुमेय (permissible) है कि यदि किन्ही कारणों से अधिग्रहण की कार्यवाही बीच मे ही रोकनी या समाप्त करने की स्थिति में अर्जन निकाय द्वारा अर्जन व्यय के मद में प्रतिकर के10 प्रतिशत के बराबर जमा की गयी धनराशि मे से उक्त शासनादेश में इगिंत तालिका में दिए गए दिशा निर्देश अनुसार कटौती कर शेष राशि अर्जन निकाय को वापस कि जाए। तालिका मे इंगित विभिन्न परिस्थितियो में धारा 4/17 की अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कटौती कर शेष राशि को अर्जन निकाय को वापस करना भी अनुमेय है ।

(iii) औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस परियोजना – ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे, में अधिसूचित सभी ग्रामों को अपवर्जित (denotify) करने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिस पर कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

उपरोक्त बदले हुए परिदृश्य एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण प्रबन्ध ने निर्णय जन ग्रामों में धारा–4/17 की अधिसूचना का प्रकाशन हो चुका है और यूपीडा बोर्ड के पूर्व निर्णय के अनुपालन में भूमि अर्जन हेतु प्रेषित धनराशि को वापस करने की मांग सम्बन्धित जिला प्रशासन से नही की गयी है एवं इस विषय में शासन को संदर्भित विषय अभी लम्बित है, धनराशि वापसी हेतु मांग की कार्यवाही शुरु की जाए एवं इस तरह प्राप्त धनराशि जब तक शासन द्वारा कन्शेसनायर के साथ निष्पादित मूल अनुबन्ध (दिनांक 23. 03.2008) और अनुपूरक अनुबन्ध (दिनांक 30.11.2011) को रद्द/अधिक्रमण करने का अनुमोदन प्राप्त नही हो जाता और इस सम्बन्ध में कन्शेसनायर के साथ सेटिलमेन्ट अनुबन्ध निष्पादित नही हो जाता, प्राधिकरण के पास जमा रहेगी। यूपीडा द्वारा यथानुसार कार्यवाही करके उन सभी जिलों में जहॉं धारा–4/17 की अधिसूचना का प्रकाशन हो चुका है, भू–अर्जन हेतु प्रेषित राशि नियमानुसार कटौती उपरान्त वापस प्राप्त की जा चुकी है।

8.) **सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भूमि अधिग्रहण हेतु भेजी गयी एवं विभिन्न समय पर राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश स0 1387/1–13–2005–20(13)/2005–रा–13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी तत्कालिक प्रभावी व्यवस्था के अनुरुप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त कुल राशि का विवरण निम्नवत है–**

<u>कन्सेशनायर द्वारा प्रदत्त कुल धनराशि एवं</u> (अंक रूपये में)
<u>उपयोग</u>

1. कन्सेशनायर द्वारा प्रदत्त कुल धनराशि – 38,90,68,341
2. यूपीडा द्वारा ग्रहीत 1: कार्पस फण्ड – 38,52,161 (कन्सेशन एग्रीमेन्ट के आर्टिकल 10.10 के अनुसार)
3. अवशेष धनराशि (1–2) – 38,52,16,180
4. कुल 113 ग्रामों की भूमि हेतु जिलों को प्रेषित धनराशि – **30,76,04,707**

[**टिप्पणी:** यूपीडा के पास अवशेष धनराशि (3–4)–7,76,11,473/– जो कि उपरोक्त निर्णय अनुसार कन्सेशनायर को वापस की जा चुकी है। ,

<u>सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भूमि अधिग्रहण हेतु भेजी गयी एवं विभिन्न समय पर राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश दिनांक 07.12.2005 में दी गयी तत्कालिक प्रभावी व्यवस्था के अनुरुप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त कुल राशि का विवरण</u>

क्रम सं0	जनपद का नाम	यूपीडा द्वारा जनपद को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण			धारा–4 में अधिसूचित ग्रामों को अधिग्रहण हेतु प्रेषित धनराशि	अवशेष ग्रामों को अधिग्रहण हेतु प्रेषित धनराशि	धारा–4 में अधिसूचित ग्रामों द्वारा शासनादेश दिनांक 7.12.2005 के अनुसार की गयी कटौती की धनराशि	अवशेष ग्रामों द्वारा शासनादेश दिनांक 7.12.2005 के अनुसार की गयी कटौती की धनराशि	शासनादेश दिनांक 7.12.2005 के अनुसार की गयी कटौती की कुल धनराशि	यूपीडा को वापस की गयी कुल धनराशि [कृपया नीचे टिप्पणी का सन्दर्भ भी लें]	जनपद स्तर पर अनिस्तारित/लंबित धनराशि	
		पुनर्ग्रहण	अधिग्रहण	कुल धनराशि							पुनर्ग्रहण	अधिग्रहण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बुलन्दशहर	15040339	120293630	135333969	43016570	77277060	7406112	9540155	16946267	103347363	15040339	0
2	उन्नाव	0	73350614	73350614	49182350	24168264	8606915	845482	9452397	63898217	0	0
3	बदायूं	0	52551526	52551526	0	52551526	0	6568940	6568940	45982586	0	0
4	सन्तरविदास नगर (भदोई)	0	46368598	46368598	0	46368598	0	0	0	46368598	0	0
	योग	15040339	292564368	307604707	92198920	200365448	16013027	16954577	32967604	259596764	15040339	

[**टिप्पणी:** यूपीडा को शासनादेश दिनांक 7.12.2005 के अनुसार की गयी कटौती उपरान्त वापस की गयी कुल धनराशि रु0 259596764/– में धारा–4 में अधिसूचित ग्रामों को अधिग्रहण हेतु प्रेषित धनराशि के सापेक्ष रु0 76185893/– (रु0 सात करोड़, इक्सठ लाख पच्चासी हजार आठ सौ तिरान्वे मात्र) एवं अवशेष ग्रामों को अधिग्रहण हेतु प्रेषित धनराशि रु0 183410871/(रु0 अट्ठारह करोड़, चौतिस लाख दस हजार आठ सौ इकत्तर मात्र) – के सापेक्ष है।]

9.) उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए यूपीडा निदेशक मण्डल ने दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न 28वीं बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये –

अ) ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (गंगा एक्सप्रेसवे) परियोजना हेतु कन्सेशनायर के साथ पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करने के लिए शासन को अनुमति हेतु सम्बोधित प्रस्तावित सेटिलमेन्ट अनुबन्ध में निहित प्राविधानों के अनुसार कन्सेशनायर को कुल वापस की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश स0 1387/1–13–2005–20(13)/2005–रा–13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरुप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त 'पूर्ण एवं अंतिम' राशि, के निर्धारण/आकलन के सम्बन्ध में कन्सेशनायर के साथ एक बैठक में सहमति प्राप्ति उपरान्त प्रस्तावित अनुबन्ध के आलेख में यथा उचित संशोधन करते हुए शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए।

ब) शासन को सम्बोधित कन्शेसनायर के साथ निष्पादित मूल अनुबन्ध (दिनांक 23.03.2008) और अनुपूरक अनुबन्ध (दिनांक 30.11.2011) को रद्द/अधिक्रमण करने हेतु प्रस्तावित सेटिलमेन्ट अनुबन्ध पर वांछित अनुमोदन के लम्बित रहते हुए कन्शेसनायर को उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु कतिपय जनपदों को प्रेषित धनराशि राजस्व शासनादेश दिनांक 07.12. 2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरुप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त धनराशि को वापस करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग) उ0 प्र0 शासन से सहमति/ मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाए।

10.) यूपीडा निदेशक मण्डल के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में कन्सेशनायर के साथ दिनांक 25/01/2016 को आहूत बैठक में पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा रद्द करने के लिए शासन को अनुमति हेतु सम्बोधित प्रस्तावित सेटिलमेन्ट अनुबन्ध में निहित प्राविधानों के अनुसार कन्सेशनायर को कुल वापस की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश स0 1387/1–13–2005–20(13)/2005–रा–13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरुप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त 'पूर्ण एवं अंतिम' राशि, के निर्धारण/आकंलन पर सहमति प्राप्ति के उपरान्त प्राधिकरण के पत्र संख्या 2324/यूपीडा/08 /11/वाल्यूम–V दिनांक 29/01/2016 द्वारा प्रशासनिक विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन) को आवश्यक अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सेशानायर के साथ पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करने एवं इस सम्बन्ध में अन्य अग्रेत्तर कार्यवाही के लिये यूपीडा को अधिकृत करने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रदान कराने का अनुरोध किया गया है।

11.) **उक्त (दिनांक 18.12.2015) बैठक में, निदेशक मण्डल के अन्य निर्णय अर्थात् कन्शेसनायर के साथ निष्पादित मूल अनुबन्ध (दिनांक 23.03.2008) और अनुपूरक अनुबन्ध (दिनांक 30.11. 2011) को रद्द/अधिकमण करने हेतु प्रस्तावित सेटिलमेन्ट अनुबन्ध पर वांछित अनुमोदन के लम्बित रहते हुए कन्शेसनायर को उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु कतिपय जनपदों को प्रेषित धनराशि, राजस्व शासनादेश दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरुप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त 'पूर्ण एवं अंतिम' धनराशि रु0 25,95,96,764/–(रु0 पच्चीस करोड, पच्चानवें लाख, छियानवें हजार, सात सौ चौसठ केवल) को वापस करने के सम्बन्ध में उपरोक्त पत्र दिनांक 29/01/2016 द्वारा प्रशासनिक विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग) उ0 प्र0 शासन से मार्ग दर्शन हेतु भी अनुरोध किया गया है। उपरोक्त दोनों अनुरोधों पर शासन का निर्णय/मत अभी यूपीडा को प्राप्त नही हुआ है।**

12.) वर्तमान में शासन द्वारा ग्रेटर नोएडा से बलिया तक प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे (This Project) हेतु सम्बन्धित जनपदों के अनुसूचित ग्रामों को अपवर्जित करने सम्बन्धित कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किए जा चुके है। इसके अतिरिक्त ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रसवे कियाशील है तथा आगरा से लखनऊ तक एक अन्य एक्सप्रसवे का निर्माण अग्रिम चरणों में है। लखनऊ से बलिया तक समाजवादी पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के कियान्वयन पर भी कार्य हो रहा है। अतः आने वाले समय में बलिया से ग्रेटर नोएडा तक तीव्र गति प्रवेश नियंत्रित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा जिसके कारण इस परियोजना (गंगा एक्सप्रेसवे) का निजी एवं सार्वजनिक सहभागिता के आधार पर कियान्वयन वित्तीय रुप में प्रासंगिक नही रह जाता है।

13.) कन्सेशनायर द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु कतिपय जनपदों को प्रेषित धनराशि, राजस्व शासनादेश दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरुप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त 'पूर्ण एवं अंतिम' धनराशि को अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए वापस करने का बार–बार अनुरोध किया जा रहा है।

14.) उपरोक्त तथ्यों एवं निदेशक मण्डल के पूर्व में लिये गये निर्णय के कम में यूपीडा निदेशक मण्डल ने गहन विचार विमर्श उपरान्त यह मत व्यक्त किया कि उ0प्र0शासन के राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 07.12.2005 में दी गयी तत्कालीन प्रभावी व्यवस्था के अनुरुप कटौती उपरान्त यूपीडा को समय समय पर वापस प्राप्त धनराशि कुल रु0 25,95,96,764/- (रु0 पच्चीस करोड. पच्चानवें लाख छियानवें हजार सात सौ चौसठ मात्र) कन्सेशनायर को वापस करने में प्रथमा दृष्टया कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है। परन्तु राजस्व विभाग द्वारा उत्थापित बिन्दु (यथा-" *राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 07-12-2005 जिसका वर्ष 2013 के भू-अर्जन अधिनियम के संदर्भ में कतिपय बिन्दुओं पर निर्वचन/स्पष्टीकरण/आख्या का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है, में शासन द्वारा अंतिम निर्णय के अनुसार अर्जन व्यय की धनराशि अर्जन निकाय से शासन का देय होगी* ") के कम में भविष्य में यूपीडा पर किसी भी आकस्मिक अथवा अप्रत्यक्षित वित्तीय उपाशय की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि राजस्व शासनादेश स0 387/1-13-2005-20(13)/2005-रा-13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी तत्कालीन प्रभावी व्यवस्था के अनुरुप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त कुल धनराशि रु0 25,95,96,764/- (रु0 पच्चीस करोड. पच्चानवें लाख छियानवें हजार सात सौ चौसठ मात्र) मे से शासन द्वारा अपेक्षित अनुमति के कम में किसी भी अप्रत्यक्षित वित्तीय उपाशय को पूर्ण/ आंशिक रुप से यूपीडा द्वारा वहन करने हेतु कम से कम दस प्रतिशत राशि रु0 2,59,59,676/-(रु0 दो करोड.उन्सठ लाख उन्सठ हजार छः सौ छिहत्तर/-) प्राधिकरण के पास शासन की अनुमति प्राप्ति तक रोक कर (Retain) रखते हुए शेष धनराशि रु0 23,36,37,088/- (रु0 तेईस करोड. छत्तीस लाख सैंतीस हजार अठ्ठासी मात्र) कन्सेशनायर को इस शर्त के साथ वापस कर दी जाए कि कन्सेशनायर द्वारा इस आशय की अण्डरटेकिंग दी जाऐगी कि शासन द्वारा अपेक्षित अनुमति के कम में किसी भी अप्रत्यक्षित वित्तीय उपाशय को पूर्ण रुप से यूपीडा द्वारा वहन करने हेतु Retained (रोकी गई) राशि से अतिरिक्त यदि धनराशि की आवश्यकता होगी तो वह राशि उनके द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करायी जाएगी।

<u>एजेण्डा बिन्दु सं0 09 :-</u> <u>संविदा पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-</u>

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर की गई निम्नवत् नियुक्तियों का अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:-

क्र0सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या/तिथि
1.	श्री विजय कुमार चतुर्वेदी	निजी सचिव	11 माह	01.02.2016	2296/यूपीडा/568/16/ अधि0 दि0 25.01.2016
2.	श्री उमा निवास त्रिपाठी	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	06 माह	01.03.2016	2598/यूपीडा/586/16/ अधि0 दि0 01.03.2016

<u>संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-</u>

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:-

(128)

क्र0सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति अवधि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार के पश्चात् नियुक्ति अवधि	यूपीडा आदेश संख्या/तिथि
1.	श्री के0 के0 सिंह विसेन	विशेष कार्याधिकारी-ए0सी0ई0ओ0	02.04.2016	एक वर्ष	02.04.2017 तक	2815/यूपीडा/405/15/ अधि0 दि0 29.03.2016
2.	श्री के0 के0 गुप्ता	पार्टटाइम सलाहकार रिटेनरशिप पर	25.12.2015	06 माह	25.06.2016 तक	2626/यूपीडा/424/15/ अधि0 दि0 03.03.2016
3.	श्री किशोर कुमार पाण्डेय	प्रबन्धक (वित्त)	30.04.2016	एक वर्ष	30.04.2017 तक	26/यूपीडा/180/12/ अधि0 दि0 07.04.2016
4.	श्री प्रकाश नारायण टण्डन	प्रबन्धक (पर्यावरण)	28.05.2016	06 माह	28.11.2016 तक	209/यूपीडा/468/15/ अधि0 दि0 10.05.2016
5.	श्री के0एन0निगम	लेखा लिपिक	19.04.2016	06 माह	19.10.2016 तक	126/यूपीडा/335/14/ अधि0 दि0 26.04.2016
6.	श्री राम चन्द्र मौर्य	लिपिक	14.05.2016	06 माह	14.11.2016 तक	201/यूपीडा/351/14/ अधि0 दि0 06.05.2016
7.	श्री राम बरन यादव	लेखाकार कम कैशियर	11.03.2016	06 माह	11.09.2016 तक	2644/यूपीडा/431/15/ अधि0 दि0 04.03.2016
8.	श्री विनीत प्रकाश ओझा	सहायक (विधि)	13.05.2016	06 माह	13.11.2016 तक	155/यूपीडा/347/14/ अधि0 दि0 02.05.2016
9.	श्री भोलानाथ यादव	डाकरनर	28.05.2016	06 माह	28.11.2016 तक	223/यूपीडा/467/15/ अधि0 दि0 11.05.2016

कार्यवाही/निर्णयः- इस प्रस्ताव से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 10 :- **प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जानाः-**

प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु यूपीडा के पूर्व निर्गत आदेश संख्या 826/यूपीडा/14 दिनांक 09.09.2014 के क्रम में प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त किये गये निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराई जाने हेतु बोर्ड से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना है:-

क्र0सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	तैनाती स्थल	अनुमन्यता की तिथि	प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रतिमाह	
					पेट्रोल व्यय	मोबाइल व्यय
1.	श्री दयाराम	अधिशासी अभियंता	यूपीडा मुख्यालय	12.04.2016 से	120 ली0	1,000/-
2.	श्री मो0 आसिफ	अधिशासी अभियंता	यूपीडा मुख्यालय	07.04.2016 से	120 ली0	1,000/-
3.	श्री राजेश कुमार तिवारी	सहायक अभियंता	यूपीडा मुख्यालय	04.05.2016 से	100 ली0	500/-
4.	श्री प्रदीप कुमार चौरसिया	सहायक अभियंता	यूपीडा मुख्यालय	03.05.2016 से	100 ली0	500/-

लखनऊ–बलिया पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के दृष्टिगत प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थितिः–

निदेशक मण्डल की गत बोर्ड बैठक के उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण किया गया है, कृपया बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुतः–

क्र0सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	तैनाती स्थल	यूपीडा में योगदान की तिथि
1.	श्री बी0सी0 तिवारी	मुख्य वन संरक्षक	यूपीडा मुख्यालय	09.04.2016
2.	श्री दयाराम	अधिशासी अभियंता	यूपीडा मुख्यालय	11.04.2016 अपरान्ह
3.	श्री मो0 आसिफ	अधिशासी अभियंता	यूपीडा मुख्यालय	07.04.2016
4.	श्री राजेश कुमार तिवारी	सहायक अभियंता	यूपीडा मुख्यालय	04.05.2016
5.	श्री प्रदीप कुमार चौरसिया	सहायक अभियंता	यूपीडा मुख्यालय	02.05.2016 अपरान्ह
6.	श्री मनीष कुमार सिंह	अवर अभियंता	यूपीडा मुख्यालय	07.04.2016

कार्यवाही/निर्णयः– इस प्रस्ताव से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 11 :– यूपीडा द्वारा क्रियान्वित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगतिः–

क्र. सं	परियोजना का नाम	अद्यतन स्थिति
1	ग्रेटर नोएडा से बलिया 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस्वे परियोजना (गंगा एक्सप्रेसवे)	परियोजना के विकासकर्ता का चयन कर कन्सेशनायर के साथ कन्सेशन अनुबन्ध दिनांक 23.03.2008 को निष्पादित किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के अनुक्रम में परियोजना क्रियान्वयन स्थगित है। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में दिये गये निर्देश कि परियोजना हेतु नये सिरे से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये, के क्रम में कन्सेशनायर द्वारा परियोजना का पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पहले स्टेट लेवल इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथारिटी (SEIAA) में प्रस्तुत किया गया था। तदोपरान्त SEIAA के निर्देशानुसार कन्सेशनायर द्वारा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में दिनाँक 16.04.2011 के प्रस्ताव के माध्यम से आवेदन किया गया था। इस संबंध में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र दिनांक 27.10.2011 द्वारा यह सूचित किया गया था कि मे0 जेजीआईसीएल परियोजना के कन्सेशनायर हैं तथा पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु प्रस्ताव प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट द्वारा करना होगा, साथ ही उन्होंने यूपीडा से इस संबंध में प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु कहा है। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 27.10.2011 के सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के अभिमत के अनुसार पी0पी0पी0 मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 30.03.2012 में निर्णय लिया गया था कि यूपीडा द्वारा आवेदन करने से पूर्व कन्सेशन अनुबन्ध में आवश्यक संशोधन हेतु पूरक कन्सेशन एग्रीमेंट निष्पादित किया जाये, एवं कन्सेशनायर को उक्त पूरक कन्सेशन एग्रीमेंट का आलेख्य उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये थे। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं सम्भावित अग्रेत्तर कार्यवाही निर्धारण हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 18.11.2014 में यह निर्णय लिया गया है कि यूपीडा एवं कन्सेशनायर द्वारा पूर्व में निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 को आपसी सहमति की शर्तों पर अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करना उचित प्रतीत होता है। तत्क्रम में प्राधिकरण के पत्र संख्या 1354/यूपीडा/08/11/वाल्यूम–V दिनांक 28.11.2014 द्वारा प्रशासनिक विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन) से आवश्यक अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सेशनायर के साथ पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करने एवं इस सम्बन्ध में अन्य अग्रेत्तर कार्यवाही के लिये यूपीडा को अधिकृत करने

130

		हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रदान कराने का अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में एक अनुस्मारक पत्र संख्या 2324/यूपीडा/08/11–V दिनांक 29.01.2016 भी शासन को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त प्रकरण शासन के विचाराधीन है।
2	गाजियाबाद से सहारनपुर होते हुए यमुना या हिन्डन नदी के तट पर मोहान्द (उत्तराखण्ड–उत्तर प्रदेश की सीमा) के समीप तक	अधिसूचना संख्या 3737/77–3–09–94भा./07टी.सी. दिनांक 24.11.2009 द्वारा इस परियोजना के स्थान पर 'अपर गंगा नहर के दायें तट पर देहरा के समीप ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश–उत्तराखण्ड सीमा (सीमा से 10 किमी0 पूर्व) तक 08–लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे' हेतु संशोधन किया गया है।
3	आगरा से कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना	'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी' / 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओ के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।
4	झाँसी – कानपुर– लखनऊ – गोरखपुर – कुशीनगर एक्सप्रेसवे परियोजना	यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में इस परियोजना के विकास के लिये अग्रेत्तर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने पर विचार एवं दिशा–निर्देश जारी करने हेतु यूपीडा के पत्र दिनांक 30.06.2015 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया था। शासन द्वारा वांछित परियोजना की प्रस्तावित संरचना एवं शासन पर संभावित वित्तीय उपाशय के विषय में सूचना शासन को यूपीडा के पत्र दिनांक 11.04.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके क्रम में शासन द्वारा पुनः वांछित सूचना भी यूपीडा के पत्र दिनांक 06.05.2016 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है।
5	लखनऊ– बाराबंकी– नानपारा लिंक	'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी' / 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओ के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।
6	बिजनौर– मुरादाबाद– फतेहगढ़	यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में इस परियोजना के विकास के लिये अग्रेत्तर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने पर विचार एवं दिशा–निर्देश जारी करने हेतु यूपीडा के पत्र दिनांक 30.06.2015 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया था। शासन द्वारा वांछित परियोजना की प्रस्तावित संरचना एवं शासन पर संभावित वित्तीय उपाशय के विषय में सूचना शासन को यूपीडा के पत्र दिनांक 11.04.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके क्रम में शासन द्वारा पुनः वांछित सूचना भी यूपीडा के पत्र दिनांक 06.05.2016 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है।
7	नरौरा से गंगा नदी के बायें तट पर उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमा से 10 किमी0 पूर्व तक	'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी' / 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओ के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।
8	अपर गंगा कैनाल के दाये तट पर सनौटा ब्रिज (बुलन्दशहर) से उ0 प्र0 – उत्तराखण्ड सीमा के पूर्व पुरकाजी (मुजफ्फरनगर) के निकट तक 08–लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना	परियोजना विकास हेतु परियोजना परामर्शी का चयन कर आवश्यक अध्ययन कराया गया था। परियोजना के विकासकर्ता चयन हेतु आर.एफ.क्यू. के माध्यम से पात्र विकासकर्ताओं को शार्टलिस्ट कर आर.एफ.पी. जारी किया गया था, परन्तु बिड प्राप्त करने की निर्धारित तिथि दिनांक 31.01.2011 अग्रिम तिथि तक स्थगित की गई थी। परियोजना के फॉरेस्ट क्लीयरेंस तथा वन्य जीव क्लीयरेंस हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में प्रस्ताव के माध्यम से आवेदन किया गया जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में इस परियोजना के लंबित प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर शीघ्र अनापत्ति प्रदान करने का अनुरोध यूपीडा के पत्र दिनांक 27.07.2015 द्वारा किया गया है। इस परियोजना के रिवाइवल एवं 'हाईब्रिड एन्यूटी' मोड पर विकसित करने सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को भी प्राधिकरण के पत्र दिनांक 20.07.2015 के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

131

9	अपर गंगा कैनाल के दॉये तट पर स्थित सनौटा ब्रिज(बुलन्दशहर) से कानपुर –फतेहपुर एक्सप्रेसवे परियोजना एवं अन्य मार्गो	परियोजना की कान्सेप्ट रिपोर्ट तैयार करा ली गयी थी। इस परियोजना के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे परियोजना (क्रम सं.–8) हेतु अपनाये गये सिद्धान्त इस परियोजना के कियान्वयन में अपनाये जायेंगे। चूंकि अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे परियोजना पर कार्यवाही स्थगित है, अतः इस परियोजना हेतु भी अग्रेतर कार्यवाही स्थगित है।
10	'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना'	शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1988/77–3–13–2(यूपीडा)/12 दिनांक 30.12.2013 द्वारा इस परियोजना को पी.पी.पी. के स्थान पर इ.पी.सी. पद्धति पर विकसित करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसके क्रम में परियोजना को पांच पैकेजों में विभाजित कर पांचों पैकेजों हेतु निर्माणकर्ताओं का चयन किया जा चुका है एवं चयनित निर्माणकर्ताओं के साथ दिनांक 29. 10.2014 को अनुबन्ध निष्पादित कर लिया गया है। परियोजना हेतु 'अथारिटी इन्जीनियर' का चयन किया जा चुका एवं चयनित अथारिटी इंजीनियर के साथ दिनांक 12 मार्च 2015 को अनुबन्ध निष्पादित कर दिया गया है। परियोजना निर्माण का कार्य पांचों पैकेजों में जारी है।
11	लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे)	औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 07.08.2015 के क्रम में 'लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' को इ0पी0सी0 पद्धति पर विकसित करने हेतु मे0 आई0आई0डी0सी0 लि0 को 'प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कन्सल्टेंट' के रूप में नियुक्त कर दिनांक 01.10.2015 को उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया। परियोजना निर्माणकर्ताओं की शार्टलिस्टिंग हेतु प्रथम चरण में बिडिंग अभिलेख (आर0एफ0क्यू0) तैयार कर दिनांक 07.11.2015 को जारी किया गया तथा दिनांक 20.11.2015 को इच्छुक आवेदनकर्ताओं के साथ एक 'प्री–अप्लीकेशन मीटिंग' आयोजित की गयी। इच्छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रेषित क्वेरीज़ का स्पष्टीकरण/उत्तर एवं आवश्यक एडेण्डम का निर्धारण करके परियोजना के आठों पैकेजों हेतु पृथक–पृथक संशोधित आर0एफ0क्यू0 तैयार कर उन्हें भी यूपीडा की वेबसाइट पर दिनांक 18.12.2015 को अपलोड कर जारी कर दिया गया। तत्क्रम में बिड ड्यू डेट दिनांक 08.01.2016 को आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किये गये, जिनके परीक्षणोंपरान्त आर0एफ0क्यू0 आवेदकों की शार्टलिस्टंग कर सूची जारी कर दी गयी है। परियोजना परामर्शी द्वारा आर0एफ0पी0 अभिलेख तैयार किया जा रहा है। परियोजना का संरेखण परियोजना विकास परामर्शी द्वारा तैयार कर 'टास्क फोर्स' की बैठक दिनांक 05.10. 2015 तथा निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30.10.2015 में प्रस्तुतीकरण कर उसपर अनुमोदन प्राप्त किया गया। परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय की कार्यवाही हेतु आवश्यक विवरण/प्रपत्र आदि परामर्शी द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनके आधार पर भूमि अधिग्रहण/क्रय की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

<u>कार्यवाही/निर्णयः–</u>

यूपीडा द्वारा क्रियान्वित उपरोक्त एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया एवं निदेशक मण्डल द्वारा सभी परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गयी।

'लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' (समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) के 'परियोजना विकास परामर्शी' द्वारा परियोजना के संरेखण का प्रस्तुतीकरण निदेशक मण्डल के सदस्यों के समक्ष किया गया। सम्यक चर्चा के उपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा परियोजना के संरेखण का अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु सं0 12 :–</u> <u>उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययकः–</u>

उ0प्र0 शासन की शीर्षस्थ प्राथमिकता में सम्मिलित "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रक एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना"एवं" लखनऊ से आजमगढ के रास्ते बलिया तक प्रवेष नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे)" को ई0पी0सी0 पद्धति पर समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

<u>वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त बजट एंव व्यय की स्थिति</u> :–वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए उ0प्र0 शासन बजट में धनराशि रू0 3300.00 करोड़ का प्राविधान निम्नवत स्वीकृत किया गया है।

क्र0सं0	विवरण	रू0 करोड़ में
1.	अनुदान संख्या–07	2320.00
2.	अनुदान संख्या–83	980.00
	योग	**3300.00**

उपरोक्त क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में परियोजना के पक्ष में धनराशि निम्नवत उपयोग/व्यय (अनंतिम) की गई है।

क्र0 सं0	विवरण	रू0 करोडमें	टिप्पणी
1.	भूमि अधिग्रहण हेतु	64.17	सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को सीधे उ0प्र0 शासन द्वारा आंवटित किया गया।
2.	निर्माणकर्ताओं को भुगतान हेतु	3089.07	
3.	यूटीलिटी शिफ्टिंग तथा ई0आई0ए0 क्लीयरेंस	114.01	
4.	यूपीडा के अधिष्ठान सम्बंधी व्यय	17.78	
5.	सुपर विजन (अथारिटी इंजीनियर को भुगतान हेतु)	14.97	
	कुल उपयोग/भुगतान	**3300.00**	

व्यय का उपरोक्त मदों में वर्गीकरण शासनादेश दिनांक 01.10.2014 के अनुसार किया गया है।

- अवस्थापना निधि से प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक-73/83-अव0-2016-116(अव)/12 दिनांक 03.02.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" हेतु धनराशि रू0 600 करोड़ आवंटित किया गया था। परन्तु वित्तीय वर्ष 2015-16 में धनराशि रू0 200.00 करोड़ मात्र ही अवस्थापना विकास कोष से अवमुक्त किया गया था।

  इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0 400.00 करोड़ है। यूपीडा द्वारा प्रेषित पत्रांक 232/यूपीडा/08/147 दिनांक 11 मई, 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्तीय वर्ष-2016-17 में व्यय हेत यूपीडा को अवस्थापना निधि से आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशिरू0 400.00 करोड अवमुक्त करनें का अनुरोध किया गया है।

<u>वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त बजट एंव व्यय की स्थिति</u> :–वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए उ0प्र0 शासन बजट में धनराशि रू0 5508.20 करोड़ का प्राविधान निम्नवत किया गया है।

- **<u>आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड) परियोजना</u>**

क्र0सं0	विवरण	रू0 करोड़ में
1.	अनुदान संख्या–07	3103.00
2.	अनुदान संख्या–83	900.00
	योग	**4003.00**

यूपीडा द्वारा प्रेषित पत्रांक 64/यूपीडा/08/147 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 मेंनिर्माणकर्ताओं द्वारा अपने रनिंग/स्टेज का भुगतान तथा अन्य देय अनुमन्य भुगतान हेतु यूपीडा को धनराशिरू0 1500.00 करोड अनुदान संख्या–07 से अवमुक्त करनें का अनुरोध किया गया है।जिसमे से आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण कोषागार से करते हुए शासनादेश दिनांक 01.10.2014 के अनुसार किया जायेगा।

(133)

- लखनऊ से आजमगढ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे)

क्र0सं0	विवरण	रू0 करोड़ में
1.	अनुदान संख्या–07	1500.00

उपरोक्त क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु शासन द्वारा सीधे जिलाधिकारियों को निम्नवत धनराशि का आवंटन किया गयाहै।

क्रमांक	जनपद का नाम	प्रस्तावित जनपद में आवश्यक क्षेत्रफल (हे0) में	प्रस्तावित धनराशि (रू0 करोड़ में)
1	2	3	4
1.	लखनऊ	210.00	73.92
2.	बाराबंकी	354.00	124.61
3.	अमेठी	414.00	145.73
4.	फैजाबाद	54.00	19.01
5.	सुल्तानपुर	1164.00	409.73
6.	अम्बेडकरनगर	4.80	1.69
7.	आजमगढ़	919.20	323.56
8.	मऊ	330.00	116.16
9.	गाजीपुर	620.40	218.38
10.	बलिया	106.80	37.59
	योग :-	**4177.20**	**1470.38**

समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समयबद्ध क्रियान्वयन-अनुश्रवण हेतु स्वीकृत अधिष्ठान सम्बन्धी तथा आवश्यक विविध व्यय के वहन हेतु परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से व्यय किया जाना प्रस्तावित है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवेपरियोजना के अंतर्गत व्यय का लेखाजोखा पृथक रूप से तैयार किया जायेगा।

- लखनऊ से आजमगढ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) में परामर्शी सेवाओं हेतु

क्र0सं0	विवरण	रू0 करोड़ में
1.	अनुदान संख्या–07	5.20

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल को वर्ष 2016–2017 के बजट की स्थिति से अवगत कराया गया ,सदस्यों द्वारा अभिलेखों का अवलोकन करते हुए संतोष व्यक्त किया।

(134)

एजेण्डा बिन्दु सं0 13 :– **निर्माणकर्ताओं द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस की प्रथम किस्त केरिपेमेंट में विलम्ब के कारण निर्माणकर्ताओं से ब्याज की वसूली की धनराशि को उ0प्र0 शासन को जमा करने की सूचना:–**

चयनित निर्माणकर्ताओं के साथ दिनांक 29.10.2014 को निष्पादित अनुबन्ध के क्लाज संख्या 19.2 (एडवांस पेमेंट) के अनुसार परियोजना के निर्माणकर्ताओं को ब्याज मुक्त एडवांस पेमेंट तीन किस्तों में दिये जाने का प्राविधान किया गया है। निर्माणकर्ताओं को दिये गये एडवांस पेमेंट के रिपेमेंट हेतु अनुबन्ध के क्लाज संख्या 19.2.7, 19.2.7(a) एवं 19.2.8 में प्राविधान किया गया है, जिसका उद्धरण निम्नवत है:–

19.2.7 First installment of Advance Payment shall be repaid by the Contractor to the Authority no later than 365 (three hundred and sixty five) days from the date of this Agreement.

19.2.7(a) Second and Third installment of Advance payment shall be repaid by the Contractor to the Authority no later than 730 (seven hundred and thirty) days from the dateof release of respective installment.

19.2.8 The contractor shall repay each installment of advance payment on or before the due date of repayment. In the event of the contractor's failure to make the repayment on time, the Authority shall be entitled to encash the Bank guarantee for Advance Payment. The Parties expressly agree that for any delay in repayment of the Advance Payment, the Contractor shall pay interest to the Authority for each day of delay, such interest to be calculated at the rate of 18% (eighteen percent) per annum.

2– अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप निर्माणकर्ताओं द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस की प्रथम किस्त की धनराशि के बराबर बैंक गारण्टी भी प्राधिकरण को प्रदान की गयी है।

3– ब्याज की वसूली हेतु निर्माणकर्ताओं द्वारा एक अंडरटेंकिग दिया गया है कि, यदि अनुबंध के क्लाज में यथा संशोधित प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत नही किया जाता है, तब की दशा में अग्रिम की अदायगी की देरी के वजह से ब्याज की वसूली निर्माणकर्ताओं के चालू खाता बिल से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से वसूल किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार मोबिलाइजेशन एडवांस की प्रथम किस्त की अदायगी की देरी की वजह से निर्माणकर्ताओं के चालू खातों से ब्याज की वसूली की गयी जो धनराशि रू0 24,52,39,661.00 है। उक्त धनराशि को उ0प्र0 शासन को जमा करवा दिया गया है।

कार्यवाही/निर्णय:– निदेशक मण्डल को वर्ष 2016–2017 के बजट की स्थिति से अवगत कराया गया ,सदस्यों द्वारा अभिलेखों का अवलोकन करते हुए संतोष व्यक्त किया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 14 :– **वित्तीय वर्ष 2014–15 के आर्थिक चिटठा (Balance Sheet) का अनुमोदन:–**

अवगत कराना है कि यूपीडा का आर्थिक चिटठा (Balance Sheet) वित्तीय वर्ष 2014–15 का यूपीडा द्वारा आधिकृत चार्टड लेखाकार (Chartered Accountant) मेसर्स अनुप अग्रवाल एण्ड कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में किया जाना है जो पार्श्व में संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के आर्थिक चिटठा (Balance Sheet) को तैयार करने हेतु चार्टड लेखाकार (Chartered Accountant) मेसर्स अनुप अग्रवाल एण्ड कम्पनी का समय विस्तार किये जाने का अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यालय के लेखो को सुव्यावस्थित करने हेतु चार्टड लेखाकार (Chartered Accountant) का अनुमोदन

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 मे कार्यालय के लेखो को सुव्यावस्थित करने हेतु आंतरिक परीक्षण (Internal Audit) हेतु मेसर्स धवन एण्ड मदान (Chartered Accountant) एवं कर परामर्शी (Tax Consultant) हेतु मेसर्स वी. अवस्थी एण्ड अरविन्द श्रीश (Chartered Accountant) का चयन किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में मेसर्स धवन एण्ड मदान (Chartered Accountant) एवं कर परामर्शी (Tax Consultant) हेतु मेसर्स वी. अवस्थी एण्ड अरविन्द श्रीश (Chartered Accountant) का समय विस्तार किये जाने का अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में किया जाना है।

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल को वर्ष 2016–2017 के बजट की स्थिति से अवगत कराया गया ,सदस्यों द्वारा अभिलेखों का अवलोकन करते हुए संतोष व्यक्त किया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 15 :– **टोल ऑरेटर–ट्रांसफर (टी0ओ0टी0) पद्धति से आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के भावी टोल कलेक्शन का मोनेटाइजेशनः–**

कार्यवाही / निर्णयः– सलाहकार (वित्तीय संस्थाए) द्वारा एजेण्डा नोट पर चर्चा की गई। उन्होंने निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि आगरा –लखनऊ एक्सप्रेसवे के वैकल्पिक वित्तीय स्त्रोतो के रूप में यूपीडा ने एन0एच0ए0आई0 द्वारा प्रारम्भ किए गए प्रयास के अनुरूप आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भावी 20 से 25 वर्ष में एकत्र किए जाने वाले टोल के लिए मोनेटाइजेशन की योजना का प्रारूप तैयार किया गया है, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे भावी 20 से 25 वर्षो में प्रति वर्ष एकत्र किए जाने वाले टोल राशि का गहन आंकलन किया जाएगा जिसके आधार पर एक फाइनेंसियल मॉडलिंग की जाएगी जिसके अर्न्तगत वर्ष–वार सम्भावित टोल राशि का वर्तमान मूल्य आंकलित किया जाएगा। तद्नुसार इन्वेस्टरों से निविदाएं आमंत्रित की जायेगीं जो भी निविदा दाता अधिकतम मूल्य यूपीडा को अदा करने की प्रस्ताव करेंगा, उसे 20 से 25 वर्षो जैसा भी तय किया जाए की समय सीमा हेतु टोल कलेक्शन के अधिकार दे दिए जायेगें इस समय सीमा के अर्न्तगत एक्सप्रेसवे का रख रखाव तथा मैनेजमेंट इन्वेस्टरों द्वारा किया जाएगा, एवं निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् वह एक्सप्रेसवे के आगे रख रखाव हेतु तथा मैनेजमेंट हेतु यूपीडा को हस्तांतरित कर देंगे। यूपीडा द्वारा अपफंट रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि का प्रयोग लखनऊ–बलिया एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु किया जाएगा। सलाहकार वित्तीय संस्थाएं के अनुसार वर्तमान ट्रेफिक स्टडी तथा टोल रेट के आधार पर एकमुश्त राशि का अनुमानित आंकलन से लगभग रू0 7000 करोड़ से कुछ अधिक राशि होगी। इसके 3 मॉडल है, मॉडल 01 में इस राशि को प्रारम्भ में ही एकमुश्त रूप में ले लिया जायेगा। मॉडल 02 में हर वर्ष एकत्र कि जाने वाली राशि का कुछ प्रतिशत एकमुश्त रूप में तथा शेष राशि हर वर्ष ली जा सकती है। ताकि वर्ष–वार देन दारियों को इस राशि से चुकाया जा सकें। मॉडल 03 में एक निश्चित प्रतिशत की ब्याज एक निश्चित राशि हर वर्ष तथा शेष वर्ष–वार राशि को वर्तमान मूल्य पर राशि को एकमुश्त रूप में लिया जा सकता है। इन तीनों मॉडलों में से मॉडल 02 में भविष्य में अनुमान से अधिक ट्रेफिक चलने पर होने वाले अप्रत्याशित अधिक लाभ का अंश यूपीडा को मिल सकेगा। फिर भी इस पर अन्तिम निर्णय फाइनेंसियल मॉडलिंग से ही स्पष्ट हो सकेगा। इस प्रस्ताव को शासन की सिद्धान्तिक अनुमति हेतु प्रेषित किया जाना है। जिसके प्राप्त होने के पश्चात् एक एक्सपर्ट एजेंसी की सेवाएं ले कर सुचारित प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु तैयार किया जाएंगा। एवं तदनुसार आगामी कार्यवाही यूपीडा द्वारा एक्सर्पट एजेंसी के सहयोग से संपादित की जाएगी।

प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा विचार विर्मश करके इसे शासन की अनुमति हेतु प्रेषित करने पर सहमति व्यक्त की तथा इस कार्य के लिए एक एक्सपर्ट एजेंसी की सेवाएं लेने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया।

136

एजेण्डा बिन्दु सं0 16 :– **आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु अथॉरिटी इन्जीनियर के चयन सम्बन्धी कन्सल्टेन्ट द्वारा तैयार किये गये आर0 एफ0 पी0 अभिलेख में कमियों के कारण प्रथम बिड प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नयी बिड प्रक्रिया अपनाने के फलस्वरूप हुई समय एवं वित्तीय क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु कन्सल्टेंट को देय पारिश्रमिक मे से 10 लाख की कटौती:–**

कार्यवाही / निर्णय:–

शासनादेश सं0 380 / 77–3–15–2 (यूपीडा) / 12 दिनांक 25 फरवरी 2015 के प्रस्तर–4 में आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु अथॉरिटी इन्जीनियर के चयन सम्बन्धी कन्सल्टेन्ट द्वारा तैयार किये गये आर0 एफ0 पी0 अभिलेख में कमियों के कारण बिड प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नयी बिड प्रक्रिया अपनाने के फलस्वरूप हुई समय एवं वित्तीय क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु कन्सल्टेंट को देय पारिश्रमिक में समुचित कटौती का निर्णय लिया गया था।

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सल्टेंट मैसर्स फीडबैक इन्फ्रा प्रा0 लि0 को देय पारिश्रमिक में यूपीडा द्वारा प्रस्तावित रू0 10.00 लाख की कटौती को अनुमोदित करने अथवा घटाने / बढानें पर निर्णय लिया जाना था।

शासनादेश दिनांक 25 फरवरी 2015 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में निदेशक मण्डल, यूपीडा द्वारा सर्वसम्मति से आगरा–लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सल्टेंट को देय पारिश्रमिक मेंरू0 10.00 लाख की कटौती को अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 17 :– **भूमि क्रय/अर्जन से सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियो के डिपाजिट (पी०एल०ए०) खातो में अवशेष धनराशि को शासन में जमा करने का प्रस्ताव का अनुमोदन:–**

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15,2015-16 में अनुदान संख्या - 07 के लेखा शीर्षक ‘‘5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना-24 वृहद निर्माणकार्य’ में परियोजना के पक्ष उ0प्र0 शासन द्वारा सम्बंधित जनपदों में भूमि अधिकरण हेतु /भूमि मद में सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियो को उनकी मांग के साथ धनराशि बजटीय प्राविधान द्वारा रू0 488.70, रू0 2355.83,एवं रू0 64.17 करोड़ उपलब्ध किया गया है जिसमे से कुल व्यय धनराशि रू0 2492.05 करोड़ हो गयी है शेष धनराशि रू0 416.67 करोड़ सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियो के डिपाजिट (पी० एल ०ए०) खातो में अवशेष है। जिसका विवरण निम्नवत हैं:-

- आगरा- **106.62 करोड**, फिरोजाबाद- **57.64** करोड, इटावा- **15.53 करोड**, मैनपुरी- **72.39 करोड**, कन्नौज- **67.77 करोड**, औरैया-**6.52 करोड**, उन्नाव- **10.85 करोड**, कानपुर नगर- **23.63 करोड**, हरदोई-**0.09 करोड**, लखनऊ- **55.64 करोड**, योग- **416.67 करोड**

कार्यवाही / निर्णय:–

निदेशक मण्डल द्वारा भूमि क्रय/अर्जन से सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियो के डिपाजिट (पी०एल०ए०) खातो में अवशेष धनराशि को शासन में जमा करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

137

अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.05.2016 को सम्पन्न हुई 30वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त निदेशक मण्डल के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा पत्रावली में दिनांक 23 मई 2016 को अनुमोदित किये गये है।

(राम सिंहासन प्रेम)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

138

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.05.2016 को सम्पन्न हुई 30वीं बैठक का कार्यवृत्त निदेशक मण्डल के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा पत्रावली में दिनांक 23.05.2016 अनुमोदित किये गये हैं। उपरोक्त अनुमोदित कार्यवृत्त को सर्वसम्बन्धित को प्रेषित करने हेतु तैयार पत्रालेख्य पार्श्व में रक्षित है।

कृपया अवलोकनार्थ, हस्ताक्षरार्थ एवं निर्देशार्थ।

23/5/16
विशेष कार्याधिकारी

23/5/16

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारीः—

कृपया सम्मुख स्थापित शासन को पत्र 01 जून 2016 का आवलोकन करना चाहें, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा पत्र पर शीध्र कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए है।

उक्त पत्र यूपीडा, निदेशक मण्डल की 30वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु 04 एवं 07 से सम्बन्धित है, पत्र द्वारा 30वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति माँगी गई है, इस सम्बन्ध में सूच्य है, कि 31 मई को प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश शासन, के नामित सदस्य विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के कार्यालय में उनके निजि सचिव को कार्यवृत्त की प्रति प्राप्त कराई जा चुकी है।

कृपया एजेण्डा बिन्दु 07 जो मुख्य अभियन्ता से सम्बन्धित है पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली उन्हें प्रेषित करना चाहें।

(के०के० सिंह बिसेन)
विशेष कार्याधिकारी
3/6/16

3/6/16

CE

6/6/16

(139)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारीः-

यूपीडा निदेशक मण्डल की बैठक 23.05.2016 के एजेण्डा बिन्दु 04 के संबंध में मुख्य अभियन्ता, द्वारा नोट शीट पृष्ठ-181 पर आख्या दी गई है, एवं भू-अर्जन से बिन्दु 07 के संबधं में सूचना प्राप्त हो गई है, दोनो ही बिन्दुओं पर शासन स्तर से कोई कार्यवाही आपेक्षित नही है। प्रबंधक वित्तीय संस्थाए श्री के0के0 गुप्ता ने अवगत कराया है, कि उनके द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु-15 पर शासन स्तर से कार्यवाही आपेक्षित है एवं उन्होने इस आशय का पत्र दिनांक 11 अप्रैल 2016 जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है, उपलब्ध कराया है।

कृपया अनु सचिव, औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-3 को प्रेषित किया जाने वाला पत्र हस्ताक्षरित करना चाहे।

6/6/16

(के०के० सिंह बिसेन)
विशेष कार्याधिकारी

6/6/16

कृ: अवलोकनार्थ

CEO

7/6

(नवनीत सहगल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)